वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

Forum of Regulators

FOR

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

प्रकाशक :

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

डिजाइन और मुद्रण

creativEdge

art of eloquence

अरावली हाउस

431/डी-22, छत्तरपुर पहाड़ी

नई दिल्ली - 110074

ईमेल : ce@aravalifoundation.in

वेबसाइट : www.creativedge.in

प्रस्तावना

वर्ष 2014–15 के दौरान विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार ग्रामीण गैर–कृषि उपभोक्ताओं को उन्नत विद्युत आपूर्ति से समृद्ध किया जा सकता है। यह भी विचार विमर्श किया गया कि उन्नत भार प्रबंध तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि तथा गैर–कृषि ग्राहकों को प्रभावी रूप से विनियमित आपूर्ति करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। यह भी अनुभव किया गया कि कृषि क्षेत्र उपभोक्ताओं की बेहतर मॉनिटरिंग के माध्यम से हानियों में कमी से दीर्घकाल में क्षेत्र को सरल बनाया जा सकेगा। तदनुसार एक उपसमूह ''ग्रामीण तथा कृषि उपभोक्ताओं के फीडर पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने का फ्रेमवर्क और प्रभावी मीटरिंग पर उपायों का सुझाव देना'' पर अध्ययन के लिए गठित किया गया। अध्ययन में सिफारिश की गई कि कार्यान्वयन मानदण्ड राज्य तथा फीडर स्तर दोनों पर विकसित किए जाएं। आर्थिक तथा तकनीकी वातावरण के आधार पर तथा क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए उच्च कृषि भार वाले राज्य पहले दृश्टांत में पृथक्करण कर सकते हैं। रिपोर्ट में नोट किया गया कि प्रत्येक डिस्कॉम को अपने विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के विशेषण के आधार पर पारंपरिक फीडर पृथक्करण कार्यक्रम तैयार करना है। सभी विकल्प जिससे विशेष राज्य के लिए भार पृथक्करण पर लाभ होना है उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के विभिन्न उद्देश्य की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए उत्तम विकल्प प्रत्येक राज्य के लिए अपनाया जाना चाहिए।

सभी के लिए विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए नीति निर्णय के संदर्भ में फोरम ने वर्ष 2018–19 तक और घरेलू, उद्योग को विश्वसनीय 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की तात्कालिक विषयों पर और विभिन्न राज्यों में कृषि जलवायु घटकों पर निर्भर करते हुए दिन में 8 से 10 घण्टों की सिंचाई पंप की विद्युत आपूर्ति और 5 वर्षों में अर्थात 2018–19 तक सभी गैर संबद्ध हाउसहोल्ड को पहुंच शामिल है। रिर्पोट में योजना के विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई और पारेषण प्रणाली की वृद्धि पर निर्णय किया गया। जहां तक वितरण का संबंध है विनियामक फोरम ने 80 मिलियन से अधिक की संख्या के गैर विद्युत के हाउसहोल्ड को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा एटीएण्डसी हानियों की कमी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्याप्त रूप से वितरण नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी ग्राहकों को 24x7 विश्वसीनय सुरक्षित और गुणवत्तापूवर्ण विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से कुल निवेश रु. 15,70,397 करोड़ का अनुमान है। यह भी देखा गया कि टैरिफ प्रभाव की लेखांकन के बाद 25 पैसे से 45 पैसे की सीमा तक शून्य या मार्जिनल है कि मौजूदा स्तर से 2018–19 तक लगभग 9.5% की हानि कमी में टैरिफ की लगभग 50 पैसे की कमी होगी।

फोरम द्वारा की गई पृष्ठभूमि में प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एस ई आर ई/जे ई आर सी का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचार विमर्श करने में लगा रहा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेशको पूरा करने में सभी स्टेकहोल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, एफओआर

विषय वस्तु

1.	विनियामक फोरम	8
2.	फोरम की गतिविधियां	9
2.1	फोरम की बैठकें	9
2.1.1	चंडीगढ़ में 2 अप्रैल, 2014 को आयोजित 40वी विनियामक फोरम की बैठक:	9
2.1.2	नई दिल्ली में 27 जून, 2014 को आयोजित 41वी विनियामक फोरम की बैठक:	9
2.1.3	नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2014 को आयोजित 42वी विनियामक फोरम की बैठक:	9
2.1.4	मसूरी में 16 से 18 अक्तूबर, 2014 को आयोजित 43वी विनियामक फोरम की बैठक:	9
2.1.5	नई दिल्ली में 01 दिसंबर, 2014 को आयोजित 44वी विनियामक फोरम की बैठक:	10
2.1.6	बैंगलोर में 29 से 31 जनवरी, 2015 को आयोजित 45वी विनियामक फोरम की बैठक:	10
2.1.7	नई दिल्ली में 17 फरवरी, 2015 को आयोजित 46वी विनियामक फोरम की बैठक:	10
2.2	किए गए अध्ययन	10
2.2.1	ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्तओं के फीडर पृथककरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने का फ्रेमवर्क और प्रभावी मीटरिंग पर उपायों का सुझाव देना	10
2.2.2	24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए	11
2.3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	12
3.	2014–15 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां	13
4.	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एफओआर की वार्षिकी विवरणी	22
अनुबंध.I:	31.03.2015 को एफओरआर के सदस्य	37
अनुबंध.II:	राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट	39
अनुबंध.III:	टैरिफ नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति रिपोर्ट	79

विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन 'करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो सेप्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयो. जित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहम. ति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थिती करण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की शुरु आत से विनियामक आयोग के कार्य कलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांशं राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआ. रसी (गोवा एवं संघशासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 166 (2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधि ासूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एक रूपता प्राथमिक उद्देश्य था। इस फोरम में सीईआरसी का अध्यक्ष और एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्ष शामिल है। सीईआरसी का अध्यक्ष फोरम का अध्यक्ष है। केन्द्रीय सर. कार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम बनाए है :–

फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

फोरम के कार्य

फोरम निम्न लिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्यकुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्ति धारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टि कोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;
- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से याइन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार है:–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एक रूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्या न्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

फोरम की गतिविधियां

वर्ष के दौरान फोरम ने सात बैठक आयोजित की और कई विवेचनीय मुददों पर मतैक्य हुआ। फोरम ने ग्रामीण और कृषि उपभोक्तओं के फीडर के पृथककरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने के लिए ''क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए रोडमैप'' ''24X7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर अध्ययन'' आयोजित किए और प्रभावी मीटरिंग के लिए उपायों का सुझाव दिया।

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें

2.1.1 चंडीगढ़ में 2 अप्रैल, 2014 को आयोजित 40वी विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम को डीएसएम और उर्जा कुशलता के बारे में जागरूकता के लिए किए जा रहे विभिन्न पहल के बारे में अवगत कराया गया। फोरम को पीएटी योजना के बारे में भी अधिसूचित किया गया और उर्जा कुशलता प्रमाणपत्रों की योजना की जानकारी दी गई। विचार–विमर्श के बाद कई विभिन्न अभिमत/सुझाव दिए गए। .

फोरम ने विस्तार से नवीकरणीय क्रय बाध्यता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया और दिल्ली तथा पंजाब के एसईआरसी द्वारा आरपीओ अनुपालन के लिए एआरआर में उपबंध के अनुसार उत्तम पद्धतियों को नोट किया। फोरम को यह भी सूचित किया गया कि यूईआरसी ने आरपीओ के गैरअनुपालन के लिए वितरण कंपनी के प्रबंध निदशक पर दण्ड लगाया। विचार–विमर्श के बाद मतैक्य हुआ।

थर्मल उत्पादन संयंत्रों की ईंधन लेखा परीक्षा पर विचार–विमर्श के बाद फोरम ने निर्णय किया कि वर्ष 2014–19 के लिए टैरिफ की निबंध व शर्तों पर केविविआ विनियमों में यथाप्रदत्त सिद्धांतों को अपनाना वांछनीय होगा।

2.1.2 नई दिल्ली में 27 जून, 2014 को आयोजित 41वी विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम ने नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के ग्रिड समेकन से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया। निम्नलिखित विषयों को रेखांकित किया गया:

- भारतीय विद्युत प्रणाली का पुनरावलोकन
- नवीकरणीय उर्जा समेकन के लिए विनियामक पहल
- पारेषण–विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धा की कुंजी
- प्रणाली प्रचालन

फोरम ने नवीकरणीय क्रय बाध्यता से संबंधित एफओरआर हस्तक्षेप/विचार से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया। फोरम ने देश में विभिन्न नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों के विकास की उपलब्धियों को नोट किया।

2.1.3 नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2014 को आयोजित 42वी विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम के सदस्यों को ''नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र तंत्र' की समीक्षा'' पर फोरम द्वारा आरंभ अध्ययन पर ड्राफ्ट रिपोर्ट को सूचित किया गया। फोरम ने सिफारिश की कि आवश्यक संशोधन आरओपी पर एसईआरसी विनियमों और आरपीसी विनियमों पर केविविआ विनियमों में किए जाए।

2.1.4 मसूरी में 16 से 18 अक्तूबर, 2014 को आयोजित 43वी विनियामक फोरम की बैठक:

माननीय विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के बाद फोरम ने विद्युत आपूर्ति चुनौतियों से संबंधित विषयों की जांच के लिए फोरम के सदस्यों ने कार्यदल का गठन का निर्णय किया और सुझाव दिए। कार्यदल ने यह निर्णय किया कि उक्त विस्तृत अध्ययन को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य समूह से सदस्य के दो उपसमूह गठित किए जाएं। फोरम ने उपभोक्ताओं को ''24X7 विद्युत आपूर्ति और उसके प्रभाव'' और ''ग्रामीण एवं कृषि भार के फीडर पृथककरण'' से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया और कुछ सुझाव/अभिमत दिए।

फोरम ने ग्रिड प्रेषण मॉडल का प्रयोग करने वाले भारत में नवीकरणीय उर्जा के ग्रिड समेकन में शामिल महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श किया। इस विचार–विमर्श में आरपीओ लक्ष्यों की तुलना में विस्तृत लागत भार विश्लेषण, टैरिफ तथा समेकन लागत में फीड की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया ताकि कम से कम लागत समेकन रणनीति का पता लगाया जा सके और इसे कंपनी द्वारा अपनाया जा सके। अनुपूरक कार्यक्रमों की भूमिका अर्थात् राज्यों में संसाधनों की शेयरिंग तथा विचलन व्यवस्थापन बाजारों के अलावा मांग प्रतिक्रिया पर भी विचार–विमर्श किया गया।

इसके अलावा, वितरण में तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों की कमी तथा उत्तम पद्धतियों के उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

2.1.5 नई दिल्ली में 01 दिसंबर, 2014 को आयोजित 44वी विनियामक फोरम की बैठक:

''उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति और प्रभाव'' और ''ग्रामीण एवं कृषि भार के फीडर पृथककरण''उप–समूहों नेफोरम द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फोरम ने इस सुझाव के साथ रिपोर्टे पृष्ठांकित की कि उक्त अभिमत उपयुक्त रूप से शामिल किए जाए और रिपोर्ट को अध्यक्ष, विनियामक फोरम द्वारा अंतिम रूप दिया जाए और विद्युत मंत्रालय को भेजा जाए।

फोरम ने ''पब्लिक/प्रणाली लाभ प्रभार के माध्यम से पूंजीकृत राज्य उर्जा संरक्षण निधि एवं डीएसएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आउटसोर्स मॉडल'' में शामिल महत्वपूर्ण मुददों पर विचार–विमर्श किया।

इसके अलावा, ''विनियमित टैरिफ बनाम प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ'' तथा ''पंजाब में हानि कमी पहल'' में शामिल महत्वूपर्ण मुददों पर विचार विमर्श किया गया।

2.1.6 बैंगलोर में 29 से 31 जनवरी, 2015 को आयोजित 45वी विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम ने प्रत्येक हाउसहोल्ड को एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न मॉडलों के संबंध में ''पब्लिक लाभ प्रभार के माध्यम से ईसीएफ एवं डीएसएम आउटसोर्सिंग मॉडल'' से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। फोरम ने ''ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण के लिए विनियामक दृष्टिकोण और कारोबार मॉडल'' पर भी विचार विमर्श किया जिसमें भारत में ऑफ विद्युत ग्रिड का मौजूदा परिदृश्य रेखांकित किया गया। ब्रिज अंतर समाधान के रूप में मिनी ग्रिड को लागू करने पर बल दिया गया चूंकि यह उन क्षेत्रों में विश्वसनीय और लागत प्रभावी विद्युत प्रदान करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में लाभदायक हैं जहां ग्रिड विस्तार लागत प्रभावी नहीं है। तथापि सब्सिडी की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

विद्युत मंत्रालय ने अपने 06 फरवरी, 2015 के पत्र में ''01 दिसंबर, 2014 को विनियामक फोरम को एपीपी द्वारा की गई प्रस्तुति– विनियमित टैरिफ बनाम प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ' विषय पर विचारों की मांग की। इस मामले को विचार विमर्श के लिए उठाया गया और मतैक्य विकसित किया गया।

फोरम ने विनियामक फोरम सचिवालय द्वारा तैयार किए गए ''विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन'' पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित कुछ संशोधनों पर फोरम के पूर्ववर्ती निर्णयों को रेखांकित किया गया। विचार विमर्श के बाद फोरम ने अनुभव किया कि ऐसे कुछ पहलू हैं जिन्हें विगत में विनियामक फोरम द्वारा जांच नहीं की गई। कार्य समूह को गठित करने का निर्णय किया गया जिससे विस्तार में प्रस्तावित संषोधनों तक पहुंचा जा सके और अंतिम निर्णय के लिए फोरम को रिर्पोट प्रस्तुत की जा सके।

2.1.7 नई दिल्ली में 17 फरवरी, 2015 को आयोजित 46वी विनियामक फोरम की बैठक:

बैंगलोर में 45वीं बैठक के बाद एक कार्यदल विस्तार में विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधन की जांच के लिए गठित किया गया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट खण्डवार टिप्पणियों/अभिमतों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फोरम ने कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया और इसे सिफारिशों को पृष्ठांकित किया।

2.2 किए गए अध्ययन

2.2.1 ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्तओं के फीडर पृथककरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने का फ्रेमवर्क और प्रभावी मीटरिंग पर उपायों का सुझाव देना पदह

वित्तीय वर्ष 2013.14 के दौरान फोरम के उक्त समूह में **''ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्ताओं के फीडर पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने का फ्रेमवक''**पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम को करते हुए भारत में ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणालियों के लिए विचार किया गया मुख्य लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल है:

क) ग्रामीण गैर कृषि ग्राहकों के लिए उन्नत (इसका उद्देश्य ग्रामीण ग्राहकों का 24X7 तीन चरण आपूर्ति उपलब्ध करवाना था) उनके जीवन और ग्रामीण उद्योग के प्रेरणा की गुणवत्ता में तदन्तर सुधार हुआ।

ख) कृषि ग्राहकों को आपूर्ति विनियमित करने के लिए बेहतर क्षमता के माध्यम से उन्नत भार प्रबंधन। तदन्तर पारदर्शिता तथा कृषि सब्सिडी और इस प्रकार कंपनियों की वित्तीय स्थिति को स्थिर करना।

ग) कृषि क्षेत्र में उपभोग की बेहतर मॉनिटरिंग के माध्यम से हानियों में कमी।

घ) हजबैंडिंग ग्राउण्ड जलस्रोतों के माध्यम से पर्यावरणीय संसाधनों का उन्नत प्रबंधन।

- गुजरात, पंजाब आंध्रप्रदेश राज्यों में फीडर पृथककरण का विश्लेषण किया गया।
- रिपोर्ट में फीडर पृथककरण कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों का सुझाव दिया गया:

– ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्वसनीय और गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाना और पूरे भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

– मिश्रित फीडरों के वर्गीकरण के कारण जो कृषि उपभोक्ताओं तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं दोनों को विद्युत आपूर्ति करते हैं, वहां कृषि लोड का इस प्रकार से प्रबंध किया जाना ताकि अधिकतम सुनिश्चित किया जा सके और भू–जल, संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।

- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कार्यान्वयन मानदण्ड राज्य तथा फीडर स्तर दोनों पर विकसित किया जाए। आर्थिक तथा तकनीकी पर्यावरण के आधार पर तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए उच्च कृषि लोड पहले दृश्टांत में पृथककरण कर सकता है। रिपोर्ट में फीडर पृथककरण के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपयों की सिफारिश की गई है:

– उद्देश्यों को परिभाषित करना
– दृश्टिकोण का चयन
– भूगोल का चयन
– कार्यान्वयन

- रिपोर्ट में नोट किया गया है कि प्रत्येक डिस्कॉम को अपनी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर पारंपरिक फीडर पृथककरण कार्यक्रम तैयार करना है। सभी विकल्प है जिसे विशेष राज्य के लिए ओवर लोड पृथककरण का लाभ दिया जाना है उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों की विभिन्न उद्देश्य, आवश्यकताओं पर विचार करते हुए उत्तम विकल्प प्रत्येक राज्य के लिए अपनाया जाना चाहिए।

2.2.2 24x7विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए रणनीति

वित्तीय वर्ष 2013.14, के दौरान फोरम के उपसमूह ने ''24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए रणनीति'' अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फोरम ने नीचे दिए अनुसार उद्देश्यों को परिभाषित किया:

– वर्ष 2018.19 तक देसी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्तओं को विश्वसनीय 24x7 विद्युत आपूतिय
– विभिन्न राज्यों में एग्रो जलवायु घटकों पर निर्भर करते हुए दिन में 8 से 10 घण्टों के लिए सिंचाई पंप के लिए विद्युत आपूर्तिय और
– पांच वर्षों अर्थात् 2018–19 तक सभी असंबद्ध हाउसहोल्ड को पहुंच;

- रिपोर्ट में चुनौतियों तथा नवीन पहल के लिए विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए राज्यों के अनुभव को वर्णित किया गया है। इस अध्ययन में विचार किए राज्य गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल ओर केरल है।
- मांग आपूर्ति स्थिति के विश्लेषण के बाद रिपोर्ट में निम्नानुसार निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया:

– 18वीं इपीएस के अनुसार उर्जा उपेक्षा तथा मांग अनुमानों में 2016–17 तक सभी हाउसहोल्ड को विद्युत आपूर्ति की अपेक्षाओं को लिया गया है।
– उक्त यथा परिभाषित 24x7 विद्युत आपूति की अपेक्षा केवल तभी पूर्ति होगी यदि:

➢ उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय विद्युत योजना में दिए अनुसार वृद्धि हुई है।

टी एण्ड डी हानियां 2018.19 लगभग 17.5% की कमी आई है जैसा कि 18वीं ईपीएस में दिया गया है।

➢ उर्जा कुशलता उपाय कार्यान्वित किए गए हैं ताकि संतुलित उर्जा उपभोग तथा पीक मांग को पूरा किया जा सके।
➢ वितरण कंपनियां आपूर्ति के अपने क्षेत्र में पूर्ण मांग की पूर्ति के लिए पावर कंट्रेक्ट के लिए समर्थ है।

- उक्त को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में निम्नलिखित घटकों जैसे देसी कोयला आपूर्ति, कोयला ब्लॉक, कोयला लिंकेज के लिए एसपीवी की सिफारिश की है ताकि थर्मल संयंत्रों से उत्पादन में वृद्धि तथा नवीकरणीय उर्जा क्षमता में वृद्धि पर विचार किया जा सके:

– वित्तीय वर्ष 2018–19 तक पूर्ण करने के लिए किए गए उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईंधन लिंकेज सुनिश्चित करने में प्राथमिकता।

– कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम का संशोधन।
– कोयला ब्लाक के लिए एसपीवी
– कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करना।
– उच्च मांग की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतों के साथ गैस विद्युत संयंत्रों की बंडलिंग।
– रिपोर्ट में सौर तथा पवन उर्जा में विशेष रूप से नवीकरणीय क्षमता पर बल को रेखांकित किया गया। उत्पादकों को भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिपोर्ट में वितरण कंपनियों के लिए उपयुक्त नीति/विनियामक अधिदेश की सिफारिश की गई ताकि साखपत्र/एस्क्रो खातों के फोरम में आरई उत्पादकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान की जा सके।
– प्रचालनीकरण और पंप स्टोर क्षमता को बढ़ाना।
– उर्जा कुशलता को अपनाना।
– वास्तविक समय आधार पर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को व्यवस्थित करने और मॉनिटर करने के लिए नवीकरण उर्जा प्रबंध प्रणाली।
– नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए सहायक सेवाएं।

- रिपोर्ट में अपेक्षित पारेषण प्रणाली के लिए योजना हेतु निम्नलिखित की सिफारिश की गईः

– आरंभ किए गए समय की अवधारणा 40 माह
– भूमि अधिग्रहण के लिए वास्तविक क्षतिपूर्ति के लिए नीति
– मौजूदा आरओडब्ल्यू का अधिकतम उपयोग।
– मौजूदा और नई लाइनों में उच्च कार्यनिष्पादन कंडक्टरों का उपयोग।
– मौजूदा पारेषण प्रणाली की भारग्रहता सीरीज क्षतिपूर्ति, गतिशील शन्ट क्षतिपूर्ति, फैक्ट और मशीनी रूप से स्विच कैपिसेटर बैंको के माध्यम से पर्याप्त रिएक्टिव पावर क्षतिपूर्ति को जोड़ते हुए वृद्धि होनी चाहिए।
– अन्डरग्राउण्ड लाइने 220 केवी से कम के सभी पारेषण के लिए विचार होना चाहिए।
– यह सिफारिश है कि एफओरआर/एमएनआरई द्वारा तैयार हरित उर्जा कॉरिडोर पर रिपोर्ट में यथा परिभाषित पारेषण ढांचे को अंतःराज्यिक और अंतर प्रादेशिक स्तरों पर विकसित किया जाए ताकि नवीकरणीय उर्जा की अतिरिक्त क्षमताओं को शून्य किया जा सके और पारेषण दबावों को समाप्त किया जा सके।

- जहां तक वितरण का संबंध है, रिपोर्ट में 80 मिलियन से अधिक की संख्या के गैर विद्युतीकृत हाउसहोल्ड को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और एटीएण्डसी हानियों की कमी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्याप्त रूप से वितरण नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें निम्नानुसर हैः

– ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े विद्युतीकरण में विधिवत रूप से फैक्टरिंग मांग का सही अनुमान, मांग पक्षीय प्रबंधन उपाय, उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति पर किसी नीति डिजाइन के लिए मूलभूत अपेक्षा है।
– 24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए रणनीति में उपभोक्ता स्तर तथा डीटीसी स्तरीय मीटरिंग की सारभूमिकरण को शामिल किया जाना चाहिए।
– गैर विद्युतीकृत हाउसहोल्ड के 100% विद्युततीकरण की प्राप्ति 24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए रणनीति में उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए।
– एक अलग मशीनरी उन राज्यों में गैर विद्युतकृत हाउसहोल्ड को विद्युत आपूर्ति के विस्तार के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विशेष निधि व्यवस्था की जानी चाहिए जिसकी विद्युत आपूर्ति वाले हाउसहोल्ड के 50% से कम है।
– एक विशेष कार्यक्रम अगले पांच वर्षों 2% प्रतिवर्ष की दर पर हानियों को कम करने के लिए एटीएण्ड सी हानियों की आक्रामक कमियों के लिए आरंभ किया जाना चाहिए।
– अन्य ग्रामीण फीडरों से अलग कृषि फीडरों फीडर पृथककरण।
– स्टार श्रेणी के पंपों वाले अकुशल कृषि पंपों की प्रतिस्थापना।
– पर्याप्त संस्थानिक वित्त की उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय से भुगतान और राज्य विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ पुनरीक्षण की पर्याप्तता और नियमितता न केवल वितरण कंपनियों की वित्तीय दुरूस्तता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है बल्कि देश में समूचे विद्युत क्षेत्र के लिए भी अनिवार्य है।
– शुंग्लू पैनल की सिफारिश पर आरंभ किए गए वित्तीय पुनःसंरचना पैकेज को ओर भी उदारीकृत किया जाना चाहिए ताकि एक समय आधार पर सभी वितरण कंपनियों के तुलनपत्रों को क्लीन किया जा सके।
– वितरण कंपनियों की प्रबंध संस्कृतिइस प्रकार परिवर्तित की जानी चाहिए ताकि विद्युत की बिक्री के लिए जिम्मेदार संस्था में प्रत्येक स्तर पर इसे बनाया जा सके। इन कंपनियों को वाणि ाज्यिक कंपनियों के रूप में कार्य करने के लिए बनाया जाना चाहिए।
– विद्युत योजना कक्षों को प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि विद्युत क्षेत्र के विकास की दीर्घकालिक योजना और समन्वयन किया जा सके।

सभी उपभोक्ताओं को 24x7, विश्वसनीय, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रिपोर्ट में लगभग रु0 15,70,397 करोड़ के अनुमानित कुल निवेश का प्राकलन है। विस्तृत विश्लेषण के बाद रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है कि टैरिफ प्रभाव लेखांकन के बाद 25 पैसे से 45 पैसे की सीमा तक मार्जिनल या शून्य है कि मौजूदा स्तर से 2018.19 तक लगभग 9.5% की हानि कमी टैरिफ में लगभग 50 पैसे की कमी में परिणत होगी।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

फोरम का एक मुख्य उत्तरदायित्व विद्युत विनियामक आयोगों के कार्मिकों का क्षमता निर्माण है। फोरम ने वर्ष के दौरान विद्युत विनियामक आयोगों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें 28 से 30 जनवरी, 2015 के दौरान छठें क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आईआईटी कानपुर 18–20 फरवरी में (सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय विजिट सहित), एनपीटीआई में 26–27, 2015 फरवरी के दौरान सीजीआरएफ एवं ओमबडसमन के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।

3. 2014–15 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां

3.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

केविविआ ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की।

आयोग ने नवीकरणीय क्रय बाध्यता की आपूर्ति के लिए नवीकरणीय उर्जा संसाधनों की उपलब्धता तथा बाध्यकारी कंपनी की अपेक्षा के बीच असंतुलन का पता लगाने के लिए 2010 में नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र तंत्र विकसित किया। आरईसी तंत्र का उद्देश्य नवीरकरण ी उर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करना तथा उनकी लागतों की वसूली के लिए आरई उत्पादकों को वैकल्पिक ढंग प्रदान करना है। आयोग ने आरईसी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और उन मुददों का पता लगाया और संदिग्धताओं को समाप्त किया जो इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही हैं और केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया।

आयोग ने अनुमोदित किया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रमाणपत्रों में लेनदने और जारी करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का पात्र होगा यदि इसने धारा 62 के अधीन अवधारित टैरिफ का पूर्व वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की है या नवीकरणीय क्राय बाध्यता की अधिकता में अधिनियम की धारा 63 के अधीन अंगीकार किया है जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है या अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीयकारी योजना या टैरिफ नीति में जो भी अधिक हो, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। आयोग ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि इन विनियमों के अधीन जारी होने की तारीख से 1095 दिनों के लिए वैध होंगे।

केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 को दिनांक 6.1.2014 को अधिसूचित किया गया है और मूल विनियम का शुद्धिपत्र 17.2.2014 को अधिसूचित किया गया। केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (प्रथम संशोध ान) विनियम 2014 को अधिसूचित करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि टाईम ब्लाक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत का अधिक आहरण/कम आहरण 150 मेगावाट या इसकी अनुसूचित निकासी के 12 प्रतिशत, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा। जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी ''49.70 एचजेड और अधिक तथा 50.10 एचजेड से कम'' है बशर्ते कि किसी क्रेता द्वारा विद्युत का अधिक आहरण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी ''49.70 एचजेड से कम है' और किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक आहरण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी ''50.10 एचजेड और अधिक'' है।

आयोग ने केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 में चौथे संशोधन को अधिसूचित किया ताकि स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण पावर प्राप्त करने के लिए आने वाले उत्पादकों को सुविधा दी जा सके अर्थात्विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन आईएसटीएस से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभ होने वाले गतिविधियों के लिए सहायक उपकरण चलाने के लिए अपेक्षित विद्युत को सरल बनाया जा सके। संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को भुगतान में चूक के मामले में इस प्रकार की निकासी को बंद करते हुए और स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण पावर की निकासी के लिए अनुमति प्रदान करते हुए ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया गया है या यह स्थापित किया गया है कि स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण को निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है।

केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2010 को 21.1.2010 को अधि ासूचित किया गया। विद्युत बाजार विनियमों के विनियम 22 में बोर्ड के गठन तथा बोर्ड में शेयरहोल्डरों के प्रतिनिधित्व सहित पावर एक्सचेंज के अधिशासन और स्वामित्व की व्यवस्था है। पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित अधिशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केविविआ (विद्युत बाजार) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014 के माध्यम से आयोग ने एक्सचेंज बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनहर्कताओं की व्यवस्था की है। संशोधन विनियमों में यह व्यवस्था है कि पावर एक्सचेंज का कोई शेयरहोल्डर किसी प्रकार के अनहर्कता से ग्रस्त होता है तो इस प्रकार के शेयरहोल्डर या उसका नामिति पावर एक्सचेंज के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से बाहर हो जाएगा।

अधिकतम रूप से प्रतिक्रिया के लिए उपायों सहित ग्रिड संबद्ध कंपनियों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और बाजार के विकास के अनुपालन में आयोग ने आदेश जारी किया है जिसमें पूरे दिवस अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार के प्रचालन को आरंभ करने के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश दिए हैं जबकि आगामी दिवस आकस्मिकताओं के लिए मौजूदा उत्पादों के प्रचालन को आरंभ किया है और एक्सचेंजों द्वारा अंतःदिवस बाजारों को जारी किया है। आयोग ने इन उत्पादों के लिए समय–सीमा को भी विनिर्दिष्ट किया है ताकि व्यापार विंडो उक्त निर्णय सहित अवधियों के लिए खुली रह सकें।

नवीकरणीय उर्जा उत्पादन मध्यवर्ती अनिश्चित और परिवर्ती माना गया है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए और ग्रिड नवीकरण ीय उर्जा उत्पादन के समेकन के लिए विशेष उपबंध ग्रिड कोड में बनाए गए हैं। तथापि इन उपबंधों के कार्यान्वयन में कई कठिनाइयां

अनुभव की गई हैं। इसलिए आयोग ने यह इनफर्म नवीकरणीय उर्जा उत्पादन (पवन और सौर जैसे) के लिए अनुसूची से विचलन के संचालन और पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण के लिए फ्रेमवर्क सृजित करने की आवश्यकता को अनुभव किया है जो इस प्रकार की उत्पादन की परिवर्ती और मध्यवर्ती किस्म में है। तदनुसार 'अन्तराज्यिक स्तर पर पवर व सौर पर आधारित नवीकरणीय उर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए पूर्वानुमान अनुसूचीकरण और असंतुलन संचालन' पर फ्रेमवर्क तथा इनमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के लिए संशोधन किए गए हैं। (i) केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमए (ii) केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम और (iii) केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन और शर्तें) विनिमय तैयार किया गया और स्टेकहोल्डरों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। अन्य बातों के साथ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में यह प्रस्ताव किया गया कि पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण पवन एवं सौर प्रादेशिक इकाइयों के लिए किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक और/या आरएलडीसी को पूर्वानुमान के लिए कार्यान्वित करना चाहिए। इसमें बेहतर/कमतर पूर्वानुमान और तदनुरूपी अनुसूचीकरण के लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है।

विद्युत बाजार के विकास के उपाय के रूप में ''कुल (बण्डलिंग) और गैर कुल (अनबण्डलिंग) कंट्रेक्टों के लिए विद्युत व्यापारियों को अनुमति देने तथा संव्यवहारों के लिए औसत व्यापार मार्जिन संगणित करने के लिए'' स्टाफ पेपर तैयार किया गया। स्टाफ पेपर में अनिवार्य रूप से विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों या विभिन्न विक्रेताओं से विद्युत की क्रय के मामले में व्यापार मार्जिन की संगणना के मुददे पर विचार विमर्श किया गया और एक ही कीमत पर क्रेता या सिंगल डिस्कॉक को बेचा गया या इसे एक ही कीमत पर सिंगल उत्पादक से एक कीमत पर या विद्युत का क्रय किया गया और इसे विभिन्न कीमतों पर बहुविध क्रेताओं (डिस्कॉम, औद्योगिक उपभोक्ता इत्यादि) को विभिन्न कीमतों पर बेचा गया। पेपर में डिस्कॉम द्वारा भार प्रबंधन पर कुल और गैर कुल के प्रभाव, उत्पादन उपयोग में सुधार, निर्बाध पहुंच के उन्नयन, नवीकरणीय उर्जा की ब्लैंडिंग पर विचारविमर्श किया गया।

आयोग ने फोरम को सचिवालय सेवाएं प्रदान करने के अलावा एफओआईआर और साफिर को सचिवीय सेवाएं भी प्रदान की।

3.2 आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

आंध्रप्रदेश राज्य के वर्गीकरण के बाद और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 के साथ पठित आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसूची 3 (ग) के 3 के उपबंधों के अनुसार आंध्रप्रदेश सरकार ने जियो मैसर्स संख्या 35 उर्जा (विद्युत 3) विभाग दिनांक 1.8.2014 के माध्यम से आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग गठित किया।

टैरिफ आदेश समय–समय से जारी किए गए।

निम्नलिखित विनियम 2014–15 में अधिसूचित किए गए.

- एपीईआरसी (निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन कोड) द्वितीय संशोधन विनियम 2014
- एपीईआरसी (पुनर्गठन) विनियम 2014
- एपीईआरसी (अनुरोध पर विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी की ड्यूटी) (प्रथम संशोधन) विनियम संख्या 2014 का 5
- एपीईआरसी (अनुकूलन) विनियम 2014

3.3 बिहार विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 में आरंभ किए जाने वाले बगासे आधारित सह उत्पादन संयंत्रों एवं बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए टैरिफ अवधारण हेतु बेंचमार्क।
- बीईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम 2005 में प्रथम संशोधन के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाही।

निम्नलिखित विनियम वित्तीय 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा आधिसूचित किए गए:

- कारोबार विनियम 2014 के संचालन का प्रथम संशोधन
- मांग पक्ष प्रबंधन विनियम 2014
- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमैन 2014 का चौथा संशोधन
- वित्तीय शक्ति विनियम 2014 का प्रत्योजन
- वित्तीय विद्युत विनियम 2015 के प्रत्योजन का प्रथम संशोधन
- बीईआरसी (अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा की भर्ती एवं निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2015
- बीईआरसी (सौर उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) तीसरा संशोधन, विनियम 2014

3.4 छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

निम्नलिखित आदेश वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जारी किए गए:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएसपीडीसीएल का टैरिफ आदेश और सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, एसएलडीसी और सीएसपीडीसीएल के पूर्व वर्षों के लिए अंतिम ट्रूअप
- वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए रिटेल टैरिफ के लिए बीएसपी(टीडी) के एआरआर का अवधारण

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा कोई विनियम अधिसूचित नहीं किया गया।

3.5 दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान डीईआरसी की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- डीईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम 2015 अधिसूचित किया गया
- डीईआरसी आपूर्ति कोड एवं कार्यनिष्पादन मानक (संशोधन) विनियम 2015 अधिसूचित किया गया

3.6 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–15 में निम्नलिखित मील के पत्थर प्राप्त किए:

- **गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के निबंधन व शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम 2014:** आयोग ने 2014 की अधिसूचना संख्या 3 के माध्यम से गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (अन्तःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 में दूसरा संशोधन किया। आयोग ने क्षमता आधारित (रुपये/मेगावाट/दिन) से वास्तविक रूप से अनूसूचित आधार पर उर्जा में (रुपये/मेगावाट घण्टे) में अंतःराज्यिक पारेषण नेटवर्क के उपयोग के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय पारेषण प्रभारों के संबंध में आयोग ने विनियम 21(2) को संशोधित किया। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से अर्थात् 14.8.2014 से प्रभावी हुआ।

3.7 जम्मू एण्ड कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश नीचे दिए गए हैं:

- विद्युत विकास विभाग के लिएवित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर/रिटेल टैरिफ के अवधारण एवं 2013–14 के लिए एपीआर पर आदेश
- विद्युत विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण एवं 2013–14 के लिए एपीआर पर
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए जैनरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए और विद्युत विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पारेषण टैरिफ के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए जैनरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ के अवधारण पर आदेश। जम्मू एण्ड कश्मीर विद्युत विकास निगम (उत्पादन कंपनी) के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उत्पादन टैरिफ और एएफसी के अवधारण पर आदेश

आयोग ने सीजीआरएफ की स्थापना के लिए अपनी असफलता को ध्यान में रखते हुए जेएण्डके पावर विकास विभाग (कंपनी) के विरुद्ध स्वप्रेरणा कार्यवाहियां आरंभ की। इसके अलावा ''मनोविज्ञान के साम्राज्यवादी अध्ययन और जेएण्डके राजय में विद्युत उपभोक्ताओं के माइंडसेट तथा जम्मू एवं कश्मीर के कार्यनिष्पादन चुनौतियों एवं अवसरों में विद्युत हानियों के सामाजिक प्रभाव'' पर अध्ययन पूरा किया गया और अंतिम रिपोट कंपनी एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ शेयर की गई।

3.8 झारखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011–12 और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रूअप हेतु याचिका पर आदेश और जेबीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ प्रस्ताव और एआआर
- वित्तीय वर्ष 2011–12 और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रूअप हेतु याचिका पर आदेश और जेयूएसएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ प्रस्ताव और एआआर
- झारखंड राज्य में क्रास सब्सिडी अधिभार की शुरूआत के अनुमोदन के लिए आवेदन
- विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ता से वसूल किए गए पर्यवेक्षण/सर्वेक्षण प्रभारों की वापसी के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश के लिए आवेदन का आदेश लेकिन आवेदन करने की तारीख से 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति नहीं की गई
- टाटा स्टील लि0 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमशेदपुर के अनुज्ञप्त क्षेत्र के लिए ईंधन कीमत एवं विद्युत क्रय के समायोजन को दाखिल करना
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जूसको वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ट्रूअप याचिका
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टाटा स्टील जमशेदपुर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ट्रूअप याचिका
- जमशेदपुर के अनुज्ञप्त क्षेत्र के लिए एफपीपीपीए
- मीटर में रिर्कार्ड किए गए वास्तविक पारेषण से अधिक 4 प्रतिशत पारेषण हानि की कटौती न करने के लिए डीवीसी को निर्देश देने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (एफ) के अधीन आवेदन

3.9 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघशासित प्रदेश)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश नीचे दिए गए हैं:

- याचिकाकर्ता के टैरिफ और प्रयोजना की पूर्ण/वास्तविक पूंजी लागत के अनुमोदन के लिए याचिका–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (क) और 63 के साथ पठित गोवा एवं संघशासित प्रदेश (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 3(2)(क), 3(4), 12 और 36 के अधीन विद्युत उत्पादन कंपनी
- मैसर्स कुडनकुलम न्यूक्लिअर पावर परियोजना, एनपीसीआईएल के साथ विद्युत विभाग पांडेचेरी सरकार द्वारा प्रविष्ट किए जाने वाले विद्युत क्रय करार के अनुमोदन के लिए जेईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के विनियम 7(ग) के अधीन याचिका .
- निर्बाध पहुंच के अधीन विद्युत प्राप्त करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय अतिरिक्त प्रभार के अवधारण के लिए गोवा एवं संघशासित प्रदेशों के लिए (पारेषण एवं वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2009 के लिए जेईआरसी के अधीन याचिका
- याचिका संख्या 142/2014 : निर्बाध पहुंच के अधीन विद्युत प्राप्त करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय अतिरिक्त प्रभार के अवधारण के लिए गोवा एवं संघशासित प्रदेशों के लिए (पारेषण एवं वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2009 के लिए जेईआरसी के अधीन याचिका
- याचिका संख्या 61/2012 : नवीकरणीय क्रय बाध्यता के संबंध में गोवा राज्य और संघशासित प्रदेशो के लिए (नवीकरणीय उर्जा की प्राप्ति) विनियम 2010 के लिए जेईआरसी का अनुपालन
- याचिका संख्या 145/2014 : 2014–15 अवधि के लिए कराईकल में टैरिफ पांडेचेरी कार्पोशन लि0 गैस पावर स्टेशन (32.5 मेगावाट) के अनुमोदन के लिए गोवा एवं संघशासित राज्यों के लिए (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के लिए जेईआरसी के अध्याय 2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 व 83 (4) के अधीन याचिका
- याचिका संख्या 96/2013 : वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआआर तथा टैरिफ अवधारण एवं वित्तीय वर्ष 2009.10 व वित्तीय वर्ष 2010.11 के लिए ट्रू अपए वित्तीय वर्ष 2011.12 के लिए ट्रूअपवित्तीय वर्ष 2012.13 के लिए समीक्षा। पांडेचेरी सरकार, विद्युत विभाग पांडेचेरी के लिए याचिका 96/2013

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- जेईआरसी (बहुवर्ष वितरण टैरिफ) विनियम 2014
- जेईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम 2014
- (कारोबार का संचालन) तीसरा संशोधन विनियम 2014
- (कारोबार का संचालन) चौथा संशोधन विनियम 2015
- (ओमबडसमेन की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली) द्वितीय संशोधन विनियम 2015
- (राज्य परामर्षदात्री समिति) प्रथम संशोधन विनियम 2015
- (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) प्रथम संशोधन विनियम 2015
- (नवीकरणीय उर्जा की प्राप्ति) प्रथम संशोधन विनियम 2014
- (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) द्वितीय संशोधन विनियम 2015

3.10 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

- टैरिफ आदेश पावर एवं विद्युत विभाग मणिपुर एवं मिजोरम राज्य विद्युत कंपनी लि0 के विभाग एवं मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि0 के लिए जारी किए गए
- व्यापक उपभोक्ता जागरूकता मिजोरम के विभिन्न स्थानों में आयोजित किया गया
- राज्य परामर्श समिति और समन्वय फोरम बैठके स्टेकहोल्डरों के साथ की गई

3.11 कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए :

- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए केपीटीसीएल के वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा और वित्तीय 2015 के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए बेसकाम की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा और वित्तीय 2015 के लिए संशोधित एआरआर तथा रिटेल आपूर्ति टैरिफ पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए सीईएससी की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा और वित्तीय 2015 के लिए संशोधित एआरआर तथा रिटेल आपूर्ति टैरिफ पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2013 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा का अनुमोदन, हूकेरी रेक्स के वित्तीय वर्ष 2015 के लिए एआरआर व टैरिफ का पुनरीक्षण

- वित्तीय वर्ष 2014 के लिए केपीटीसीएल के वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण
- वित्तीय वर्ष 2014 के लिए डिस्कॉम (एस्काम व बेस्काम) वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए संशोधित एआरआर व रिटेल आपूर्ति टैरिफ 6
- वित्तीय वर्ष 2014 के लिए सीईएससी की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा और वित्तीय 2016 के लिए संशोधित एआरआर तथा रिटेल आपूर्ति टैरिफ पर आदेश
- पवन उर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ का अवधारण

3.12 केरल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए :

- केरल राज्य ओमबडसमेन (सेवाओं की निबंधन एवं शर्तें) संशोधन विनियम 2014
- केएसईआरसी (कारोबार का संचालन) संशोधन विनियम 2014
- केरल विद्युत आपूर्ति कोड (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2014, दूसरा आदेश 2014, तीसरा आदेश 2014, चौथा आदेश 2014
- केएसईआरसी (कारोबार का संचालन) द्वितीय संशोधन विनियम 2014
- केएसईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन शर्तें) विनियम 2014
- केएसईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमेन) संशोधन विनियम 2014
- केएसईआरसी (कारोबार का संचालन) तीसरा संशोधन विनियम 2014
- केएसईआरसी (ग्रिड इंटरेक्टिव वितरित सौर उर्जा प्रणाली) विनियम 2014

आयोग ने वर्ष 2006 में वितरण के लिए कार्यनिष्पादन विनियम के मानक जारी किए जिन्हें बाद में 2009 में संशोधित किया गया जिसमें विनियम के गैर अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति को निर्धारित किया गया।

उक्त गतिविधियों के अलावा सामान्य किस्म की शिकायतें उपभोक्ताओं से प्राप्त की गई और उन्हें अनुज्ञप्तिधारियों के संबंधित कर्मियों के साथ उठाया गया और निपटाया गया।

याचिकाओं का निपटान

1.4.14 को अनिर्णित याचिकाओं की संख्या	30
2014.15 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	40
2014.15 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं की संख्या	41
31.3.2015 को अनिर्णित याचिकाओं की संख्या	29

3.13 मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014.15 एके दौरान आयोग ने 7 टैरिफ आदेश जारी किए। आयोग ने निम्नलिखित विनियमों को भी अधिसूचित किया :

- आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय राजपत्र (03 अक्टूबर, 2014) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से राज्य परामर्शदाता समिति को स्थापित किया।
- एमपीईआरसी (उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण.I) विनियम 2010 का तीसरा संशोधन

3.14 महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 एके दौरान आयोग ने 5 विनियमों को अधिसूचित किया :

- एमईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियोंके कार्यनिष्पादन के मानक क्षतिपूति के अवधारण और आपूर्ति के लिए अवधि) विनियम 2014
- एमईआरसी (पारेषण निर्बाध पहुंच) विनियम 2014
- एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2014
- एमईआरसी (प्लाट नं 28 राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, पेज 2, हिंजेवाडी, पुणे में आईटी एण्ड आईटीईएस सेज के लिए मैसर्स क्वाडरन बिजनेस पार्क लि0 के लिए लागू वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विनिर्दिष्ट शर्तें) विनियम 2014
- एमईआरसी (पनवेल महाराष्ट्र में सेवा क्षेत्र के लिए सेज के लिए मैसर्स आईएक्सओरा कंसट्रक्शन प्रा0 लि0 के लिए लागू वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विनिर्दिष्ट शर्तें) 10 अप्रैल, 2014 को विनियम 2014

आयोग ने निम्नलिखित के लिए टैरिफ के अवधारण और एआरआर पर आदेश जारी किए :

- वित्तीय वर्ष 2012.13के लिए अंतिम ट्रूअप के अनुमोदन के लिए एमएसपीजीसीएल याचिका
- बुटीबोरी जिला नागपुर में उत्पादन केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 और 15–16 के लिए अंतिम टैरिफ और पूंजी लागत के अवधारण के लिए वीआईपीएल याचिका
- वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए मध्यकालिक कार्यनिष्पादन समीक्षा के अनुमोदन के लिए अदानी पावर महाराष्ट्र लि0 पारेषण कारोबार द्वारा दाखिल याचिका

3.15 नागालैंण्ड विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टैरिफ आदेश जारी किए

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित विनियम

अधिसूचित किए :

- एनईआरसी (सिटिजन चार्टर) विनियम 2012 दिनांक 27 जुलाई 2014 को एसेम्बली के फ्लोर पर प्रस्तुत किया गया
- एनईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2012
- एनईआरसी (सरचार्ज और क्रास सब्सिडी की कमी के लिए रोडमैप) विनियम 2012
- एनईआरसी (नोटिस के प्रकाशन और सेवा का ढंग) विनियम 2012

3.16 उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

- राज्य उत्पादक, एसटीयू, बल्क सप्लायर और सभी डिस्कॉम के एआरआर और टैरिफ प्रत्येक वर्ष अवधारित किए जा रहे हैं। कंपनियों ने प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक अपने एआरआर आवेदन दाखिल किए हैं और सार्वजनिक सुनवाइयों का पालन करते हुए आयोग ने आवेदन के 120 दिनों के अंदर टैरिफ आदेश और एआआर जारी करता है जो आगामी वर्ष के लिए लागू होगा।
- नवीकरणीय क्रय बाध्यता, उर्जा संरक्षण और मांग पक्ष प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करनानवीकरणीय क्रय बाध्यता–
- रूफटॉप सौर पीवी परियोजनाओं और संयोजकता के लिए नेटमीटरिंग/बाई मार्गदर्शिय मीटरिंग पर आदेश जारी करना
- वाणिज्यिक प्रभाव सहित वास्तविक समय मोड में ग्रिडको और डिस्काम को शामिल करते हुए अंतःराज्यिक एबीटी (फेज.I) का कार्यान्वयन
- हानि कमी और गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति के लिए कैपेक्स कार्यक्रम के माध्यम से वितरण क्षेत्र में निधि को शामिल करना
- प्रत्येक वर्ष में सभी डिस्काम की एआरआर की ट्रूइंगअप ओर ट्रूइंगअप का प्रभाव का अगले वर्ष का एआरआर में पता लगाया जा रहा है
- बूट मॉडल के अधीन डिस्काम में स्मार्ट ग्रिड सोल्यूशन (एएमआरएण्डएएमआई) का कार्यान्वयन
- उच्च एटीएण्डसी हानि क्षेत्र में इनपुट आधारित फ्रेंचिज का प्रचालन
- डिस्काम की कुल कार्यनिष्पादन रिपोर्ट और उत्पादित वार्षिक का प्रकाशन
- पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (ओपीटीसीएल) का वार्षिक प्रणाली कार्यनिष्पादन का प्रकाशन
- वितरण प्रणाली की मौजूदा स्थिति के निर्धारण के लिए एसएसी के तीन सदस्यीय के कार्यनिष्पादन के मानक और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए ''मॉनिटरिंग समिति' का गठन और सुधार के लिए सिफारिश
- कैपेक्स में प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एसएसी सदस्यों का शामिल होना और बड़े उपभोक्ता संबद्ध मामलों का समाधान
- ओईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 की अधिसूचना
- ओईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 की अधिसूचना
- ओईआरसी (विहिलिंग टैरिफ और रिटेल आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 की अधिसूचना

3.17 पंजाब विद्युत विनियामक आयोग

आयोग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दी गई हैं:

1. टैरिफ आदेश जारी करना: वित्तीय वर्ष 2014–15 टैरिफ ओदश पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल 22 अगस्त, 2014 को जारी किया गया
2. नवीकरणीय उर्जा से उत्पादन का उन्नयनः जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 86 (1)(ड.) में दिए अनुसार उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सहउत्पादन और उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से आयोग ने अपने विनियमों के अनुसार यचिका संख्या 2014 का 42 (स्पप्रेरणा) में 5.9.2014 के अपने आदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 में आरंभ की जाने वाली नवीकरणीय उर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए जैनरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ अवधारित किया
3. उपभोक्ता क्षमता निर्माण पहलः उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए विवाद व्यवस्थापन समितियां अंचल, मण्डल और प्रभागीय स्तर पर 2006 से कार्य कर रही हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम पटियाला में मुख्यालाय सहित 2006 से कार्य कर रहा है। ओमडसमेन विद्युत, पंजाब, मोहाली 2006 से कार्य कर रहा है। आयोग इन निवारक कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है।
4. आयोग को याचिकाएंः विद्युत के वितरण और पारेषण, उत्पादन से संबंधित विषयों पर याचिकाएं विद्युत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग के समक्ष दाखिल की गई हैं। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान आयोग ने 64 याचिकाओं पर निर्णय किया है। जो टैरिफ के अवधारण, ईंधन प्रभार का उदग्रहण, निर्बाध पहुंच की अनुमति, विद्युत क्रय करार का अनुमोदन, पारेषण/विलिंग प्रभारों का अवधारण आदि के अवधारण जैसे विषयों को लेकर इनके समक्ष आाए।

5. वित्तीय 2013–14 में विनियमों की अधिसूचनाः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 में 9 विनियम अधिसूचित किए

3.18 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर आदेश जारी किए :

- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 12 (याचिका संख्या 352/12) के लिए वित्तीय 2013–14 के लिए टैरिफ का अवधारण
- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 वित्तीय 2013–14 (याचिका संख्या 353/12) के लिए एआरआर व अनंतिम टैरिफ के लिए टैरिफ का अवधारण
- केटीपीएस (यूनिट 1 से 7) एसटीपीएस (यूनिट 1 से 6) आरजीटीपीएस, डीसीसीपीपी, सीटीपपी, यूनिट 1, माहीहाइडल पावर स्टेशन और मिनी माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, आरवीयूएन वित्तीय वर्ष 2010–11 (याचिका संख्या 282/13) के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा
- केटीपीएस (यूनिट 1 से 7) एसटीपीएस (यूनिट 1 से 6) सीटीपीपी (यूनिट 1 से 2), आरजीटीपीपी, डीसीसीपीपी, जीएलटीपीएस यूनिट 2 एवं माही हाइडल पावर स्टेशन (याचिका संख्या 448/14) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए टैरिफ के अवधारण पर आयोग के 24.2.2014 के आदेश की समीक्षा
- छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट यूनिट III (1 x 250 मेगावाट) (याचिका संख्या 450/14) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 (103 दिन) के लिए एआरआर एवं अनंतिम टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए (याचिका संख्य 451/14) के लिए रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट स्टेज III (1 x 110 मेगावाट–116 दिन) के लिए एआरआर एवं अनंतिम टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए (याचिका संख्य 452/14) के लिए रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट स्टेज III (1 x 110 मेगावाट–29 दिन) और (1 x 160 मेगावाट–336 दिन) के लिए एआरआर एवं अनंतिम टैरिफ का अवधारण
- केटीपीएस (यूनिट 1 से 7) एटीपीएस (यूनिट 1 से 6) आरजीटीपीएस, डीसीसीपीपी, सीटीपीपी (यूनिट 1 व 2) तथा माही हाइडल प्रोजेक्ट और एआरआर का अवधारण और केटीपीएस (यूनिट 1 से 7) एसटीपीएस (यूनिट 1 से 6) आरजीटीपीएस, डीसीसीपीपी, सीटीपीपी (यूनिट 1 व 3) जीएलटीपीपी यूनिट 2 और माही हाइडल प्रोजेक्ट (याचिका संख्या 459/14) के लिए टैरिफ के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा का अवधारण
- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 (याचिका सं. 460/14) के लिए वित्तीय 2014–15 के वित्तीय वर्ष एआरआर एवं अनंतिम टैरिफ का अवधारण
- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 (याचिका सं. 462/14) के लिए वित्तीय 2014–15 के वित्तीय वर्ष एआरआर एवं अनंतिम टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआर के अनंतिम टैरिफ का अवधारण एवं मैसर्स राजवेस्ट पावर लि. के यूनिट 1 से 8 के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 और वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए ट्रूअप (1 x 135 प्रत्येक मेगावाट) (याचिका संख्या 464/14)
- वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए ट्रूअप के मामले में 9.10.2014 के टैरिफ आदेश की समीक्षा और आरवीयूएन के उत्पादन केन्द्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर एवं टैरिफ का अवधारण (याचिका संख्या 479/140)
- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 2 (1 x 125 मेगावाट) के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए अंतिम पूंजी लागत एआरआर एवं टैरिफ का अवधारण (याचिका संख्या 481/14)
- जिराल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 2 (1 x 125 मेगावाट) के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 के लिए अंतिम पूंजी लागत एआरआर एवं टैरिफ का अवधारण (याचिका संख्या 483/14).
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स राज वेस्ट पावर लि0 के यूनिअ 1 से 8 (प्रत्येक 135 मेगावाट) के लिए टैरिफ का अवधारण (याचिका संख्या 486/14)
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ एवं एआरआर का अवधारण और आरवीयूएन पावर स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रूअप (याचिका संख्या 491/14)
- पारेषण एवं एसएलडीसी प्रभारों की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर का ट्रूअप और आरवीपीएन का वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए (याचिका संख्या 463/14)
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आरवीपीएन की निवेश योजना का अनुमोदन (याचिका संख्या 437/14)
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एआरआर के ट्रूअप सहित जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए रिटेल आपूर्ति टैरिफ और एआरआर का अवधारण तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निवेश योजना का अनुमोदन (याचिका सं. 456/14, 457/14, 458/14 और 442/14, 444/14, 447/14).

- 16.7.2014 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आरंभ किए जाने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में पवन उर्जा संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए जैनरिक टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आरंभ किए जाने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में बायोमास और बायोगैस आधारित उर्जा संयंत्र से विद्युत की बिक्री के लिए जैनरिक टैरिफ का अवधारण और 23.7.2014 के आदेश के माध्यम से 2009–14 अवधि के दौरान आरंभ किए जाने वाले बायोमास उर्जा संयंत्रों का संशोधित उर्जा प्रभार
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लागू सौर थर्मल पावर परियोजनाओं एवं सौर पीवी के लिए बेंचमार्च पूंजी लागत का अवधारण और 21.8.2014 के आदेश के माध्यम से जैनरिक स्तरीकृत टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए डिस्कॉक का एआरआर का ट्रूइंग अन्तरराज्यिक पारेषण याचिका संख्या 394 / 13, 397 / 13, 406 / 13.
- जोधपुर डिस्काम के वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए विद्युत क्रय की कुल लागत का अवधारण (याचिका संख्या 427 / 13).
- जोधपुर डिस्काम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विद्युत क्रय की कुल लागत का अवधारण (याचिका संख्या 428 / 13).
- जयपुर डिस्काम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विद्युत क्रय की कुल लागत का अवधारण (याचिका संख्या. 432 / 13).
- अजमेर डिस्काम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विद्युत क्रय की कुल लागत का अवधारण (याचिका संख्या. 426 / 13).

आयोग ने मौजूदा विनियमों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए:.

- आरईआरसी (नवीकरणीय उर्जा बाध्यता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014
- आरईआरसी (सेवा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014
- आरईआरसी (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें–पवन एवं सौर उर्जा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015
- आरईआरसी (नवीकरणीय उर्जा बाध्यता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित विनियम जारी किए:

- आरईआरसी (रूफटॉप और लघु सौर ग्रिड इन्टरेक्टिव प्रणालियों के लिए संयोजकता एवं नेट मीटरिंग) विनियम, 2015.

3.19 सिक्किम विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय 2014–15 और 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया। इसके अलावा आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया :

- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इन्टरेक्टिव वितरित सौर उर्जा प्रणाली) विनियम, 2014
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षी टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियमए 2015

3.20 तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए :

- सौर उर्जा पर व्यापक टैरिफ आदेश
- उत्पादन वितरण के लिए टैरिफ के स्वप्रेरणा अवधारण पर आदेश
- पारेषण टैरिफ के तथा अन्य संबद्ध प्रभारों के स्वप्रेरणा अवधारण पर आदेश
- टीएनईआरसी (नवीकरणीय उर्जा क्रय बाध्यता) विनियम 2010 के अधीन वर्ष 2014–15 के लिए टेनगेडकों द्वारा प्रतिदेय उर्जा क्रय की पूरी पूल लागत पर आदेश

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- उपभोक्ता निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमेन के विनियम में संशोधन
- एसएसी विनियमों में संशोधन
- ग्रिड संयोजकता और अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच विनियम 2014
- टैरिफ विनियम 2005 की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन
- वितरण कोड में संशोधन
- आपूर्ति कोड में संशोधन

3.21 त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रूअप याचिका में आयोग का आदेश, वित्तीय 2013–14 के लिए पुनरीक्षण याचिका और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए त्रिपुरा राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि0 द्वारा एआरआर याचिका

3.22 उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

- प्रथम डीएसएम विनियम 2014 जारी किया गया
- रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इन्टरेक्टिव सकल / निवल मीटरिंग विनियम, 2015 जारी किया गया

- एलईडी के यूपी बड़े वितरण राज्य में उर्जा कुशलता को विकसित करना और उनको सरल बनाया गया
- सरकारी कार्यालयों में एलईडी के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य के कोश में 80 करोड़ रूपये का अंशदान किया गया।
- सभी डिस्कॉम को उर्जा कुशलता/एयरकंडीशन/पंपो और अन्य उपकरणों इत्यादि के प्रयोग के सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया
- सौर वाटर हीटरों के उपयोग के विकास को सरल बनाना
- 0.25% छूट समय पर बिजली के बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को दी गई
- अग्रिम भुगतान के लिए उपभोक्ताओं हेतु व्यवस्था की गई है
- उन क्षेत्रों में आपूर्ति के घण्टे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई जहां आयोग द्वारा वितरण हानि के लिए लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है

3.23 उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादन कंपनी यूजेवीएन लि0 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया जिसमें आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 445. 12 रूपये के स्थान पर 488.77 करोड़ रूपये के एएफसी को अनुमोदित किया।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उत्तराखण्ड राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पीटीसीयूएल के लिए टैरिफ आदेश जारी कियाजिसमें आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 159.54 रूपये के स्थान पर 195.63 करोड़ रूपये के एटीसी को अनुमोदित किया।
- आयोग ने एसएलडीसी के लिए टैरिफ आदेश जारी किया जिसमें आयोग ने 7.13 करोड़ रूपये के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एसएलडीसी प्रभारों को अनुमोदित किया
- एमवाईटी विनियमों के अनुसार ईंधन प्रभार समायोजन तंत्र है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए अनुमोदित एआरआर आदेश में ईंधन प्रभारों के स्थान पर ईंधन प्रभारों के पुनरीक्षण पर व्यय में कमी का अनुमोदन प्राप्त कर रहा है।
- आयोग ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की आपूर्ति के लिए नवीकरणीय उर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 16 ड्राफ्ट पीपीए अनुमोदित किए।
- आयोग ने मैसर्स हिम उर्जा प्रा0 लि0 द्वारा दाखिल याचिका पर आदेश जारी किया जिसमें 15 मेगावाट क्षमता का वनाला एसएचपी का टैरिफ के अवधारण की मांग की गई। 4% की मानकीय सीयूआर प्राप्त करने में राज्य के परियोजना विकासकर्ता द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए और एसएचपी के संबंध में तदनुरूपी एएफसी की वसूली को देखते हुए आयोग ने उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति के लिए और गैर उष्णीय ईंधन आधारित सहउत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम 2013 नामक मूल विनियम में संशोधन जारी किया जिसके माध्यम से एसएचपी का मानकीय सीयूएफ 40% तक पुनरीक्षित किया गया।
- आयोग ने यूईआरसी (नए एचटी एवं ईएचटी संयोजनों को रिलीज करना, भार की वृद्धि एवं कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 जारी किया जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा कंट्रेक्ट किए गए भार में वृद्धि/कमी से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। आयोग ने पूर्ववर्ती विनियम यूईआरसी (कारोबार का संचान) विनियम 2004 को निरस्त करते हुए यूईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम 2014 जारी किया।
- आयोग ने यूईआरसी (नियुक्ति एवं कार्यरत ओमबडसमेन) (तीसरा संशोधन) विनियम 2014 जारी किया जिसके माध्यम से ओमबडसमेन का पात्रता मानदण्ड और अवधि पुनरीक्षित की गई।
- आयोग ने यूईआरसी (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014 जारी किया जिसके माध्यम से पूर्णकालिक नियुक्त परामर्शदाताओं के लिए छुट्टी की स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधान आरंभ किए गए।
- आयोग ने यूईआरसी (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए क्रियाविधि) विनियम 2014 जारी किया।

3.24 पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए :

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एपीआर पर आदेश
- वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के लिए 4.3.2015 का टैरिफ आदेश
- 2014–2015, 2015–2016 और 2016–2017 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के टैरिफ आवेदन से संबंधित डब्ल्यूबीएसईडीसीएल का आदेश
- 2014–2015, 2015–2016 और 2016–2017 के लिए सीईएससी के लिए 4.3.2015 का टैरिफ आदेश
- 2011–2012, 2012–2013 और 2013–2014के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि0 के टैरिफ आवेदन के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी का आदेश

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एफओआर की वार्षिकी विवरणी

सेवा में,

सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालय मार्फत केविविआ
तीसरी व चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की सलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वितीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना हैं

हमनें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते है और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच की जाती है जिसे वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रगटन ने सहायता ली जाती है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अलावा क्षमता निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त रू.75.00 लाख की वित्तीय सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आगे ले जाई गई।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धान्तों के अनुसार इसे उचित एवं सही रूप में दिया गया है।

क) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एमबीआर एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

(मुकेश कुमार)
साझेदार
सदस्यता सं. 511275

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10/06/2015

31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि (₹ में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार
निधि का स्रोत			
कोरपस निधि		37010643	37010643
योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श)	1	8166743	9312743
एमएनआरई निधि (आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)	2	10885016	9805454
अधिशेष निधि (आय एवं व्यय खाते से अंतरित)	3	26736295	24427383
चालू देयताएं			
प्रतिदेय व्यय	4	2899374	4418913
प्रतिदेय व्यय (योजना निधि)		582321	-
नकदी खाता (बैंक शेष)	5	22040	103613
कुल		**86302432**	**85078749**
निधि का प्रयोग			
अचल आस्तियाँ	6		
सकल अचल आस्तियाँ		616409	609919
घटा : मूल्यह्रास		572429	557780
निवल अचल आस्तियां		43980	52139
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
ऋण एवं अग्रिम	7	2647477	2381643
जमा प्रतिभूति (एमटीएनएल)		3000	3000
नकद एवं बैंक शेष	8	83607975	82641967
कुल		86302432	85078749

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि (₹ में)

विवरण	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	
आय	-			
	-			
सदस्यता अंशदान		9000000		8700000
बचत खाते पर ब्याज		969		756
कोरपस निधि एफडीआरआर पर ब्याज (टीडीएस = ₹ 3,59,131/–)		3591298		3520321
आटो स्वीप एफडीआर पर ब्याज (टीडीएस = ₹ 2,41,942/–)		2419088		2056674
एफडीआर ब्याज		-		57866
आयकर रिफंड से ब्याज		63647		-
आरटीआई फीस		20		-
रिटन–ऑफ अधिक प्रावधान		-		4378
कुल–क		**15075023**		**14339995**
व्यय	-			
	-			
बैठक एवं सेमिनार व्यय		2330275		1140215
वेतन व्यय		2850765		2124688
क्षमता निर्माण व परामर्श		4216509		4877788
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान (पूर्व वर्षों के लिए प्राप्य टीडीएस)		-		1884216
सचिवालय व्यय				
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	596222		80398	
ऑडिट फीस	27527		19800	
बैंक प्रभार	213		676	
कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	3260		-	
मूल्यह्रास	14649		27850	
श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	732379		231035	
विधिक एवं व्यवसायिक प्रभार	201666		554476	
अन्य व्यय	32686		342448	
टेलीफोन व्यय	23977		34966	
मुद्रण एवं लेखन साम्रगी व्यय	75421		6069	
यात्रा व्यय	60562		42670	
प्रशासनिक व्यय	1600000	3368562	1600000	2940388
कुल–ख		**12766111**		**12967295**
वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष (घाटा) (क–ख)		**2308912**		**1372700**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–1

योजना निधि (परामर्श एवं क्षमता निर्माण)

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–2015	वित्तीय वर्ष 2013–2014
आरंभिक शेष	**9312743**	14,349,870
जोड़े:		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 1,17,502/–)	**1176144**	534903
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**7500000**	4500000
अन्य आय	**-**	**4015**
कुल	**17988887**	**19388788**
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	**1980888**	3003083
क्षमता निर्माण	**583806**	7036515
बैंक प्रभार	**847**	272
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**1355068**	36,175
खर्च न की गई वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**5901535**	-
कुल	**9822144**	10076045
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**8166743**	**9312743**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–2

एमएनआरई निधि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–2015	वित्तीय वर्ष 2013–2014
आरंभिक शेष	**9805454**	9672934
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 91,954/–)	**920592**	651758
वित्तीय सहायता की खर्च न की गई राशि के लिए वापसी	**159000**	-
कुल	**10885046**	**10324692**
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क	**-**	519182
बैंक प्रभार	**30**	56
कुल	**30**	519238
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**10885016**	**9805454**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–3

अधिशेष निधि

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–2015	वित्तीय वर्ष 2013–2014
प्रारंभिक शेष	**24427383**	23054683
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष/(घाटा) (आय एवं व्यय लेखा के अनुसार)	**2308912**	1372700
कुल	**26736295**	**24427383**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–4

प्रतिदेय निधि

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
प्रतिदेय प्रशासकीय लागत (केविविआ को सचिवालय लागत)	**1600000**	1600000
विज्ञापन एव प्रचार व्यय	**93430**	70054
प्रतिदेय लेखापरीक्षा की फीस	**25080**	19800
प्रतिदेय कैंटिन व्यय	**3245**	7023
प्रतिदेय कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	**-**	-
प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**88365**	**23654**
प्रतिदेय मीटिंग व्यय	**201627**	**-**
प्रतिदेय कार्यालय व्यय (केविविआ गेस्ट हाउस)	**-**	**311990**
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	**250**	**1225**
प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (फोरम फंड)	**128333**	**551667**
प्रतिदेय वेतन	**351352**	**320502**
प्रतिदेय टेलीफोन व्यय	**4544**	**2194**
प्रतिदेय ट्रेनिंग व्यय (फोरम फंड)	**403148**	**1510804**
कुल	**2899374**	**4418913**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–5

31.03.2015 को बैंक शेष

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
बैंक ऑफ इंडिया – 2258	**4129**	51408
कार्पोरेशन बैंक – CLSB/01/120018	**-**	52205
कार्पोरेशन बैंक – CNPSB/01/140004	**17911**	-
कुल	**22040**	**103613**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–6

31 मार्च, 2015 को आय कर के अनुसार अचल आस्ति अनुसूची

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	01.04. 2014 को लागत/ मूल्यांकन	"वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां"	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	01.04. 2014 को	आरंभ में	"वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां"	वर्ष के दौरान कटौतियां पर	31.03. 2015 तक कुल	31.03. 2015 को	31.03. 2014 को
–											
कंप्यूटर	**509045**	0	0	**509045**	**496736**	7385	0	0	**504121**	**4924**	12309
प्रिंटर	**32198**	0	0	**32198**	**17354**	2227	0	0	**19581**	**12617**	14844
हीट ब्लोवर	**16200**	0	0	**16200**	**6998**	1380	0	0	**8378**	**7822**	9202
माईक्रोवेव	**7200**	0	0	**7200**	**3110**	614	0	0	**3724**	**3476**	4090
यूपीएस	**17451**	0	0	**17451**	**7538**	1487	0	0	**9025**	**8426**	9913
वॉयस रिकॉर्डर	**0**	6490	0	**6490**	**0**	0	487	0	**487**	**6003**	0
लैपटॉप	**27825**	0	0	**27825**	**26044**	1069	0	0	**27113**	**712**	1781
कुल	**609919**	**6490**	**0**	**616409**	**557780**	**14162**	**487**	**0**	**572429**	**43980**	**52139**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	609919	0	0	609919	529930	27850	0	0	557780	52139	

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–7

लोन्स एंड एडवांस

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
स्रोत पर काटा गया कर		
वित्तीय वर्ष 2005–06 के स्रोत पर काटा गया कर	**22073**	22073
वित्तीय वर्ष 2006–07 के स्रोत पर काटा गया कर	**261060**	261060
वित्तीय वर्ष 2007–08 के स्रोत पर काटा गया कर	**453260**	453260
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–बैंक ऑफ इंडिया	**98840**	98840
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**402430**	402430
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर–बैंक ऑफ इंडिया	**315090**	315090
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**17509**	17509
वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्रोत पर काटा गया कर	**313954**	313954
	1884216	1884216
वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्रोत पर काटा गया कर	**483006**	483006
वित्तीय वर्ष 2012–13 के स्रोत पर काटा गया कर	**-**	670063
वित्तीय वर्ष 2013–14 के स्रोत पर काटा गया कर	**681937**	681937
वित्तीय वर्ष 2014–15 के स्रोत पर काटा गया कर	**810529**	-
	3859688	3719222
घटाएं: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान (अर्थात पूर्व वर्षों के लिए प्राप्य टीडीएस)	**1884216**	1884216
कुल (क)	**1975472**	**1835006**
पूर्वप्रदत्त व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव)		
वित्त वर्श 2014–15 के लिए	**-**	368
कुल (ख)	**-**	368

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–7

ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
बकाया अंशदान		
आरंभिक शेष	**0**	125000
जोड़े : वर्ष के लिए प्राप्य	**-**	-
घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त	**-**	125000
कुल (ग)	**-**	**0**
उपचित ब्याज		
कॉर्पोरेशन बैंक के पास कॉरपस निधि एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**135748**	151263
कॉर्पोरेशन बैंक के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**208456**	269235
बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**273065**	-
कुल (घ)	**617269**	**420498**
अन्य		
सहायक संपदा निदेशक (नकद), विज्ञान भवन, नई दिल्ली	18200	49000
सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिटयूट	11536	-
भारतीय विनियामक फोरम	-	20000
आईटीडीसी लि. यूनिट विज्ञान भवन, नई दिल्ली	-	26771
ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि.	25000	-
ट्रेनिंग व्यय (आईआईएम, अहमदाबाद)	-	30000
कुल (ई)	**54736**	**125771**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ई)	**2647477**	**2381643**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

अनुसूची–8

31.03.2015 को बैंक शेष

राशि (₹ में)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
नकद खाता – अग्रदाय	**2500**	2500
बैंक ऑफ इंडिया – 2806	**25371**	26000
कॉर्पोरेशन बैंक – CLSB/01/120018	**15125**	-
ऑटोस्वीप/फलेक्सी जमा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा :		
बैंक ऑफ इंडिया के पास (एमएनआरई A/C)	**10522336**	9666824
बैंक ऑफ इंडिया के पास (प्लान A/C)	**8403000**	9240000
कार्पोरेशन बैंक के पास (फोरम A/C)	**27629000**	26696000
एफडीआर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा :		
कार्पोरेशन बैंक के पास (कोरपस फंड)	**37010643**	37010643
कुल	**83607975**	**82641967**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता का लेखा विवरण

राशि (₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–2015	वित्तीय वर्ष 2013–2014
आरंभिक शेष	**9312743**	14,349,870
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 1,17,502/–)	**1176144**	534903
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**7500000**	4500000
अन्य आय	**-**	4015
कुल	**17988887**	19388788
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	**1980888**	3003083
क्षमता निर्माण	**583806**	7036515
बैंक प्रभार	**847**	272
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**1355068**	36,175
खर्च न की गई वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**5901535**	-
कुल	**9822144**	10076045
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**8166743**	**9312743**
* The financial assistance of ₹ 75 Lacs received by "FOR" from MoP for the F.Y. 2014-15, towards Capacity Building, has been carried forward to the F.Y. 2015-16.		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

मुकेश कुमार
(साझेदार)
एम.नं. 511275

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10–06–2015

विनियामक फोरम
अनुसूची 9: (31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल है। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उदभूत आंकड़ों का संकलनय
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करनाय
- अधिनियम के अधीन यथाअपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

एमएनआरई की पृष्ठभूमि

एमएनआरई भारत सरकार ने आरईसी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एफओआर को 24.08.2010 को तीन करोड़ की राशि रिलीज की, 31.03.2015 तक 2.234 करोड़ रूपये (पूर्व वर्ष में रु. 2.25 करोड़) तक रकम कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की गई जिसमें रु. 0.97 करोड़ (पूर्व वर्ष में 1.53 करोड़ रूपये) की प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। प्रयोक्ता प्रमाण पत्र की शेष रकम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम 56 की धारा 211(3)(घ) के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बटटा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है। आस्तियों का बटटा खाते डाली गई पद्धति वित्तीय वर्ष 2012–13 तक नियत आस्ती अनुसूची में दर्शायी गई।

नियत आस्ती अनुसूची प्रस्तुति चालू वित्तीय वर्ष से परिवर्तित हो गई है जहां चालू वर्ष तक दी गई नियत आस्तियां और कुल मूल्यह्रास की सकल ब्लॉक का उल्लेख किया गया।

4. प्रत्यक्ष कर

विनियामक फोरम ने 13.12.2011 को आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई आयकर विवरणी छूट प्रदान करने की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए दाखिल नहीं की गई है। सूचना/दस्तावेज 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीटी नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज जिसे क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु.1884216/– की राशि वित्तीय वर्ष 2005–6 से 2010–11 के लिए टीडीएस आय एवं व्यय खाते में वसूली की संदिग्धता के रूप में उपलब्ध किया गया।

एफओआर वित्तीय वर्ष 2011–12 से छूट प्रदान करने की आशा से शून्य आय संगणना करते हुए आयकर विवरणी दाखिल करता रहा है।

छूट के संबंध में मामला साफिर के कर परामर्शदाता द्वारा सीबीडीटी के साथ किया गया। एफओआर सीबीडीटी के साथ मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ कर परामर्शदाता की सेवाओं पर किराये की प्रक्रिया में हैं।

आकस्मिक देयता की रकम जो आयकर छूट प्राप्त न करने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया और प्रदान नहीं किया गया।

अप्रत्यक्ष कर

एफओआर सेवा कर और रिवर्स प्रभार तंत्र की प्रयोज्यता के बारे में विधिगत राय प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

5. तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य

कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2013 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

7. ऑटो स्वीप/फलेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फलेक्सी डिपॉजिट में अल्पकालिक जमा और एफडीआर को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

8. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिव

31.3.2015 को विनियामक फोरम के सदस्य

अनुबंध – I

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
1	श्री गिरीश भा. प्रधान	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक फोरम के सदस्य		
2	श्री जस्टिसजी भवानी प्रसाद	अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
3	श्री दिग्विजय नाथ	अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
4	श्री नाबा कुमार दास	अध्यक्ष, असम विद्युत विनियामक आयोग
5	श्री उमेश नारायण पानजीर	अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग
6	श्री नारायण सिंह	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग
7	श्री पी. डी. सुधाकर	अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
8	श्री प्रवीण भाई पटेल	अध्यक्ष, गुजरात विद्युत विनियामक आयोग
9		अध्यक्ष, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
10	श्री सुभाष चंदर नेगी	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
11	श्री बशारत अहमद धर	अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग
12	जस्टिस (सेवा निवृत्त) श्री एन एन तिवारी	अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग
13	श्री एस. के. चतुर्वेदी	अध्यक्ष, गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
14		अध्यक्ष, मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
15		अध्यक्ष, कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग
16	श्री टी. एम. मनोहरन	अध्यक्ष, केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग
17	डॉ. देवराज बिर्दी	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
18	सु श्री चन्द्र अय्यंगर	अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग
19	श्री मानआनंद कुमार	अध्यक्ष, मेघालय राज्य विद्युत आयोग
20		अध्यक्ष, नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग
21	श्री सत्यप्रकाश नंदा	अध्यक्ष, ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग
22	सु श्री रोमिला दूबे	अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग
23	श्री विश्वनाथ हिरेमथ	अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
24	श्री टी टी दोर्जी	अध्यक्ष, सिक्किम राज्य बिजली विनियामक आयोग
25	श्री एस अक्षय कुमार	अध्यक्ष, तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग
26	श्री आई. ए खान	अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग
27		अध्यक्ष, त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग
28	श्री देश दीपक वर्मा	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
29	श्री सुभाष कुमार	अध्यक्ष, उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग
30		अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

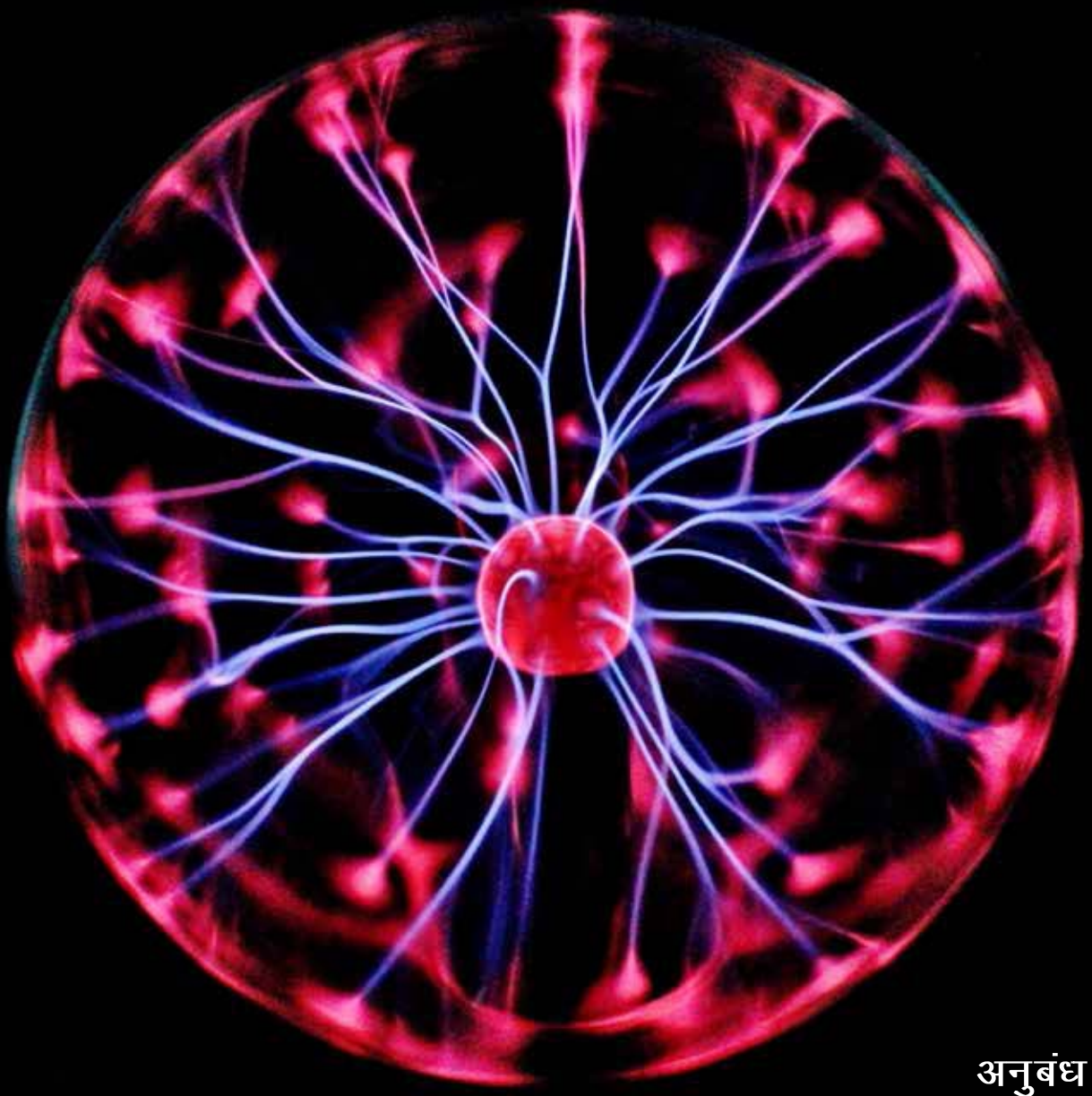

अनुबंध - II

राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति

विषयसूची

1.	ग्रिड कोड	43
2.	तकनीकी उन्नयन	45
3.	निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार	49
4.	कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां	56
5.	मीटरिंग योजनाएं	60
6.	एचवीडीएस, स्काडा एवं डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन	65
7.	कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड	68
8.	सीजीआर फोरम की स्थापना एवं ओमबडसमैन	71
9.	उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण	74

ग्रिड कोड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध

राज्य विनियामक आयोग जिन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है उन्हें सितंबर 2005 तक अधिसूचित करनी चाहिए।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
1.	आंध्रप्रदेश	–	27.08.2010 को ड्राफ्ट ग्रिड कोड जारी किया गया और अंतिम ग्रिड कोड अभी अधिसूचित किया जाना है।
2.	बिहार	20.007.2010	बीईआरसी ने 20.07.2010 को बिहार विद्युत ग्रिड कोड को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	पहली बार ग्रिड कोड 30.12. 2006 को अधिसूचित किया गया था और इसे 31 / 12 / 2011 को अधिसूचित नए ग्रिड कोड रद्द कर दिया है।	अधिसूचित
4.	दिल्ली	31.03.2008	डीईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2008 31.03.2008 F.17 (14) Engg / DER-C / 2003.04 / 151के माध्यम से अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी में आईईजीसी ग्रिड कोड 2010 के संबंध में मौजूदा उपबंधों की समीक्षा के लिए ग्रिड समन्वय समिति गठित की और डीजीसी 2008 में संशोधनों की सिफारिश की। आयोग के अनुमोदन के बाद प्रस्तावित संशोधन एनसीडी के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
5.	गोवा एवं संघशा. सित प्रदेश	04.08.2010 को ग्रिड कोड अधिसूचित किया	पहले से अधिसूचित
6.	गुजरात	16 / 07 / 2013	जीईआरीस विनियम 2014 16.7.2013 को अधिसूचित किया गया।
7.	जम्मू और कश्मीर	20 नवंबर, 2007	जेएण्डके राज्य विद्युत ग्रिड कोड अधिनियम अधिसूचना संख्या 8 / JKSERC / 2007 के माध्यम से अधिसूचित मौजूद है।
8.	झारखण्ड	04 / 02 / 2009	जेएसईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2008 अधिसूचित
9.	कर्नाटक	2006 में अधिसूचित कर्नाटक विद्युत ग्रिड एवं वितरण कोड	आईईजीसी 2010 के अनुपालन के लिए संशोधित ग्रिड कोड एवं वितरण कोड अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
10.	केरल	केरल राज्य विद्युत ग्रिड कोड, 2005	कार्यान्वित किया जा रह है।
11.	महाराष्ट्र	15.02.2006	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2006 01 अप्रैल 2006 से लागू हुआ है।
12.	मध्य प्रदेश		एम.पी. विद्युत ग्रिड कोड 6.8.2004 को अधिसूचित हुआ और 24.10.2005 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हुआ। एनपीईआरसी ने 24.10.2005 को एनपी विद्युत ग्रिड कोड के प्रथम पुनरीक्षण को अधिसूचित किया।
13.	मणिपुर और मिज़ोरम	02.07.2010	प्रथम संशोधन 7.7.2014 को अधिसूचित किया।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
14.	नागालैण्ड	09 मई, 2012	एनईआरसी ने विनियमों को अधिसूचित व अंतिम रूप दिया लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।
15.	उड़ीसा	14 जून, 2006	उड़ीसा ग्रिड कोड विनियम पहले से लागू है।
16.	पंजाब	पीएसईआरसी (पंजाब राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2013 अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी / सचिव / विनियम 80 दिनांक 14.2.2013 के माध्यम से अधिसूचित किए गए।	
17.	सिक्किम	27 जून 2013	सिक्किम एसईआरसी यद्यपि 2003 में गठित हुआ लेकिन आयोग प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अप्रैल 2011 से प्रचालनगत हुआ। इस प्रकार सिक्किम एसईआरसी ने इस विनियम की अधिसूचना के लिए समय लिया।
18.	तमिलनाडु	19 अक्टूबर, 2005	तमिलनाडु विद्युत ग्रिड कोड को दिनांक 19.10.2005 की अधिसूचना सं. TNERC/GC/13/1 के माध्यम से आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया। दिनांक 12.9.2013 को संशोधन जारी किया गया जिससे सभी नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए प्रेषण व अनुसूचीकरण संभव हुआ।
19.	त्रिपुरा	15 जुलाई, 2011	राजपत्र अधिसूचना के बाद यह त्रिपुरा में अब तक लागू है।
20.	उत्तराखण्ड	09 अप्रैल, 2007	अधिसूचित
21.	उत्तर प्रदेश	18 अप्रैल, 2007	लागू
22.	पश्चिम बंगाल	12.01.2006 22.05.2009	प्रथम अधिसूचना No.26 / WBERC को 12.1.2006 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद 22.5.2009 के संशोधन सहित 4.4.2007 की अधिसूचना No.34 / WBERC के माध्यम से नए विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तकनीकी उन्नयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध :

विनियामक आयोगों को गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवक उपलबध करवाने की आवश्यकता है। इसमें संप्रेशण तथा वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता सहित भार प्रेषण सुविधाएं अपेक्षित हैं। यद्यपि यह प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों में मौजूदा मामला है तथापि उपयुक्त राज्य आयोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी उन्नयन सहित सुविधाएं राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाई गई हैं जहां आवश्यक हैं जो जून 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
1.	आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश राज्य ने 'एपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस व प्रभारों की वसूली व उगाही) विनियम 2006' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–7 से वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण सहित भार प्रेषण सुविधाएं हैं और यह 27.7.2007 को अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी गतिविधि में निवेश वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता एवं प्रेषण प्राप्ति के लिए एसएलडीसी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमति दी जा रही है और यह दूसरी नियंत्रण अवधि 2009–10 से 2013–14 के स्थान पर हैं।
2.	बिहार	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए डीईआरसी ने 20.5.2006 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) बनाया।
3.	छत्तीसगढ़	स्काडा प्रणाली परिचालन में है और आरओयू को वास्तविक समय डाटा की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एसएलडीसी में स्थापित किया गया।
4.	दिल्ली	1. सभी तीन डिस्कॉम द्वारा बिलिंग पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर लगभग 95% मामलों में स्थापित है। 2. एचवीडीएस / एलटी (एबी) कंडक्टर स्थापन्न एटीएण्डसी हानि कमी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है। 3. गैस स्विचगियर की स्थापना दिल्ली ट्रांसको लि. और डिस्कॉक द्वारा की जा रही है ताकि 200 केवी ग्रिड उपकेन्द्र में जीआईएस दबाव को कम किया जाए। रिज वैली, डायम, एम्स (ट्रॉमा सेंटर) और इलेक्ट्रिक लेन उपकेन्द्र को आरंभ किया गया है। 4. हाई उच्च उपभोक्ताओं के लिए आटोमेटिक मीटर रीडिंग। टीपीपीडीएल ने वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 11 किलोवाट और अधिक के कनेक्शन को कवर किया है और एएमआर के अधीन औद्योगिक कनेक्शन के अलावा घरेलू कनेक्शन के लिए 16 किलोवाट और अधिक को कवर किया है। 5. डिस्कॉक वितरण नेटवर्क की रोजमर्रा की मॉनिटरिंग में उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग और मैपिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 6. डीटी मीटरिंग पूरी हो गई है। 7. स्काडा प्रणाली स्थापना पूरी हो गई है। एसएसडीसी पूर्णतः कार्यातमक है और आरएलडीसी से समुचित रूप से इन्टरफेस हैं और डिस्कॉम नियंत्रण प्रणाली केन्द्रों से संबद्ध हैं। एसएलडीसी अन्तः राज्यिक एबीटी की शुरूआत के लिए पहला राज्य होने के नाते फिर अंतःराज्यिक एबीटी सफलतापूर्वक करते हुए 'प्रणाली प्रचालन' का प्रचालन कर रहे हैं। एसएलडीसी ने मैरिट प्रेषण सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम वार अनुसूचीकरण को सरल बनाया।
5.	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सरल फ्रेमवर्क 11.2.2010 के विनियम के माध्यम से पहले से लागू है। भार प्रेषण सुविधाओं के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से पहले से प्रगति पर है और प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किय जा रहा है।
6.	गुजरात	पूर्णतः राज्य भार प्रेषण केन्द्र और तीन उप एसएलडीसी उचित संचार और डाटा अधिग्रहरण प्रणाली सहित राज्य में प्रचालन में है।

7.	जम्मू और कश्मीर	जेएण्डके राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण और वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2006 को 6/J&KSERC/2006 के माध्यम से अधिसूचित है और इसे 1 मेगावाट और अधिक के लिए उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच की अनुमति है। एसएलडीसी श्रीनगर में उपभार प्रेषण केन्द्र सहित जम्मू में पहले से स्थापित है। दोनों को वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण से संबंद्ध किया गया है। मॉडल एफओआर विनियमों पर आधारित जेकेएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2015 को 10.7. 2015 को अधिसूचित किया गया जिससे पूर्ववर्ती विनियमों को निरस्त किया गया।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।
9.	कर्नाटक	राज्य पारेषण कंपनी ने समन्वित स्काडा योजना के अधीन स्काडा के उन्नयन का कार्य किया है और तकनीकी उन्नयन के भाग के रूप में 33 केवी उपकेन्द्र स्तर के लिए स्काडा के कार्यान्वयन को पूरा किया है। निर्बाध पहुंच के लिए विनियामक फ्रेमवर्क 1 मेगावाट और अधिक की कॉन्ट्रेक्ट मांग सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए 2006 में आरंभ किया गया।
10.	केरल	केएसईआरसी (संयोजकता और अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच) विनियम, 2013 20.11.2013 को अधिसूचित किया। वास्तविक समय स्काडा कार्यान्वित किया गया और बड़े ग्रिड घटकों से डाटा एसएलडीसी में मॉनिटर किया गया।
11.	महाराष्ट्र	1. 10 जून, 2004, को आयोग ने राज्य में वितरण प्रणाली में निर्बाध पहुंच की शुरूआत में एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 अधिसूचित किया। 21 जून, 2005 को उक्त विनियम को एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2005 से अधिक्रमित किया गया। 2. आयोग ने पूर्ववर्ती विनियमों का अधिक्रमण करते हुए 25 जून, 2014 को एमईआरसी (पारेषण निर्बाध पहंच) विनियम, 2014 तथा एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 को अधिसूचित किया। 3. एमएसएलडीसी द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। – अंतःराज्यिक एबीटी तंत्र के लिए बीएसएम सॉफ्टवेयर (रु. 250.62 लाख) – वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण की वृद्धि (रु. 350 लाख)
12.	मध्य प्रदेश	राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्काडा ने संचार प्रणाली को बढ़ाया। इसकी केपेक्टस अपेक्षा एबीटी एवं ईए प्रणाली आदि की उन्नयन के लिए वित्तीय 2015–16 तक की गई और आरएलडीसी सुविधाओं से मिलान करते हुए एमपीईआ. रसी द्वारा अनुमोदित की गई। आयोग ने 18 जून, 2014 को वित्तीय 2015–15 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों के लिए उदग्रहण व वसूली के लिए तथा 31.03.2015 को वित्तिय वर्ष 2016–16 को आदेश जारी किया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों का उदग्रहण और वसूली के संबंध में याचिका हाल ही में दाखिल की गई और वह प्रक्रिया के अधीन है।
13.	मणिपुर और मिज़ोरम	स्काडा के साथ एसएलडीसी को अद्यतन करना जारी है।
14.	नागालैण्ड	सुविधाजनक की गई
15.	उड़ीसा	ओईआरसी (निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 और ओईआरसी (निर्बाध पहुंच प्रभारों का अवधारण) विनियम, 2006 क्रमशः 21.6.2005 और 18.07.2006 को पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं। उत्पादक से 1 मेगावाट से अधिक की विद्युत की निर्बाध पहुंच की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को 01 जनवरी, 2009 से अनुमति दी गई है जबकि किसी अनुज्ञप्तिधारी से 1 मेगावाट की 01 अप्रैल 2008 से अनुमति दी गई है। आयोग ने एसटीयू से एसएलडीसी की प्रथक्करण के लिए कदम उठाए हैं। एसएलडीसी निर्बाध पहुंच लागू करने की प्रक्रिया के लिए पूर्णतः संगठित है। एसएलडीसी में वित्तीय 2009–10 से आंरभ आयोग के साथ टैरिफ आवेदन और एआर दाखिल करना आरंभ कर दिया है। ओईआरसी में ओईआरसी (एसएलडीसी के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2010 उड़ीसा में एसएलडीसी कार्य के लिए वार्षिक फीस व प्रभार के उदग्रहण के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि एसएलडीसी के उर्जा लेखांकन एवं व्यवस्थापन्न प्रणाली तंत्र को 1.4.2011 से कार्य करना चाहिए और सभी स्टेकहोल्डरों को मासिक उर्जा लेखांकन, साप्ताहिक रिएक्टिव उर्जा लेखा तैयार करना और जारी करना चाहिए। तदनुसार एसएलडीसी मासिक उर्जा लेखा, साप्ताहिक यूआई लेखा इत्यादि तैयार कर रही है।

16.	पंजाब	पीएसटीसीएल (पूर्व पीएसईबी) में पहले ही अगस्त 2002 से आंरभ यूएलडीसी योजना के अधीन पीजीसीआईएल से संबद्ध ईएमएस/स्काडा प्रणाली को स्थापित किया है। पीएसटीसीएल ने पहले ही 49 आरटीयू (31 नं. 220 केवी ओर 18 नं. 132 केवी जो क्रमशः 57 नं. और 78 नं. से हैं) जिसमें सभी 220 केवी और 132 केवी उत्पादन केन्द्र, 220 केवी और 132 केवी महत्वपूर्ण 220 केवी केन्द्रों सहित अन्तरराज्यिक टाइ लाइनों को कवर किया गया है। 42 नं. आरटीयू की प्राप्ति उन्नत अवस्था में है और एलओआई से एक माह के अंदर चुनिंदा 220 केवी उपकेन्द्र में पायलट आटीयू के सफलता से कार्यान्वयन स्थापन्न के बाद जारी किए जाने की संभावना है और मौजूदा स्काडा/ईएमएस प्रणाली से समुचित रूप से समन्वित करने की संभावना है जो एक माह के लिए नियंत्रण केन्द्र में पवन लाइन डाटा की सतत उपलब्धता को दर्शाता है। पायल्ट आरटीयू की स्थापना के लिए एलओआई प्रक्रिया के अधीन है और शीघ्र ही जारी करने की संभावना है। 10 नं. आरटीयू के स्थापना वर्ष, 220 केवी उपकेन्द्रों में अतिरिक्त 42 नं. आरटीयू की स्थापना और प्राप्ति में यह पीएसटीसीएल द्वारा प्रगति पर है। नवीनतम तकनीक से प्रत्येक वर्ष कंपनियों को नियमित रूप से निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से बदले जा रहे हैं और एलएस एवं एमएस उपभोक्ताओं को टीओडी मीटरों से स्थापित किया गया है और ग्रिड निर्माणाधीन है तथा उन्नयन एवं किफायती उपाय थर्मल संयंत्रों की थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा के आधार पर नियमित रूप से किए जाते हैं, स्काडा/ईएमएस वितरण प्रणालियों में स्थापन्न के अधीन है। बाउंड्री मीटरिंग उर्जा लेखा परीक्षा के लिए पूरी हो गई है। कृषि क्षेत्र का एमएम मार्ग एसएपी/ईआरपी के आरंभ होने की अंतिम चरण में है और शुरू किया जा रहा है। अस्थायी एवं सरकारी कनेक्शन के लिए पूर्वप्रदत्त स्मार्ट मीटर का प्रस्ताव अंतिम अवस्था में है।
17.	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी में 30.6.2012 को एसएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 को अधिसूचित किया। आयोग ने वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण और संप्रेषण के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य में डिम्ड अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए।
18.	तमिलनाडु	चेन्नई में एक एसएलडीसी और चेन्नई, मदुरई और इरोड में तीन उपभार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए। उपकेन्द्रों एवं थर्मल हाइड्रल, गैस से डाटा यूएलडीसी योजना के अधीन इक्टठा किया गया। मौजूदा नियंत्रण केन्द्र 19.07 करोड़ा रू. की लागत पर किया जा रहा है। चेन्नई में मुख्य नियंत्रण केन्द्र परिचालन में है जो 1200 आरटीयू को संचालित कर सकता है।
19.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य में कोई भी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए आगे नहीं आया है। इस प्रकार निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को सुविधा उपलबध करवाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्य भार प्रेषण केन्द्र का उन्नयन प्रगति पर है।
20.	उत्तराखण्ड	अलग समर्पित स्टाफ एसएलडीसी के लिए तैनात किया गया है और एसएलडीसी के लिए अलग वित्तीय लेखांकन किया गया। इसके अलावा पूर्ववर्ती विनियम यूईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 को यूईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2015 से प्रतिस्थपित किया गया है और राज्य में गैर भेदभाव निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन के लिए 28.2.2015 को उत्तराखण्ड राज्य में अधिसूचित किया गया है।

21.	उत्तर प्रदेश	आयोग ने राज्य में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालन के लिए UPERC/Secy./Regulations/05–249 dated 7.6.05 के माध्यम से यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2004 (संक्षेप में यूपीईआरसी निर्बाध पहुंच) जारी किया। विनियमों में यह भी व्यवस्था है कि 01 अप्रैल 2008 से 1 मेगावाट से अधिक की मांग वाला कोई उपभोक्ता पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आयोग ने निम्नानुसार आवश्यक विनियमक फ्रेमवर्क विनियम बनाया/अंतिम रूप दिया: क. यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2009 में पारेषण प्रणाली सहित या उसके बिना वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए अन्य विस्तृत क्रियाविधि शामिल है; ख. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के व्हिलींग सेवाओं के लिए मॉडल बीपीडब्ल्यूए; ग. राज्य के अंदर या बाहर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आहरित विद्युत के लिए राज्य विद्युत ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की व्यवस्थापन्न प्रणाली और अनुसूचीकरण, प्रेषण, उर्जा लेखांकन, यूआई लेखांकन की क्रियाविधियों। इसके अलावा, आयोग ने उन निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड से आहरित विद्युत के उर्जा लेखांकन के लिए क्रियाविधि विकसित करने के लिए एसएलडीसी को निर्देश दिया जो वितरण प्रणाली में सन्निहित उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत या वितरण प्रणाली से संबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्धियां: राज्य पारेषण कंपनी (संक्षेप में एसटीयू) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में (संक्षेप में एसएलडीसी) से मार्गनिर्देशों और क्रियाविधियों के अभाव में आयोग ने दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए विस्तृत क्रियाविध की हैं जिसमें सभी पहलुओं को कवर किया गया है जिससे संशोधन से विनियम निर्देशित होते हैं। 'उत्तरप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 18.6.2009' उस तारीख से लागू हुए जब यह राजपत्र में अधिसूचित हुआ। उक्त संशोधन जिसमें दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए क्रियाविधियां शामिल है उन्हें निम्नलिखित पर केन्द्रित किया गया है: क. अंतःराज्यिक पारेषण के दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रयोग के प्रचालनीकरण तथा उत्पादन कंपनियों द्वारा वितरण प्रणाली जिसमें विद्युत के वाहन के लिए 'उचित एवं समन्वित' ढंग में पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सतत विकास सहित कैप्टिव संयंत्र/नवीकरणीय उर्जा संयंत्र, वितरण/व्यापार अनुज्ञप्तिधारी तथत निर्बाध पहुंच ग्राहक शामिल हैं। ख. राज्य ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का समय ब्लॉकवार लेखा का प्रचालनीकरण और यूआई लेखा सहित उर्जा लेखांकन एवं प्रेषण, अनुसूचीकरण के लिए एसएलडीसी तथा साप्ताहिक मीटरिंग के लिए एसटीयू के उत्तरदायित्वों को वर्णित करना। ग. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए वितरण नेटवर्क के उपयोग के लिए बल्क विद्युत विलिंग करार एवं पारेषण नेटवर्क के उपयोग के लिए बल्क विद्युत पारेषण करार की अपेक्षा। आयोग ने मॉडल बीपीटीए को और यूपीपीटीसीएल की पारेषण सेवाओं की प्राप्ति के लिए अनुपूरक बीपीटीए को अंतिम रूप दिया। आयोग ने मॉडल बीपीडब्लयूए को अंतिम रूप दिया जिसे अन्य बातों के साथ–साथ करार के लिए दीर्घकालिक ग्राहक एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच हस्ताक्षर किया जाना है ताकि वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए विलिंग प्रभार, अधिभार और अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई है का भुगतान किया जा सके।
22.	पश्चिम बंगाल	विभिन्न 132KV, 220KV और 400KV उपकेन्द्र तथा विद्युत केन्द्रों से प्रचालनगत डाटा 60 आरटीयू/एसएएस गेटवे के माध्यम से एसएलडीसी को प्रेषित किया जा रहा है। माइक्रोवेव लिंक को ओपीडब्ल्यूजी फाइबर प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया है।

निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.3.2 गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारेषण प्रभार के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत की आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धाकारी उत्पादकों उपलबध करवाया जाएगा। उपयुक्त आयोग जून 2005 तक इस प्रकार के पारेषण प्रभारों को स्थापित करेगा।

5.4.5 अधिनियम की धारा 49 में व्यवस्था है कि ऐसे ग्राहक जिन्हें धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार की निबंधन व शर्तों पर विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति से करार कर सकते हैं जिसमें उनके द्वारा सहमत टैरिफ भी शामिल है। वितरण में निर्बाध पहुंच के लिए विनियम करते समय एसईआरसी अधिनियम की धारा 42 के अधीन यथाअपेक्षित क्रास सब्सिडी प्रभार और विलिंग प्रभारों को निर्धारित करेगा। .

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>2</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="7">
<table>
<tr><th rowspan="2">उपयोगिता (DISCOM)</th><th rowspan="2">अवधि (LTOA/STOA)</th><th rowspan="2">माप की इकाई</th><th colspan="3">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>LT</th><th>11 KV</th><th>33 KV</th></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs./KVA/Month</td><td>अवधारित नहीं</td><td>164.61</td><td>7.66</td></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs./KVA/Month</td><td>अवधारित नहीं</td><td>240.15</td><td>13.46</td></tr>
</table>
* प्रभार एलटीओए / एसटीओए दोनों के लिए समान है।
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बिहार</td><td>SBPDCL/NBPDCL</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम (विलिंग प्रभार)</td><td>वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुसूचित और अनुमोदित उर्जा पर 23.5 पैसा प्रति यूनिट</td><td></td><td></td><td>33 KV</td><td>11 KV</td><td>LT</td></tr>
<tr><td>एसटीयू</td><td>1. एसटीओए प्रभार 27.8 पैसा प्रति यूनिट
2. एलटीओए प्रभार निवल एआरआर समानुपातिक रूप से सभी एलटीओए ग्राहक द्वारा शेयर किया जाएगा।</td><td></td><td>400 KV</td><td>220 KV</td><td>132 KV</td><td>66 KV</td></tr>
<tr><td>6</td><td>दिल्ली</td><td colspan="7">आयोग ने तदनुरूपी वर्षों के लिए टैरिफ आदेश में विभिन्न वर्षों के लिए BRPL, BYPL और TPPDL के लिए विलिंग प्रभारों को अवधारित किया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th>वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>7</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th rowspan="2">अवधि</th><th rowspan="2">माप की इकाई</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>EHT/HT</th><th>LT</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ED-चंडीगढ़</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>ED-दमन और दीव</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td>21</td><td>21</td></tr>
<tr><td>ED-गोवा</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ED-लक्षद्वीप</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ED-पुदुचेरी</td><td>सभी</td><td>पैसे/kWh</td><td>21/05</td><td>38</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">गुजरात</td><td>PGVCL/ MGVCL/ DGVCL/ UGVCL</td><td rowspan="2">दोनों</td><td rowspan="2">पैसे/kWh</td><td>11 KV</td><td>400 KV</td></tr>
<tr><td></td><td>13</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>टोरंट पावर लि. – अहमदाबाद</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>63</td><td>65</td></tr>
<tr><td>टोरंट पावर लि.–सूरत</td><td>74</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पणः 2011 की अधिसूचना संख्या 3 के रूप में जीईआरसी ने जीईअरारसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 को 1.6.2011 को अधिसूचित किया जिसमें 12 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो 25 वर्ष से अधिक न हो के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच, तीन महीने से अधिक अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं और एक समय पर एक माह तक अवधि के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच जो कलैण्डर वर्ष में 6 महीने से अधिक की अवधि न हो, दी गई है। विनियमों में राज्य पारेषण नेटवर्क तथा अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणाली में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की व्यवस्था है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>जेएण्डके PDD</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th rowspan="2">Term (LTOA/ STOA)</th><th rowspan="2">माप की इकाई</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>वितरण प्रभार</th><th>Wheeling charges</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>587.00</td><td>1560.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th rowspan="2">Utility (Dis-com)</th><th rowspan="2">Term (LTOA/ STOA)</th><th rowspan="2">माप की इकाई</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>JSEB / JBVNL</td><td></td><td>Rs./kWh</td><td colspan="4">0.12</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th>वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>13</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="4">विलिंग प्रभार (पैसे / यूनिट)
<table><tr><th>यूटिलिटी</th><th>EHT/132KV</th><th>HT/33/66 KV</th><th>HT/11 KV</th><th>LT</th></tr><tr><td>BESCOM</td><td></td><td></td><td>11</td><td>35</td></tr><tr><td>MESCOM</td><td></td><td></td><td>23</td><td>78</td></tr><tr><td>CESC</td><td></td><td></td><td>20</td><td>65</td></tr><tr><td>HESCOM</td><td></td><td></td><td>22</td><td>74</td></tr><tr><td>GESCOM</td><td></td><td></td><td>24</td><td>81</td></tr></table>i. नवीकरणीय स्रोतों के लिए जो राज्य के अंदर व्हिल एनर्जी देते हैं, व्हिलिंग प्रभार वस्तु में है और अंतक्षेपित उर्जा के 5 प्रतिशत के बराबर है।
ii. वास्तविक प्रभार अंतःक्षेपण प्वाइंट तथा निकासी प्वाइंट पर आश्रित है।
iii. उक्त प्रभार के अतिरिक्त यथा लागू हानियां वहन की जाएंगी।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>केरल</td><td colspan="4"><table><tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>कंपनी</th><th>वितरण (विलिंग प्रभार) LTOA/STOA</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th>क्रॉस सब्सिडी अधिभार</th><th>Ps/kWh</th></tr><tr><td>1</td><td>2014-15</td><td>KSEBL</td><td>32ps</td><td>kWh</td><td>EHT इण्डस्ट्रियल</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EHT- सामान्य</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EHT - इण्डस्ट्रियल</td><td>210</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>रेलवे</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT- I इंडस्ट्री (क)</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT - I इंडस्ट्री (ख)</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT II - सामान्य (क)</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT II सामान्य (ख)</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT III कृशि (क)</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT III कृशि (ख)</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>HT-IV व्यावसायिक</td><td>230</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>15</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="4"><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>L.T</td><td>33 kV</td><td>11 kV</td></tr><tr><td>MSEDCL</td><td></td><td>Rs/kWh</td><td>1.03</td><td>0.11</td><td>0.60</td></tr><tr><td>TPC-D</td><td></td><td>Rs/kWh</td><td>2.08</td><td>1.02</td><td></td></tr><tr><td>RInfra-D</td><td></td><td>Rs/kWh</td><td>1.24</td><td>0. 64</td><td></td></tr><tr><td>BEST</td><td></td><td>Rs/kWh</td><td colspan="3">बेस्ट को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है और एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2005 विशेष रूप से निर्बाध पहुंच विनियमों की परिधि से बेस्ट से छूट दी गई है।</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th>वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>16</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>LTOA (रु./MW/माह)</th><th>STOA (रु./MW/माह)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वि.वर्ष 2014-15</td><td>3631.19</td><td>907.80</td></tr>
<tr><td colspan="4">विलिंग प्रभार</td></tr>
<tr><td colspan="3">वि.वर्ष 2014-15</td><td>33 Kv पर रु. 0.22</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="5">पारेषण एवं व्हिलिंग प्रभार वार्षिक रूप से दोनों राज्यों में नियत किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी (डि. स्कॉम)</th><th>स्थिति (LTOA/STOA)</th><th>माप का परिमापन</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>20</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td rowspan="2">डिस्कॉम</td><td colspan="2">HT उपभोक्ताओं के लिए विलिंग और क्रॉस सब्सिडी प्रभार (11 KV & 33 kV)</td></tr>
<tr><td>विलिंग प्रभार (पैसे/Kwh)</td><td>क्रॉस सब्सिडी प्रभार 9 (पैसे / Kwh)</td></tr>
<tr><td>CESU</td><td>68.38</td><td>95.44</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>92.61</td><td>63.09</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>63.75</td><td>81</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>86.53</td><td>150.04</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>21</td><td>पंजाब</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th>दीर्घकालिक (LTOA) (PSPCL)</th><th>मध्यकालिक (STOA)
वॉल्टेज स्तर (PSPCL)</th></tr>
<tr><td>349623/MW/अनुबंधित क्षमता का महीना</td><td>121 पैसे / यूनिट (109 पैसे/kVAh)</td></tr>
</table>
इसके अलावा यह भी अनुरोध है कि राज्य के अंदर उपभोग के एनआरएसई पावर की व्हिलिंग के लिए व्हिलिंग प्रभार और पारेषण दूरी का ध्यान किए बिना राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित उर्जा के 2 प्रतिशत तक उदग्रहित होगा। राज्य के बाहर एनआरएसई उर्जा के व्हिलिंग के मामले में पूर्ण पारेषण और व्हिलिंग प्रभार उदग्रहणीय होंगे।
</td></tr>
<tr><td>23</td><td>सिक्किम</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>स्थिति (LTOA/STOA)</th><th>माप का परिमापन</th><th colspan="3">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2014–15</td><td>एनर्जी एवं पावर विभारग सिक्किम</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (LTOA/STOA)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th>वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>24</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th rowspan="2">स्थिति (LTOA/ STOA)</th><th rowspan="2">माप का परिमापन</th><th colspan="5">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>11kV</th><th>22kV</th><th>33kV</th><th>110kV</th><th>230kV</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2014-15</td><td>TANGEDCO</td><td>LTOA/ STOA to TANGEDCO</td><td>MU</td><td colspan="5">648.24</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>STOA- केप्अिव एवं थर्ड पार्टी</td><td>MU</td><td>1339</td><td>889</td><td>682</td><td>827</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="4">निर्बाध पहुंच प्रणाली अभ त्रिपुरा राज्य में विकसित नहीं की गई है अतएव निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभारों का प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>27</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>उत्तराखण्ड उर्जा पावर लि-</td><td colspan="3">औसत व्हिलिंग प्रभार 11015.62 / MW / Day है। अंतर्निहित निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को उक्त व्हिलिंग प्रभार अदा नहीं करना है और अन्यथा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार संगणित निवल व्हिलिंग प्रभार अदा करेंगे और वह एचटी उद्योग उपभोक्ता के लिए रु. 3470.41 / MW / day और गैर देसी उपभोक्ताओं के लिए रु. 10037.54 / MW / dayK होगा।</td></tr>
<tr><td>28</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th rowspan="2">यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th rowspan="2">स्थिति (LTOA/ STOA)</th><th rowspan="2">माप की ईकाई</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>132 kV</th><th>132 kV से ऊपर</th></tr>
<tr><td>सभीडिस्कॉम</td><td>LTOA & STOA</td><td>रु./kWh</td><td>0.1937</td><td>0.1453</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>29</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td>वर्ष 2014.15</td><td>WBSEDCL</td><td>CESC Ltd</td><td>DPL</td><td>DPSC Ltd</td></tr>
<tr><td>विलिंग प्रभार</td><td>94.12 पैसे/kWh</td><td>160.59 पैसे पैसे/ kWh</td><td>27.34 पैसे /kWh</td><td rowspan="2">अभी निर्णय नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td>परिहार्य लागत</td><td>344.97 पैसे /kWh + विलिंग प्रभार</td><td>392.38 पैसे /kWh + विलिंग प्रभार</td><td>233.24 पैसे /kWh+ विलिंग प्रभार</td></tr>
<tr><td>क्रॉस सब्सिडी अधिभार</td><td colspan="4">अनुमत निर्बाध पहुंच और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिहार की गई लागत से उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिए लागू टैरिफ का यह अंतर है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

पारेषण प्रभार

LTOA – दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच
STOA – अल्पकालिक निर्बाध पहुंच

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>एलओओए (₹ / MW / माह)</th><th>एसटीओए (₹ / MW / माह)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="2"><table>
<tr><th rowspan="2">स्थिति (LTOA/STOA)</th><th rowspan="2">परिमापन का यूनिट</th><th colspan="3">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>132KV</th><th>220KV</th><th>400KV</th></tr>
<tr><td>*LTOA/STOA</td><td>Rs.MW/दिन</td><td>2146.9</td><td>2146.9</td><td>2146.9</td></tr>
</table>* LTOA/STOA दोनों के लिए प्रभार समान है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>59233</td><td>487</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>निवल एआरआर रक्षित क्षमता के अनुपात में अनुपातिक रूप से सभी LTOA / MTOA द्वारा शेयर किया जाएगा।</td><td>वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुमोदित और अनुसूचित उर्जा पर STOA प्रीार 27.8 पैसेप्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2">आयोग ने 24.12.2013 के आदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के मामले में पारेषण सेवा प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति को निर्धारित किया। संबंधित वर्षों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर के आधार पर पारेषण प्रभार प्रत्येक वर्ष के लिए एसएलडीसी द्वारा अवधारित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">अवधि के दौरान चूंकि जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के अधीन कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नहीं है अतएव पृथक पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>2721</td><td>2721</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>रु. 39,570.00</td><td>रु. 587.00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>0.18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td rowspan="2">कर्नाटक</td><td colspan="2"><u>2014-15</u></td></tr>
<tr><td>96860</td><td>796.11</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>26 पैसे /kWh</td><td>26 पैसे /kWh</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>रु. 342.70/kW/माह</td><td>रु. 0.46 रु./kWh</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>रु. 108935.70 /MW/माह</td><td>रु. 907.80/MWE/दिन</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="2">LTOA और STOA अभी अलग से किए जाने हैं।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>नागालैण्ड</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>वर्ष</th><th>LTOA (रु./MW/माह)</th><th>STOA (रु./MW/दिन)</th></tr>
<tr><td>वित्तिय वर्ष 2014–15</td><td>6000</td><td>1500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">21.</td><td rowspan="2">पंजाब</td><td>रु. 58938</td><td>19 पैसे / यूनिट</td></tr>
<tr><td colspan="2">इसके अलावा यह अनुरोध है कि राज्य के अंदर उपभोग की एनआरएसई विद्युत के व्हिलिंग के लिए व्हिलिंग प्रभार और पारेषण दूरी का ध्यान किए बिना राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित उर्जा के 2% पर उदग्रहित होगा। राज्य के बाहर एनआरएसई विद्युत की व्हिलिंग के मामले में पूर्ण पारेषण और व्हिलिंग प्रभार उदग्रणीय होगा।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	एलओओए (₹ / MW / माह)	एसटीओए (₹ / MW / माह)
22.	सिक्किम	**वर्ष** / **LTOA (`/MW/Month)** / **STOA (`/MW/Day)** वित्तीय वर्ष 2014–15 / ... / ... **टिप्पणी:** सिक्किम एसईआरसी ने 30.6.2012 को एसएसईआरसी ने एसएसईआरसी (अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012 पहे अधिसूचित किया जिसमें विभिन्न प्रभारों (पारेषण व्हिलिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिप्रभार) को अवधारित करने के लिए क्रियाविधि व पद्धतियां रेखांकित की गई। तथापि राज्य में केवल डीम्ड वितरण / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् उर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार ने आज तक वितरण या पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच का अनुरोध करते हुए किसी उपभोक्ता से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए निर्बाध पहुंच के अधीन पारेषण / वितरण के लिए प्रभार स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुआ।	
23.	तमिलनाडु	रु. 2903 (MW / दिन) = रु. 87,090 / – (MW / माह)	Rs.120.97 (MW/घण्टा) = Rs.2903/- (MW/दिन)
24.	त्रिपुरा	त्रिपुरा के मामले में नहीं उठाया गया।	
25.	उत्तराखण्ड	रु. 88056.90	रु. 2935.23
26.	उत्तर प्रदेश	रु. 0.1937 / kWh	
27.	पश्चिम बंगाल	148259.00	1235.49

कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.6 एक समयबद्ध कार्यक्रम उर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों और तकनीक के पृथक्करण के राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। एसइआरसी द्वारा यथानिर्धारित प्रतयेक परिभाषित यूनिट में इसके परिणाम की घोषणा और उर्जा लेखांकन मार्च, 2007 तक अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिशासन में उपयुक्त सुझाव और पर्याप्त निवेशों सहित हानियों की कमी के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता तथा हानि स्तरों को समय–समय से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2012 तक अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष(%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2014–15</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">आंध्रप्रदेश</td><td>APSPDCL</td><td>13.60</td></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>12.10</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>असम</td><td colspan="2">जमा नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बिहार</td><td colspan="2">NBPDCL: 23%
SBPDCL: 21%</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td colspan="2">28%</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटि. लिटी</th><th colspan="3">वर्ष(%)</th></tr>
<tr><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BRPL</td><td>17.74% (लक्ष्य 14.16%)</td><td>16.93% (लक्ष्य 13.33%)</td><td>ट्रअप अभी किया जाना है। (लक्ष्य 12.50%)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BYPL</td><td>21.14% (लक्ष्य 16.82%)</td><td>22.19% (लक्ष्य 15.66%)</td><td>ट्रअप अभी किया जाना है। (लक्ष्य 14.50%)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TPPDL</td><td>10.73% (लक्ष्य 12.50%)</td><td>10.56% (लक्ष्य 12.00%)</td><td>ट्रअप अभी किया जाना है। (लक्ष्य 11.50%)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NDMC</td><td>7.65% (लक्ष्य 10.35%)</td><td>11.57% (लक्ष्य 10.10%)</td><td>ट्रअप अभी किया जाना है। (लक्ष्य 9.85%)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>चंडीगढ़</td><td>15.00%</td></tr>
<tr><td>पुदुचेरी</td><td>12.00%</td></tr>
<tr><td>अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह</td><td>17.00%</td></tr>
<tr><td>दादर और नगर हवेली</td><td>4.70%</td></tr>
<tr><td>दमन एवं दीव</td><td>8.70%</td></tr>
<tr><td>गोवा</td><td>11.50%</td></tr>
<tr><td>लक्षद्वीप</td><td>14.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष(%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2014–15</th></tr>
<tr><td>8.</td><td>गुजरात</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>DGVCL</td><td>11.50</td></tr>
<tr><td>UGVCL</td><td>12.25</td></tr>
<tr><td>MGVCL</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>PGVCL</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>TPL-A</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>TPL-S</td><td>5.15</td></tr>
<tr><td>कोंडला पोर्ट ट्रस्ट</td><td>8.25</td></tr>
<tr><td>मुन्द्राSEZ</td><td>7.25</td></tr>
<tr><td>टोरंट एनर्जी लि–(TEL)</td><td>3.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%) /T&D हानि ट्राजेक्टरी</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>यूटिलिटी</td><td>46.76</td><td>45.26</td><td>43.76</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="2"><table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वितरण हानि लक्ष्य (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>JSEB</td><td>18%</td><td>17%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>JUSCO</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SAIL – बोकारो</td><td>15%</td><td>13%</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>TSL</td><td>6.5%</td><td>6.0%</td><td>5.75%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="2">केवल T&D हानियां<table>
<tr><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2014–15 (%)</th></tr>
<tr><th>लक्ष्य</th><th>प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>BESCOM</td><td>13.60</td><td>13.53</td></tr>
<tr><td>GESCOM</td><td>18.50</td><td>18.93</td></tr>
<tr><td>HESCOM</td><td>19.00</td><td>16.74</td></tr>
<tr><td>MESCOM</td><td>11.50</td><td>11.57</td></tr>
<tr><td>CESC</td><td>15.00</td><td>13.89</td></tr>
<tr><td>Hukeri RCS</td><td>14.50</td><td>15.04</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>केरल</td><td>KSEB</td><td>T&D हानि : 14.50%
AT&C हानि : 15.36%</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>MSEDCL</td><td>13.75%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>R Infra-D</td><td>1.02%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BEST</td><td>9.41%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TPC-D</td><td>6.75%</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>मध्यप्रदेश</td><td>(i) पूर्व डिस्कॉम</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii) पश्चिमडिस्कॉम</td><td>18</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी
डिस्कॉम</th><th>वर्ष(%)
वित्तीय वर्ष 2014–15</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(iii) केन्द्रीयडिस्कॉम</td><td>21</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td>यूटिलिटी</td><td colspan="3">वर्ष (%)</td></tr>
<tr><td>डिस्कॉम</td><td>2012–13</td><td>2013–14</td><td>2014–15</td></tr>
<tr><td>1</td><td>मणीपुर राज्य उर्जा वितरण कंपनी लि.</td><td>35%</td><td>32%</td><td>29%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>31%</td><td>29%</td><td>27%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>नागालैण्ड</td><td>
<table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष(%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>DPN</td><td>41.37%</td><td>38.89%</td><td>33.67%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उड़ीसा</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">वित्तीय वर्ष 2012–13</td><td colspan="2">वित्तीय वर्ष 2013–14</td><td colspan="2">वित्तीय वर्ष 2014–15</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य</td><td>प्राप्त किया</td><td>लक्ष्य</td><td>प्राप्त किया</td><td>लक्ष्य</td><td>प्राप्त किया</td></tr>
<tr><td>CESU</td><td>23.77</td><td>41.44</td><td>23.77</td><td>39.50</td><td>23.77</td><td>36.65</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>19.17</td><td>40.38</td><td>19.17</td><td>35.93</td><td>19.17</td><td>33.19</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>20.40</td><td>42.72</td><td>20.40</td><td>40.64</td><td>20.40</td><td>39.49</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>26.25</td><td>47.13</td><td>26.25</td><td>46.39</td><td>26.25</td><td>44.64</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>पंजाब</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">(पारेषण एवं वितरण हानियां
संबंधित टैरिफ ओदशों में आयोग द्वारा अनुमोदित</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>FY 2012-13</th><th>FY 2013-14</th><th>FY 2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PSPCL</td><td>18.00%</td><td>17.00%</td><td>16.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>सिक्किम</td><td>उर्जा एवं विद्युत विभाग, राज्य सरकार विभाग सिक्किम में डीम्ड वितरण / पारेषण / उत्पादन के रूप में कार्य कर रहा है। पारेषण वितरण और उत्पादन का पृथक्ककरण अभी नहीं किया गया है अर्थात् विभाग की पुनसंरचना अभी की जानी है इसके कारण उर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। सिक्किम एसईआरसी ने इस विषय पर समय से कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>तमिलनाडु</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष% (T&D loss)</th></tr>
<tr><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TANGEDCO</td><td>16.8</td><td>16.4</td><td>16.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>त्रिपुरा</td><td>केवल त्रिपुरा के सरकारी स्वामित्व के अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् टीएसईसीएल को एटीएण्डसी हानियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहले ही हिदायत दे दी गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष(%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2014–15</th></tr>
<tr><td>27.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td colspan="2">
तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि कमी के लिए प्रयास के रूप आयोग को विभिनन टैरिफ आदेशों के माध्यम से एटीएण्डसी हानियों की कमी के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया गया। इसके अलावा आयोग ने सरकार निधि योजनाओं अर्थात् आरएपीडीआर की भाग क और भाग ख को निवेश अनुमोदन दिया है जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 15 प्रतिशत वितरण हानियों की प्राप्ति के उद्देश्य सहित वितरण प्रणाली के एटीएण्डसी हानियों को कम करने पर केन्द्रित कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने वितरण हानि कमी तथा वसूली कुशलता के लिए क्षेत्र को परिभाषित किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के लिए वितरण हानियों और वसूली कुशलता के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:
वितरण हानियों की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व 2012–13</th><th>वि.व 2013–14</th><th>वि.व 2014–15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>17%</td><td>16%</td><td>15.5%</td></tr>
</table>
वसूली कुशलता की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व 2012–13</th><th>वि.व 2013–14</th><th>वि.व 2014–15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>97%</td><td>97.5%</td><td>98%</td></tr>
</table>
संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए उक्त वितरण हानियां तथा वसूली कुशलता पर विचार करते हुए संगणित एटीएण्डसी हानियां।संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए संग्रह दक्षता इस प्रकार है:
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2">स्थिति</th><th colspan="3">वर्ष%</th></tr>
<tr><th>FY 2012-13</th><th>FY 2013-14</th><th>FY 2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Approved Collection Efficiency</td><td>19.49%</td><td>18.10%</td><td>17.19%</td></tr>
</table>
विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में आयोग ने 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित यूईआरसी कार्यनिष्पादन विनियम 2007 के मानक को पहले ही अधिसूचित किया है।
</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="3">वर्ष%</th></tr>
<tr><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष%</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>WBSEDCL</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>17.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CESC</td><td>14.45</td><td>14.30</td><td>14.30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DPL</td><td>5.30</td><td>5.20</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DPSC</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DVC</td><td>2.30</td><td>2.20</td><td>2.20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

मीटरिंग प्लान

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.9 इस अधिनियम में दो वर्षों के अंदर सभी उपभोक्ताओं को मीटर किया जाना अपेक्षित हैं। एसईआरसी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से अपनी मीटरिंग योजना प्राप्त कर सकती है, उन्हें अनुमोदित और उसकी निगरानी कर सकती है। एसईआरसी को पूर्व प्रदत्त मीटर इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रथमतः एक एमवीए के न्यूनतम भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटर भी प्रोत्साहित किए जाएंगे। एसईआरसी को स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
1.	आंध्रप्रदेश	70 केवीए से ऊपर लोड वाले अधिकांश एचटी उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही टीओडी टैरिफ और मीटर हैं।
2.	बिहार	अनुज्ञप्तिधारियों की फाइलिंग के अनुसार कुल उपभोक्ताओं में से लगभग 94% को 30.09.2014 तक मीटर किए गए थे।
3.	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम द्वारा मीटर लगाने का कार्य 100% पूरा हो गया। सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं को टीओडी मीटर सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
4.	दिल्ली	• 23 जुलाई 2014 के टैरिफ आदेश में टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ता (देसी से भिन्न) को लागू किया गया जिनका स्वीकृत भार/एमडीआई (जो भी अधिक हो) 50 केवी/24 केवीए और अधिक है। वैकल्पिक टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं के लिए (देसी से भिन्न) उपलब्ध था जिसका स्वीकृत भार/एमडीआई 25 केवी/27 केवीए से 50 केवी/24केवीए के बीच (जो भी अधिक हो) था। • स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटरिंग परीक्षणः दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं कार्यनिष्पाद मानक विनियम 2007 में आयोग ने थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण के लिए पहले ही उपबंध किया है। आयोग ने थर्ड मीटर परीक्षण के लिए सार्वजनिक शिकायत कक्ष को अधिदेश दिया है। आयोग ने जीओएनसीटीडी के पीजीसी के तत्वाधान में स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सीपीआरआई अधिसूचित किया
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी नियमित रूप से मीटरिंग की प्रगति मॉनिटरिंग करता है और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मीटरिंग योजना की समीक्षा करता है। पूर्व प्रदत्त मीटर और टीओडी मीटर का उपयोग टैरिफ श्रेणी के उचित अवधारण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। थर्ड पार्टी मीटरिंग परीक्षण व्यवस्थाओं के संदर्भ में सीजीआरए/ओमबडसमैन गुण अवगुण आधार पर मामाले का निर्णय करता
6.	गुजरात	उपभोक्ता की सभी श्रेणियां कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर 100 प्रतिशत मीटर की गई हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए मीटरों को अलग किया गया और 100 प्रतिशत फीडर स्तर मीटरिंग उपलब्ध करवाई गई। कृषि कनेक्शन 10.10.2000 के बाद मीटरों सहित रिलीज किए गए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य विद्युत विकास विभाग) से अप्रैल 2012 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करना अपेक्षित था। यद्यपि कंपनी आरएपीडी. आरपी के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों में 100 प्रतिशत मीटरिंग की पूरा होने पर केन्द्रित रहा है लेकिन कंपनी अधिनियम के अधीन यथास्थापित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योग्य नहीं रही है। कंपनी के अनुरोध पर 100 प्रतिशत मीटर प्राप्त करने की निर्धारित सीमा जून 2013 तक बढ़ा दी गई। कंपनी जून 2013 तक निर्धारित सीमा के अंदर 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा नहीं कर सकी और अनुरोध किया है कि यह वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा कर सकती है। स्वप्ररेणा कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध आयोग द्वारा आंरभ की गई ताकि राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित विस्तृत मीटरिंग योजना के प्रस्तुत करने के संबंध में मामले में पारित आयोग के निर्देशों के लिए कंपनी के अनुपालन की मांग की जा सके। कंपनी ने प्रणाली एवं उपभोक्ता मीटरिंग के लिए दोनों मीटरिंग योजनाओं को प्रस्तुत किया। आयोग ने योजना स्वीकार करते समय प्रस्तावित योजना के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया। आयोग ने अधिनियम में निर्धारित समय के गंभीर विचलनों को ध्यान में रखते हुए 100 प्रतिशत मीटरिंग की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित समय सीमा के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन की मांग के लिए कंपनी को निर्देश दिया।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।
9.	कर्नाटक	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की मीटरिंग योजना अनुमोदित की गई है और मॉनिटर की जा रही है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने 10एचपी और कम के आईपी सेट को छोड़कर स्थापना की सभी श्रेणियों के लिए मीटर स्थापित किए हैं।
10.	केरल	100% मीटरिंग पूरी हो गई है। टीओडी मीटरिंग एचटी, ईएचअी, 20 केवी से अधिक औद्योगिक उपभोक्ता तथा 200 यूनिट / माह से अधिक देसी उपभोक्ता के लिए किया गया है। एएमआर एपीडीआरपी योजना के अधीन एचटी और ईएचटी उपभोकताओं के लिए प्रस्तावित है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
11.	महाराष्ट्र	1. आयोग ने 25 अप्रैल 2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–1 में महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है। 2. महाराष्ट्र में टैरिफ दो संघटकों अर्थात् नियत लागत (Rs./kW) और परवर्ती लागत (Rs./kW) में है। 3. भार के बेहतर प्रबंधन के लिए टीओडी टैरिफ एमईआरसी द्वारा शुरू किया गया है। पीक टाइम उपयोग अधिक प्रभारित किया जाता है और रात्रि समय का प्रयोग पर रियायत दी जाती है। महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ निम्नलिखित टाइल स्लॉट में प्रत्येक दिन विभक्त किया गया है और संबंधित टाइम स्लॉट के दौरान उपभोग के अनुसार प्रभारित किया जाता है: समय 0600 – 0900 घण्टा 0900 – 1200 घण्टा 1200 – 1800 घण्टा 1800 – 2200 घण्टा 2200 – 0600 घण्टा 4. आयोग ने मैसर्स इडेमी, स्वतंत्र एनएबीएल प्रत्यायित कैलीबरेशन एवं परिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से प्रतयेक श्रेणी से उपभोताओं के नमूना संख्या के लिए परिचालनगत मीटरों की शुद्धता की सत्यापन के लिए आर इंफ्रा डी लाइनसेंस क्षेत्र में थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण आरंभ किया। यह मीटर परीक्षण अभियान 14 अक्टूबर, 2009 से एमईआरसी की ओर से रिडेमी द्वारा आरंभ किया गया और यह 4 अप्रैल 2010 को समापत हुआ। इस कार्य के दौरान 1337 मीअर देखे गए। 5. 16.08.2012 के एमएसइडीसीएल 2012 के मामला संख्या 19 में आदेश के माध्यम से कहा कि सभी नए कनेक्शन केवल मीटर आधार पर दिए जाने चाहिए। 6. महाराष्ट्र राज्य में सभी उपभोक्ता एमएसईडीसीएल उपभोक्ता लाइसेंस क्षेत्र में एजी उपभोक्ताओं को छोड़कर मीटर किए गए हैं। 2014 के मामला संख्या 121 में कार्यवाही के दौरान एमएमइडीसीएल ने कहा कि कुल 37,32,563 में से लगभग 16,11,963 (अर्थात् 43%) एजी उपभोक्ता कनेक्शन अभी तक मीटर नहीं किए गए हैं। 7. आयोग ने 3 वर्षों की अवधि के अंदर 100 प्रतिशत मीटर पूरा करने के लिए एमएसइडीसीएल को निर्देश दिया।
12.	मध्य प्रदेश	मीटरिंगकरण योजना नीचे दी गई है: मध्यप्रदेश में वितरण कंपनियों द्वारा सहमत मीटरिकरण योजना i. देसी उपभोक्ता . शहरी . वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त 100 प्रतिशत मीटरिंग –100% ii. देसी उपभोक्ता . ग्रामीण . केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2016 और पश्चिमी डिस्काउंट के लिए पूर्वी डिस्कॉम जून 2016 के लिए सितम्बर, 2016 तक iii. कृषि डीटी . पश्चिमी डिस्कॉम और पूर्वी के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं। केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2017 तक मीटरीकरण पूरा किया जाना है। iv. फीडर (11kV) . पूर्वी डिस्कॉ 100 प्राप्त किया गया। पश्चिमी डिस्कॉम 95.24 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम 100 प्रतिशत मार्च 2016 तक v. फीडर (33kV) . पूर्वी और पश्चिमी डिस्कॉक 100% प्रतिशत प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम मार्च 2016 तक 100 2000 से एचटी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी पहले से है। थर्ड पार्टी स्वतंत्र मीटर परीक्षण 21.8.2007 से पहले से है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
13.	मणिपुर और मिजोरम	मणीपुर एवं मिजोरम 100% मीटरिंग मणीपुर में प्राप्त की जानी है और मिजोरम में प्राप्त की गई।
14.	नागालैण्ड	————
15.	उड़ीसा	ओईआरसी प्रत्येक अर्द्धवार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक में डिस्कॉम की मीटरिंग योजना और मीटरिंग की स्थिति की मॉनिटरिंग करता रहा है। आयोग ने पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए डिस्कॉम को अनुमति दी है यदि उपभोक्ता ने इसका चयन किया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि सभी सरकारी उपभोक्तओं को उनके द्वारा भुगतान में चूक से बचने के लिए पूर्व प्रदत्त मीटर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। आयोग ने अपने टैरिफ आदेशों में निर्देश दिया है कि सभी तीन चरण उपभोक्ताओं को टीओडी लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वे अपने कंट्रेक्ट मांग का ध्यान किए बिना अपेक्षित मीटर फिट करवाते हैं। स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर के प्रयोजन के लिए परीक्षण व्यवस्था प्रयोगशालाओं को सीईए (मीटरों की स्थाना और प्रचालन) विनियम 2006 के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है।
16.	पंजाब	एपी (कृषि) श्रेणी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को पंजाब राज्य में मीटर किया जाता है तथापि एपी श्रेणी का उपभोग अनन्य एपी फीडरों के पंप उर्जा के आधार निर्धारित किया गया। पीएसपीसीएल को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया जिसकी अभी प्रतिक्षा है।
17.	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी ने सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए अनुज्ञप्तिधरी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मीटरिंग नए कनेक्शनों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा अनुमोदन के लिए मीटरिंग योजना प्रस्तुत करें। विभाग द्वारा प्रस्तुत ब्योरा के अनुसार कुल उपभोक्ताओं का 77.37 प्रतिशत को नवंबर, 2015 के अनुसार मीटर किया गया।
18.	तमिलनाडु	सभी सेवाओं को कृषि तथा हट सेवाओं को छोड़कर मीटरगत किया गया। 2012 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल याचिका में कृषि और हट सेवाओं में मीटरों की स्थापना के लिए समय की मांग की गई है। अनुज्ञप्तिधारी ने फीडरों और ट्रांसफॉमर में 100 प्रतिशत की मीटरिंग की व्यवस्था का प्रयास किया है। पर्यापत नमूना अध्ययन के माध्यम से वैयक्तिक फीडरों में हानियों के अध्ययन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किया गया और समय से 3/14 तक बढ़ाया गया। अनुज्ञप्तिधारी में अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
19.	त्रिपुरा	100% उपभोक्ता मीटरिंग कार्यक्रम चल रहा है। तथापि 9 प्रतिशत से अधिक मीटरिंग पहले ही कर ली गई है। पूर्व प्रदत्त मीटरिंग अभी आरंभ की जानी है। टीओडी उपभोक्ता की मांग के अनुसार पहले आरंभ की गई है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
20.	उत्तराखण्ड	विनियमों द्वारा यथाअपेक्षित 3 प्रतिशत तक प्रतिशत दोषपूर्ण मीटरों को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीटरों द्वारा सभी मौजूदा इलेक्ट्रो मकैनिकल मीटरों की स्थापना को बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। टैरिफ आदेश ने आयोग ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया है कि आगामी वर्ष से गैर मीटरगत उपभोक्ता के लिए टैरिफ और बिलिंग के निर्धारित मानदण्डों को समाप्त करना अभिप्रेत है और निर्देश दिया कि 30.9.2014 तक गैर मीटरगत उपभोक्ता को मीटर उपलब्ध करवाने की असफलता से इस प्रकार के उपभोक्ताओं को बिलों के लिए कोई राजस्व होना अनुज्ञप्तिधारी में हो सकता है। टीओडी मीटरिंग प्रणाली 25 किलोवाट से अधिक भार और सभी एचटी उपभोक्ता वाले गैर देसी / एलटी उद्योग के लिए जारी रहेंगे। दसी श्रेणी के लिए उर्जा प्रभार का 4 प्रतिशत और अन्य एलटी उपभोकताओं के लिए अन्य प्रभारों की 3 प्रतिशत की छूअ वाली पूर्व प्रदत्त मीटरिंग योजना जारी है। मीटर परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए आयोग ने प्रत्येक मंडल में वितरण अनुज्ञप्तिधारी या सिंगल फेस की स्थापना और तीन फेस ऑफसाइट मीटर परीक्षण खंडों को निर्देश दिया। इसके अलावा आयोग ने उर्जा मीटरों के आवधिक परीक्षण के संबंध में विनियमों में परिभाषित मानदण्डों के अनुपालन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया है। इसके अनुपालन में वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने थर्ड पार्टी उर्जा मीटरिंग परीक्षण की योजना बनाई है।
21.	उत्तर प्रदेश	मीटरिंग को राज्य में प्रोत्साहित किया गया है और टीओडी मीटरिंग को पहले ही कार्यान्वित किया गया है।
22.	पश्चिम बंगाल	वित्तीय वर्षः 2014–15 WBSEDCL – क) कृषि को छोड़कर सभी श्रेणी 100% कृषि उपभोक्ता: 96.56%:100% CESC Ltd. - 100% DPSCL - 100% DPL - 100% DVC - 100%

HVDS, SCADA और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.11 उच्च वॉल्टेज वितरण प्रणाली तकनीकी हानियों, चोरी से बचाव, उन्नत वॉल्टेज प्रोफाइल और बेहतर उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए प्रभावी पद्धति है। इसे तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एलटी/एचटी अनुपात को कम करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए।

5.4.12 स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियां वितरण प्रणालियों के कुशल कार्य के लिए उपयोगी हैं। स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम वितरण अनुज्ञप्धिारीयों से प्रापत किया जाना चाहिए और तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चरणबद्ध ढंग से उपकेन्द्र स्वचालन उपकरण स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
1.	आंध्रप्रदेश	एचवीडीएस कृषि सेवाओं और गांवों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा आंध्रप्रदेश में सभी बड़े शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	बिहार	आरंभ किया जाना है।	
3.	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम में एलटी प्रणाली को एचवी डीएस में परिवर्तित किया है। आरईसी ऋण निधि आधार पर निष्पादन के लिए और अधिक योजनाओं को तैयार किया जा रहा है।	स्वचालित मीटर रीडिंग सभी एचटी और ईएचटी उप. भोक्ताओं के लिए कार्यान्वित की गई है। एचपी और अधिक के एलटी भार के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था प्रक्रिया के अधीन है। डाटा आधार प्रबंधन एसएपी पैकेज की मदद से की जा रही है। एसएपी सॉफ्टवेयर आठ विभिन्न मॉडयूल के साथ कार्यान्वयन में है। बिलिंग, वित्तीय नियंत्रण, भौतिक प्रबंधन और एचआर मॉडयूल पहले से ही कार्यात्मक है।
4.	दिल्ली	एचवीडीएस HVDS – पहले से कार्या. न्वित है लेकिन अब पक्ष में नहीं है। एलटी एबीसी लागत प्रभावशीलता के कारण बड़े धरातल पर आंरभ की गई है।	SCADA – तीन डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	परिचालन कार्यकुशलता में सुधार के लिए टैरिफ आदेशों के माध्यम से जेईआरसी सभी वितरण अनुज्ञप्तिधरियों को निर्देश देता है और इस संबंध में केपेक्स को अनुमति देता है।	
6.	गुजरात	स्काडा पर कार्यान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आंरभ किया गया। एचवीडीएस कार्यान्वयन हा. नियों में प्रभावी कमियों के लिए MGVCL, UGVCL, DGVCL और PGVCL में पहले ही लिया गया है।	
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	कंपनी ने एपीडीआरपी के अधीन श्रीनगर शहर में दो पायलट परियोजनाओं को पहले ही पूरा किया है और एक श्रीनगर में और दूसरी कटरा (जम्मू) दो और क्षेत्रों में भी लिया है। अन्य क्षेत्र आरएपीडीआरपी के भाग ख के अधीन कवर किए जा रहे हैं।	स्काडा और डीबीएम प्रणाली आर–एपीडीआरपी योजना (भाग ख) के अधीन उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें जम्मू और श्रीनगर की दो राजधानी शहरों को शामिल करते हुए 30 शहरों को कवर किया गया है।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।	

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
9.	कर्नाटक	केईआरसी एचटी/एचटी अनुपात की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा एस्कॉम ने ''निरंतर ज्योति योजना' के अधीन आईपी सेअ को आपूर्ति करने वाले 11केवी फीडरों के पृथक्करण किया है। एचवीडीएस योजनाएं एस्कॉम द्वारा की जा रही हैं। मार्गनिर्देश एचवीडीएस योजनाओं के कार्यनिष्पादन के संबंध में आयोग द्वारा जहां भी आवश्यक हो जारी किए गए हैं।	KPTCL ने एकीकृत SCADA स्कीम के तहत SCADA का उन्नयन किया। MIS के कार्यान्वयन के लिए ESCOM कम्प्यूटरीकरण लिया है।
10.	केरल	पायलट परियोजना कार्यान्वित की गई।	एपीडीआरी योजना के अधीन तीन शहरों में कार्यान्वित की जा रही है।
11.	महाराष्ट्र	एचवीडीएस कार्यान्वयन हानियों में प्रभावी कमी के लिए एपीडीआरपी/आरएपीडी. आरपी/बुनियादी योजनाओं के माध्यम से एमएसईडीसीएल क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा/डीएमएस और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन एमएसईडीसीएल क्षेत्र में आरएपीडीआरपी में किया जा रहा है। स्काडा/डीएमएस प्रणाली बेस्ट, टीपीसीडी और आर इंफ्राडी अनुप्तिधारी क्षेत्र में पहले ही कार्यान्वित की गई है।
12.	मध्य प्रदेश	अनुमोदित केपेक्स योजनाएं जिनमें चुनिंदा पहुंच में एचवीडीएस शामिल है।	डिस्कॉम द्वारा किया जाए।
13.	मणिपुर और मिजोरम	दोनों राज्यों में अभी कार्यान्वित किया जाना है।	
14.	नागालैण्ड	––	––
15.	उड़ीसा	आयोग ने पहले निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य जहां तक सीाव हो केवल एचवीडीएस के माध्यम से किया जाएगा।	उड़ीसा ग्रिडकोड के अनुसार सभी 220 केवी एस/एस में स्काडा संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए उपबंध किए गए हैं। सभी ईएचटी उपकेन्द्रों में भार डाटा केप्चर किया जा रहा है और ऑनलाइन विश्लेशित किया गया है। इसमें सतत आधार पर प्रत्येक डिस्कॉम का 15 मिनट का भार डाटा के – बोर्ड के डिस्प्ले की व्यवस्था है। इसमें अधिक भार और व्यवधानों पर सूचना भी उपलबध है। आरएपीडीआरपी योजना के अधीन वितरण क्षेत्र में स्काडा/डीएमएस के कार्यान्वयन के लिए पहल की गई है। उक्त योजना निधि प्रापत करने के बाद इसे पूर्णतः परिचालनीय किया जाएगा।
16.	पंजाब	आयोग ने सभी एपी कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय रूप से उभर सकने वाली योजनाओं को तैयार करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया है। कंपनी ने 31.3. 2015 को समाप्त 2.11 लाख एपीएलवीडीएस कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित किया गया है।	वितरण स्काडा/डीएमएस के लिए एलओआई को मैसर्स सीमनस पर रखा गया और परियोजना को आरएपीडीआर के कार्य के साथ निष्पादित किया जाएगा।
17.	सिक्किम	एचवीडी प्रणाली तथा स्काडा एवं डाटा प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वयन के अधीन और कुछ समय पूर्व वे पूर्णतः परिचालनीय हो सकती है।	

क्र. सं.	एसइआरसी/जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
18.	तमिलनाडु	आरपीडीआरपी योजना के अधीन लगभग 100 केवीए से नीचे विभिन्न क्षमताओं के लगभग 11350 ट्रांसफार्मर एचवीडीएस के अधीन अनुज्ञपितधारी द्वारा स्थापित किए गए।	आरएपीडीआर योजना के अधीन स्काडा–वितरण प्रबंधन प्रणाली 139.79 के करोड़ रू0 की कुल लागत पर सात राज्यों अर्थात् चेन्नई, मदुरई, त्रिचि, कोयंबतूर, स्लेम, त्रिपुर और त्रिरवेली जैसे सात शहरों में अनुज्ञ. पितधारी द्वारा निष्पादित की जा रही है। परियोजना जून 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।
19.	त्रिपुरा	पहले ही आरंभ की गई और प्रगति के अधीन है।	केवल स्काडा त्रिपुरा के विशेष क्षेत्र में आरंभ किया गया है।
20.	उत्तराखण्ड	यूईआरसी ने 19.12.2014 के आदेश के माध्यम से राज्य में आरएपीडीआरपी भाग ख योजना के लिए निवेश अनुमोदन का अनुमोदन दिया जिसमें एचवीडीएस प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है।	यूईआरसी ने 2.2.2015 के आदेश के माध्यम से पुनः. संरचित वृद्धिशील विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के भाग ख के अधीन कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए। देहरादून शहर केस्काडा/डीएमएस परियोजना पर निवेदश के लिए अनुमोदन दिया।
21.	उत्तर प्रदेश	एचवीडीएस और स्काडा प्रणालियों का कार्यानवयन प्रगति पर है।	
22.	पश्चिम बंगाल	इस प्रकार की कोई प्रणाली राज्य में नहीं है।	WBSEDCL: कोलकाता, सिलीगुडी और आसनसोल में क्षेत्र में कार्यान्वयन आर–एपीडीआरपी (भाग–ख) योजना के अधीन आरंभ किया गया। सीईएससी लि.: जिला केन्द्र एवं 33 केवी उपभोक्ताओं में जिला केन्द्र 33 केवी जीआईएसः मास्टर नियंत्रण केन्द्र और 79 आरटीयू सहित बेकअप नियंत्रण केन्द्र। 128 आरएमयू 2014–15 में स्थापित किए गए हैं। प्रणाली में कुल आरएमयू 5008 हैं। डीपीएलः कोई वितरण प्रणाली नहीं है। डीपीएससीएलः कार्य प्रगति पर है। डीवीसीः शून्य

कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.13.1 उपयुक्त आयोग को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर पूर्व निर्धारित के आधार पर कंपनियों को विनियमित करना चाहिए। पैरामीटरों में अन्यों के साथ व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी, वॉल्टेज पैरामीटर ट्रांसफार्मर असफलता दरें आपूर्ति की बहाली के लिए प्रतीक्षा समय नए कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची और दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता को शामिल किया जाना चाहिए। उपयुक्त आयोग को कार्यनिष्पादन के प्रतयाशित मानदण्डों को निर्दिष्ट करना होगा।

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
1.	आंध्रप्रदेश	08–08–2013	राज्य सरकार द्वारा 2004 के मूल विनियम संख्या 7 के दूसरे संशोधन को अधिसूचित किया गया।
2.	बिहार	18.01.2007	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2006 को 18.1.2007 को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	जुलाई 14, 2006	उपभोक्ता सेवाओं में विलंब के लिए दण्ड के लिए उपबंध सहित एसओपी अधिसूचित किया गया।
4.	दिल्ली	18 अप्रैल 2007	दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और कार्यनिष्पादन मानक विनियम 2007, के माध्यम से अप्रैल 2007 में पहले से अधिसूचित जो अभी संशोधन के अधीन है।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	पहले जेइआसी ने 18.12.2009 को एसओपी विनियम अधिसूचित किया। इसके बाद एफओआर द्वारा अंगीकृत मॉडल विनियमों पर आधारित एसओपी विनियमों का नया सेट 24.7.2015 को अधिसूचित किया गया।	
6.	गुजरात	31.3.2005 के अधिसूचना सं. 10 के माध्यम से 2005	आयोग उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के लिए विभिनन वितरण कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। आयोग वितरण कंपनियों के लिए एसओपी विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित ब्यौरो सहित वार्षिक रिपोर्टों तथा तिमाही रिपोर्टें प्राप्त करता है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	19.06.2006	विद्युत वितरण और खुदरा आपूर्ति की कुशल विश्वसनीय समन्वित और मितव्ययी प्रणाली के लिए कुछेक विवेचनीय वितरण प्रणाली पैरामीटरों के रखरखाव के लिए मार्गनिर्देश रखने वाले J&KSERC (वितरण कार्यनिष्पादन मानदण्ड) विनियम 2006 मौजूद है।
8.	झारखण्ड	09.09.2015	9.9.2015 को अधिसूचित जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2015
9.	कर्नाटक	जून 10, 2004	कार्यनिष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट किए गए और 10.6.2014 को अधिसूचित किए गए और उनका अनुपालन मॉनिटर किया जा रहा है।
10.	केरल	9.5.2006 15.12.2015	केएसईआरसी (कार्यनिष्पादन का अनुज्ञप्तिधारी के मानक) विनियम, 2006 संशोधित किया गया और नई अधिसूचना आयोग द्वारा 15.12.2015 को जारी की गई – राजपत्र में अधिसूचित की जानी है।

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
11.	महाराष्ट्र	20 मई, 2014	2005 विनियमों को एमईआरसी (आपूर्ति के लिए एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम, 2014 एमईआरसी द्वारा अधिक्रमित किया गया और 20 मई 2014 को अधिसूचित किया गया। कार्यनिष्पादन के मानकों की प्रतिपूर्ति के लिए असफलता हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रतिदेय क्षतिपूर्ति का स्तर एमईआरसी (आपूर्ति के लिए एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम, 2005 के परिशिष्ट क में विनिर्दिष्ट किया गया है। उपभोक्ता के पुनर्कनेक्शन, जले मीटर के मामले में आपूर्ति की बहाली, एलटी / एचअी वॉल्टेज में भिन्नताओं के संदर्भ आपूर्ति की गुणवत्ता, आपूर्ति की बहाली, रिलीजिंग आपूर्ति के लिए अपेक्षित समय अवधि के उप. बंध के रूप में मानकों की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिदेय क्षतिपूर्ति के स्तर के लिए उपबंध किए गए हैं जिन्हें उपभोक्ताओं को अंतिम देयताओं के भुगतान, टैरिफ श्रेणी के परिवर्तन और नाम के परिवर्तन, मीटर रीडिंग, 6 महीने से कम की अवधि के लिए असंबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 59 (2) में उपबंध के अनुसार आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त कार्यनिष्पादन के स्तर पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। वित्तीय वर्ष 2013–14 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
12.	मध्य प्रदेश	नवीनतम अधिसूचना–23 / 11 / 2012	विनियमों में आपूर्ति गुणवत्ता, प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यनिष्पादन की गारंटीकृत मानक इत्यादि की गुणवत्ता शामिल है। प्रथम 16.7.2004 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण 1 26.09.2005 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण 2 23.11.2012 को अधिसूचित हुआ।
13.	मणिपुर और मिजोरम	25.06.2012	विनियम निरस्त हुआ और नया विनियम 9.6.2014 की अधिसूचिना के माध्यम से अधिसूचित हुआ।
14.	नागालैण्ड	31 / 01 / 2012	एनईआरसी / रजिस्ट्रेशन / 2012(ए) दिनांक 31.1.2012 के माध्यम से विनियम अधिसूचित किया गया और अंतिम रूप दिया गया।
15.	उड़ीसा	मई 28, 2004	ओईआरसी ने ओईआरसी (कार्यनिष्पादन के अनुज्ञप्तिधारी मानदण्ड) विनियम, 2004 जारी किया। आयोग ने उक्त विनियम में अनुज्ञप्तिधारियों के व्यवधान की फ्रिक्वेंसी और अवधि जैसे कार्यनिष्पादन के प्रत्याशित मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया। कुछ मानकों के गैरअनुपालन के लिए उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति विनियम की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी की गई।
16.	पंजाब	05.11.2014	पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड एवं संबंद्ध मामले) विनियम 2014 (यथासंशोधित) 5.11.2014 की अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी / सचिव / विनियम 97 अधिसूचित किया गया जिसमें अध्याय 6 में कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदंडों को कवर किया गया।
17.	सिक्किम	23rd March 2012	आयोग ने विनियमों में प्रत्याशित मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया हैं।
18.	तमिलनाडु	1.9.2004	राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित पैरामीटरों के लिए मानदण्ड कार्यनिष्पादन विनियम 2004 के तमिलनाडु विद्युत वितरण मानकों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए और मॉनिटर किया गया।

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
19.	त्रिपुरा	11.01.2005	केवल अनुज्ञधारी अर्थात् टीएसईसीएल द्वारा त्रिपुरा राज्य में एसओपी विनियम पहले ही आरंभ किया गया है।
20.	उत्तराखण्ड	अप्रैल 17, 2007	एसओपी विनियम पहले ही अधिसूचित है। उपभोक्ताओं सेवाओं में कमी के लिए क्षतिपूर्ति और दण्ड का भुगतान विनियम में अधिसूचित है। तिमाही रिपोर्ट एसओपी पर वितरण अनुज्ञधारी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना नियमित आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यूईआरसी एसओपी के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा कर रही है। पारंपरिक शिकायत के अलावा टोल फ्री नंबर सेवा शिकायत के लिए आरंभ कर दी गई है जो एसओपी विनियमों के अनुपालन की तत्काल मॉनिटरिंग के लिए लाभदायक है। उक्त के अलावा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सेवा चार्टर कार्यनिष्पादन के मानकों के संबंध में विद्युत उपभोक्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए 4.2.2015 को जारी किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश		आयोग ने 1 अप्रैल, 2015 से लागू एमवाईटी विनियम 2014 में एसओपी पर अधिसूचित किया।
22.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता सेवा से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम क) प्रथम 16 / डब्ल्यूबीईआरसी दिनांक 5.2.2004 के माध्यम से 5.2.2004 को अधिसूचित किया गया। ख) इसके अलावा 18.10.2005 को 24 / डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया। ग) दोबारा 31.5.2010 को 46 / डब्लयूबीईआरसी द्वार निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया। घ) 26.82013 57 / डब्ल्यूबीई. आरसी द्वारा संशोधि त किया गया। ङ) दूसरा संशोधन 7.1.2014 के 61 / डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा संशोधित किया गया।	समय–सयम से यथासंशोधित कार्यनिष्पादन के मानक ने आपूर्ति की बहाली के लिए समय, असफलता दरें, वॉल्टेज पैरामीटर, व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी से संबंधित बेंचमार्क विनिर्दिष्ट है।

सीजीआर फोरम की स्थापना और ओमबडसमैन राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध

5.13.3 यह हिदायत है कि सभी राज्य आयोगों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत निवारण फोरम के संबंध में मार्गनिर्देशन तैयार करने चाहिए तथा ओमबडसमैन के संबंध में विनियम और 6 महीने के अंदर ओमबडसमैन को नियुक्त और/पदनाम करना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेई. आरसी	सीजीआर विनियम	सार
1.	आंध्रप्रदेश	03–07–2007	ओमबडसमैन और उसके स्टाफ की सेवा की निबंधन व शर्तों तााि नियुक्ति के संबंध में राज्य आयोग ने एपीईआरसी (विद्युत ओमबडसमैन की नियुक्ति और सेवा की निबंधन व शर्तें) विनियम 2007 (2007 का विनियम संख्या 2) को भी अधिसूचित किया। इसके बाद 19.6.2010 को आयोग ने 2007 के मूल विनियम संख्या 2 में प्रथम संशोधन जारी किया। आंध्रप्रदेश
2.	बिहार	20.05.2006 को अधिसूचित किया।	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमैन) विनियम 2006 20.5.2006 को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	फरवरी 15, 2005 और 22.12.07 को संशोधित किया।	सीजीआर तीन प्रादेशिक मुख्यालयों में स्थापित किए गए। ओमबडसमैन नियुक्त किया गया और दोनों कार्यरत हैं।
4.	दिल्ली	11.03.2004 को अधिसूचित किया।	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना एवं ओमबडसमैन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2003 (11.03.2004 को अधिसूचित किया)
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	इस संबंध में जेईआरसी विनियम 31.7.2009 को अधिसूचित किया। सीजीआएफ और ओमबडसमैन व्यवस्था जारी है और ठीक से कार्यरत है।	
6.	गुजरात	जीईआरसी (उपभोक्ता के शिकायतों के निव. ारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम 2004, 2004 की अधिसूचना संख्या 4 दिनांक 25.8. 2004 (निरस्त) जीईआ. रसी ने सीजीआरएफ दिनांक 7.4.2011 को अधिसूचित किया और ओमबडसमैन (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और ओमबडसमैन) वि. नियम 2011 को 2011 की अधिसूचना संख्या 2।	गुजरात राज्य में आठ सीजीआरएफ कार्य कर रहे हैं। आयोग तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.6.2010 से स्वतंत्र ओमबडसमैन को नियुक्त कर रहा है। आयोग तिमाही रिपोर्टों और आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से अपने कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेई. आरसी	सीजीआर विनियम	सार
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	अधिसूचित और यथास्थान	जेएण्डकेएसईआरसी (उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना हेतु जेएण्डकेएसईआरसी मार्गनिर्देश और विद्युत ओमडसमैन विनियम, 2010) विनियम 2010 को अधिसूचना क्रमशः संख्या 03 / JKSERC / 2010 दिनांक; 06.10. 2010 & संख्या.: 04 / JKSERC / 2010 दिनांकय 06.10.2010 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा आयोग ने संख्या.: JKSERC / 20 दिनांक; 27.08.2012 के माध्यम से (उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम ओमबडसमैन और उपभोक्ता एडवोकेसी) विनियम 2012 अधिसूचित किया है। ओमडसमैन अभी नियुक्त किया जाना है चूंकि सीजीआरएफ कंपनी / सरकार द्वारा अभी स्थापित नहीं किया गया है।
8.	झारखण्ड	09 / 11 / 2011	पहले ही अधिसूचित किया गया है।
9.	कर्नाटक	जून 10, 2004	केईआरसी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम तैयार किया है और 10.6.2014 को अधिसूचित किया। आयोग ने ओमडसमैन नियुक्त किया और राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सीजीआर फोरम स्थापित किया।
10.	केरल	14.10.2005 को जारी किया गया।	विद्युत ओमडसमैन और अनुज्ञप्तिधारियों का सीजीआरएफ राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।
11.	महाराष्ट्र	20.04.2006	क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5)–42(6) के अनुसरण में एमईआरसी ने 'महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2006 तैयार किया है जिसमें महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा ओमडसमैन) विनियम 2003 के रूप में अभिज्ञात 2003 में तैयार विनियमों को अधिक्रमित किया। ख) विनियमों में त्रिटायर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है जिसमें अनुप्तिधारी द्वारा उनको प्रदत्त सेवा में कमी के कारण व्यथित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता उसके क्षेत्र के आईजीआर कक्ष से संपर्क कर सकता है और संतुष्ट न होने की स्थिति में अंचल के सीसीजीआर से शिकायत दाखिल कर सकता है और सीसीजीआर के निर्णय से संतुष्ट न होने पर ओमडसमैन से संपर्क कर सकता है। ग) तदनुसार प्रत्येक डिस्कॉम ने सीजीआरएफ गठित किया है। तीन डिस्कॉम अर्थात् बेस्ट, आरइंफ्रा और टीपीसी प्रत्येक का एक सीजीआरएफ है। जबकि प्रचालन का व्यापक क्षेत्र होने के कारण एसएसईडीसीएल के पास 16 सीजीआरएफ है। इस प्रकार मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में कुल 19 सीजीआरएफ हैं। घ) विद्युत ओमडसमैन का कार्यालय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के अधीन 27.9.2004 को स्थापित किया गया और मुंबई में 24.1.2005 से कार्य आरंभ किया। एमईआरसी ने 2011 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधार के लिए नागपुर में एक ओर विद्युत ओमडसमैन गठित किया। ङ) विद्युत ओमडसमैन और सभी सीजीआरएफ राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
12.	मध्य प्रदेश	30.4.2004 को अधिसूचित 28.08.2009 को संशोधित / 10.5. 2015 को अंतिम रूप से संशोधित	विनियमों में उपभोक्ता शिकायतों का ईसीजीआरएफ निवारण और ओमडसमैन की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश शामिल
13.	मणिपुर और मिजोरम	18.06.2010	सीजीआरएफ को दोनों राज्यों में गठित किया गया। ओमडसमैन को दोनों राज्यों के लिए नामित किया गया।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेई. आरसी	सीजीआर विनियम	सार
14.	नागालैण्ड	31 / 01 / 2012	NERC/REFN/2012(B) dated 31 / 01 / 2012 ने विनियमों को अधिसूचित किया और अंतिम रूप दिया।
15.	उड़ीसा	ओईआरसी ने ओईआ. रसी (शिकायत निवारण ओमडसमैन) जारी किया।	12 जीआरएफ और दो ओमडसमैन अधिकारी राज्य में प्रचालन में है। एक ओमडसमैन कार्यालय NESCO, WESCO & SOUTHCO कवर करता है और दूसरा ओमडसमैन कार्यालय केवल सीएसयू को कवर करता है। ओमडसमैन सीधे आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि जीआरएफ के अध्यक्ष और वित्त सदस्य संबंधित डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत नाम के पैनल से आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग सहसदस्य को नामित करता है।
16.	पंजाब	पीएसईआरसी (फोरम एवं ओमडसमैन) विनियम 2005	पटियाला में मुख्ययालय सहित सीजीआर, सीजीआरएफ 1.8.2006 से कार्य कर रहा है। पीएसईआरसी द्वारा नियुक्त ओमडसमैन विद्युत पंजाब, चंडीगढ़ 11.9.2006 से कार्य कर रहा है।
17.	सिक्किम	30 अप्रैल 2012	तैयार किए गए मार्गनिर्देश और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित सीजीआरएफ। ओमड. समैन के संबंध में विनियम अधिसूचित किया गया और सीजीआरएफ अधिसूचित एवं ओमडसमैन नामित किया।
18.	तमिलनाडु	18 फरवरी, 2004	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं ओमडसमेन के संबंध में आयोग के विनियमों में फोरम की स्थापना के लिए या विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम स्थापित करने के लिए अनुज्ञन्धिारी के लिए व्यवस्था है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने 42 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए हैं। प्रत्येक वितरण परिमण्डल में एक और फोरम ठीक से कार्य कर रहे हैं। विद्युत ओमडसमैन आयोग द्वारा नियुक्त किया जा रहा है जो विनियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्य करता है। विद्युत ओमडसमैन फोरमों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण हैं।
19.	त्रिपुरा	पहले से तैयार किए गए हैं।	सीजीआरएफ को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही आंरभ किया गया है। मौजूदा ओमडसमैन 30 / 6 / 2015 को सेवानिवृत्त हो गया है। नया ओमडसमैन भी नियुक्त किया जाना है।
20.	उत्तराखण्ड	17.01.2007 को अधिसूचित किया।	यूईआरसी (ओमडसमैन की नियुक्ति और कार्य प्रणाली) (तीसरा संशोधन) विनियम 2014 20.12.2014 को अधिसूचित किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश	आयोग ने 'यूपी विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2007' को 4.10. 2007 को अधिसूचित किया गया।	सभी डिस्कॉमों ने अपने संबंधित अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्रों में सीजीआरएफ स्थापित किया है और मौजूदा रूप से कार्य कर रहा है।
22.	पश्चिम बंगाल	क) विनियम 8.10.2003 के पूर्ववर्ती विनियम के प्रतिस्थापन्न में 17.01. 2006 को किया गया। ख) इसके बाद, 26.8. 2013 के 56 / WBERC प्रतिस्थापित किया गया।	WBSEDCL – 19+1+1 (हेड क्वार्टर में 1 PGRO) CESC Ltd. - 10 DPSCL - 9 DPL – निर्मित किया गया और प्रचालन में है। DVC- सीजीआर निर्मित CGR formed फिलहाल दो ओमडसमैन कार्य कर रहे हैं।

उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय नीति में उपबंधः

5.13.4 केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और विद्युत विनियामक आयोगों को विनियामक आयोगों के समक्ष उपभोक्ता समूहों और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व का क्षमता निर्माण करना चाहिए। इससे विनियामक प्रक्रिया में वृद्धि होगी।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सार
1.	आंध्रप्रदेश	आयोग इलैक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया तथा उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से टैरिफ अवधारण, विनियमों को अधिसूचित करने के दौरान स्टेकहोल्डरों/उपभोक्ताओं/आम जनता से सुझाव/विचार आमंत्रित करता रहा है और उनका उत्तर उत्साहवर्धक है।
2.	बिहार	
3.	छत्तीसगढ़	उपभोक्ता एडवोकेसी कक्ष आयोग द्वारा पहले ही स्थापित किया गया है।
4.	दिल्ली	आयोग ने उपभोक्ता एडवोकेसी के लिए सार्वजनिक शिकायत कक्ष GoNCTD को अधिदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक बुलेटिन भी जारी किया है।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई नियमित रूप से करता रहा है। कुछ मामलों के लिए जेईआरसी अपने विनियमों के बारे में सूचित करने के लिए 'उपभोक्ता समूह के साथ विचार–विमर्श भी करता है।'
6.	गुजरात	आयोग टैरिफ अवधारण में सहभागिता के लिए उपभोक्ता समूहों को आमंत्रित करता है और उपभोक्ता को सेवाओं में सुधार के लिए अपने मूल्यवान सुझाव की मांग भी करता है। इस परियोजना को सीयूटीएस अंतरराष्ट्रीय की मदद से कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य मांग पक्ष प्रबंधन और नवीकरणीय उर्जा पहल के लिए मांग में उपभोक्ता समूहों की दीर्धकालिक क्षमता जानकारी में वृद्धि करना रहा है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	आयोग राज्य के जिला मुख्यालयों में सामान्य उपभोक्ता जानकारी तथा विद्युत आपूर्ति कोड, वितरा कार्यनिष्पादन मानक में, जेएण्डके विद्युत अधिनियम 2010 के उपबंधों पर नियमित रूप से कार्यशाला आयोजित करता रहा है और समय–समय से इस प्रकार के सेमीनार/कार्यशाला के आयोग के लिए उपभोक्ता संगठन एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करता है।
8.	झारखण्ड	उपभोक्ता समूहों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए बहुविध सार्वजनिक सुनवाईयां किसी टैरिफ आदेश/विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोजित की जाती हैं। जेएसईबी टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देने के लिए बहुविधि सार्वजनिक सुनवाइयां अप्रैल 2012 से मई 2012 तक आयोजित की गई। इसी के साथ–साथ आयोग सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों में कंपनियों को निर्देश देता है जिससे विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए मदद मिलती है और इससे क्षमता निर्माण में भी मदद मिलती है।
9.	कर्नाटक	उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला प्रशिक्षण सेमिनार तथा तिमाही पत्रिकाओं से उपभोक्ता एडवोकेसी कार्यालय के माध्यम से आरंभिक रूप से किया जाता है। इसे ओमडसमैन के कार्यालय के माध्यम से जारी रखा गया है। अपने टैरिफ आदेश में आयोग वितरण अनुप्तिधारियों द्वारा किए गए उपभोक्ता क्षमता निर्माण के लिए व्यय के लिए निधियां उपलब्ध करवाता रहा है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
10.	केरल	उपभोक्ता एडवोकेसी कक्ष कार्य कर रहा है।
11.	महाराष्ट्र	1. विद्युत उपभोक्ता के हितों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन की प्राप्ति के लिए धारा 86(4) और 94(3) के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा और अपेक्षाओं की तुलना के रूप में उनके अनुभव / विशेषज्ञता द्वारा दर्शाए गई रूचि के आधार पर 19.12.2003 के आदेश के द्वारा एमईआरसी में पांच प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि संगठनों को प्राधिकृत किया है अर्थात्; (क) मुम्बई ग्राहक पंचायत, विल्ले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई (ख) प्रयास एनर्जी ग्रुप, पुणे (ग) थाने बेलापुर इंडस्ट्रिज ऐसोसिएशन, नवीकरणीय मुम्बई (घ) विदर्भ इंडस्ट्रिज ऐसोसिएशन, नागपुर (ङ) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग एवं कृषि 2. 8 जून, 2012 को एमईआरसी ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व के उपयुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं के चयन एवं प्राधिकार के लिए एमईआरसी (प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि) विनियम, 2012 को अधिसूचित किया। 3. हाल ही में, आयोग ने मामला दर मामला आधार पर उपभोक्ता हित को प्रस्तुत करने के लिए सीआर के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में 15 व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया। 4. उपभोक्ता समूह उत्पादन कंपनी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और व्यापर अनुज्ञप्तिधारी इत्यादि के लिए एआरआर / टैरिफ के अवधारण पर सुनवाई में उपभोक्ताओं की ओर से सुझाव और अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और सहभागिता करता है। 5. उक्त उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए उपभोक्ता / स्टेकहोल्डरों और आम जनता के सुझावों / टिप्पणियों को टैरिफ निर्धारण और विनियमों को अंतिम रूप देने से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
12.	मध्य प्रदेश	उपभोक्ताओं को सहायता करने वाले रजिस्टर्ड 127 एनजीओ के लिए
13.	मणिपुर और मिजोरम	मणिपुर मिजोरम अधिसूचित सिटीजन चार्टर, उपभोकता जागरूकता बैठक / कार्यशाला आयोग द्वारा तथा नामजद संगठनों के माध्यम से समय–समय से आयोजित की जाती है। उपभोक्ताओं को दोनों राज्यों में राज्य सलाहकार समिति में ठीक से प्रतिनिधित्व किया जाता है। उपभोक्ता समूह महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता की जाती है।
14.	नागालैण्ड	लागू नहीं

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
15.	उड़ीसा	• विभिन्न विनियामक निर्णय प्रक्रिया में आयोग उपभोक्ताओं के राय लेता है और उन्हें सुनवाई में सहभागिता के लिए अनुमति देता है। • विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(3) के अनुसार अपने टैरिफ सुनवाई में ओईआरसी विश्लेषण के लिए 'उपभोक्ता काउंसिल' को लगाता रहा है और अनुज्ञप्तिधारियों / उत्पादन कंपनी के एआरआर एवं टैरिफ आवेदन पर अपनी स्वतंत्र विचार रखता रहा है। • आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यनिष्पादन पर आवश्यक फीडबैक तथा वितरण अनुज्ञप्ति धारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि पर आवश्यक फीडबैक के लिए उपभोक्ता काउंसिल के लिए एनजीओ और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है। • जीआरएफ एवं ओमडसमैन के साथ वार्षिक विचार–विमर्श • जीआरएफ के निरीक्षण और उपभोक्ता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किए जा रहे हैं। • टैरिफ एवं अन्य महत्वपूर्ण आदेशों का संग्रह वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। • 'आपको क्या करना चाहिए?' शीर्षक की पुस्तिका (एफएक्यू) प्रकाशित की गई और विद्युत उपभोक्ताओं को वितरित की गई। • कार्यनिष्पादन मानक वार्षिक रूप से प्रकाशित किए गए। • सभी बड़े उड़िया और अंग्रेजी दैनिक ने बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित सार्वजनिक जागरूकता अभियान • वर्ष 1998 में आयोग ने वेबसाइट स्थापित की जो देश के विद्युत क्षेत्र में विशेष रही। ओईआरसी वेबसाइट को पोर्टल में उन्नत किया गया जो अब उपभोक्ता से मित्रवत बनी हुई है और अपनी प्रकृति में विचार विमर्श रखती है।
16.	पंजाब	उपभोक्ता समूह टैरिफ के अवधारण के लिए सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता करता है। इन उपभोक्ता समूह के कुछ प्रतिनिधियों को पीएसईआरसी, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। उपभोक्ताओं समूहों की टिप्पणियां आयोग द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने से पूर्व सावर्जनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
17.	सिक्किम	आयोग विनियामक प्रक्रिया तथा पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के लिए विनियामक प्रक्रिया को बनाने के सभी प्रयास करता रहा है। आयोग के कार्यकलाप, विनियम, सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन से संबंधित सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में रखी गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता / संवेदनात्मक कार्यक्रमों के लिए निर्देश देता रहा है ताकि सूचना का विस्तार किया जा सके और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा सके।
18.	तमिलनाडु	सभी वितरण मण्डलों में निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की गतिविधियां आयोग द्व ारा मॉनिटर की जाती है। आयोग ने उपभोक्ता संबंधित मामलों पर पुस्तिका प्रकाशित की है और उपभोक्ता / उपभोक्ता समूह में प्रचालित की है।
19.	त्रिपुरा	पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम की व्यवस्था की स्थिति में नहीं है।
20.	उत्तराखण्ड	राज्य की विद्युत उपभोक्ता के लिए सेवा चार्टर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए 4.2.2015 को जारी किया गया। विभिन्न उपभोक्ता समूहों के साथ विचार–विमर्श के लिए उपभोक्ता एडवोकेसी अधिकारी के रूप में तथा पूर्ण राज्य में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम की सुविधा के लिए एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
21.	उत्तर प्रदेश	आयोग विभिन्न उपभोक्ताओं के स्तर से प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए उपभोकता समूह के गठन का उन्नयन करता रहा है। सभी समूह आयोग के निर्णय में गुणवत्ता योगदान करते रहे हैं। आयोग टैरिफ अवधारण तथा अन्य महत्वपूर्ण मुददों के लिए उपभोक्ता सहभागिता के लिए राज्य के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई करते रहे हैं।
22.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीआरसी ने विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत के निवारण के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ओमडसमैन द्वारा इस प्रकार की शिकायत से लेनदेन के समय व ढंग तथा उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2013 नाम से विनियम अधिसूचित किए। कार्यनिष्पादन विनियम के मानक की मुख्य विशेषताएं, शिकायत निवारण तंत्र के पत्रकों को उपभोक्ताओं में विद्युत बिल सहित प्रचालित करने के लिए आयोग द्वारा निर्देश दिए गए। उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधि को मुददे की प्राथमिकता के लिए आयोग की सलाहकार समिति में शामिल किया गया।

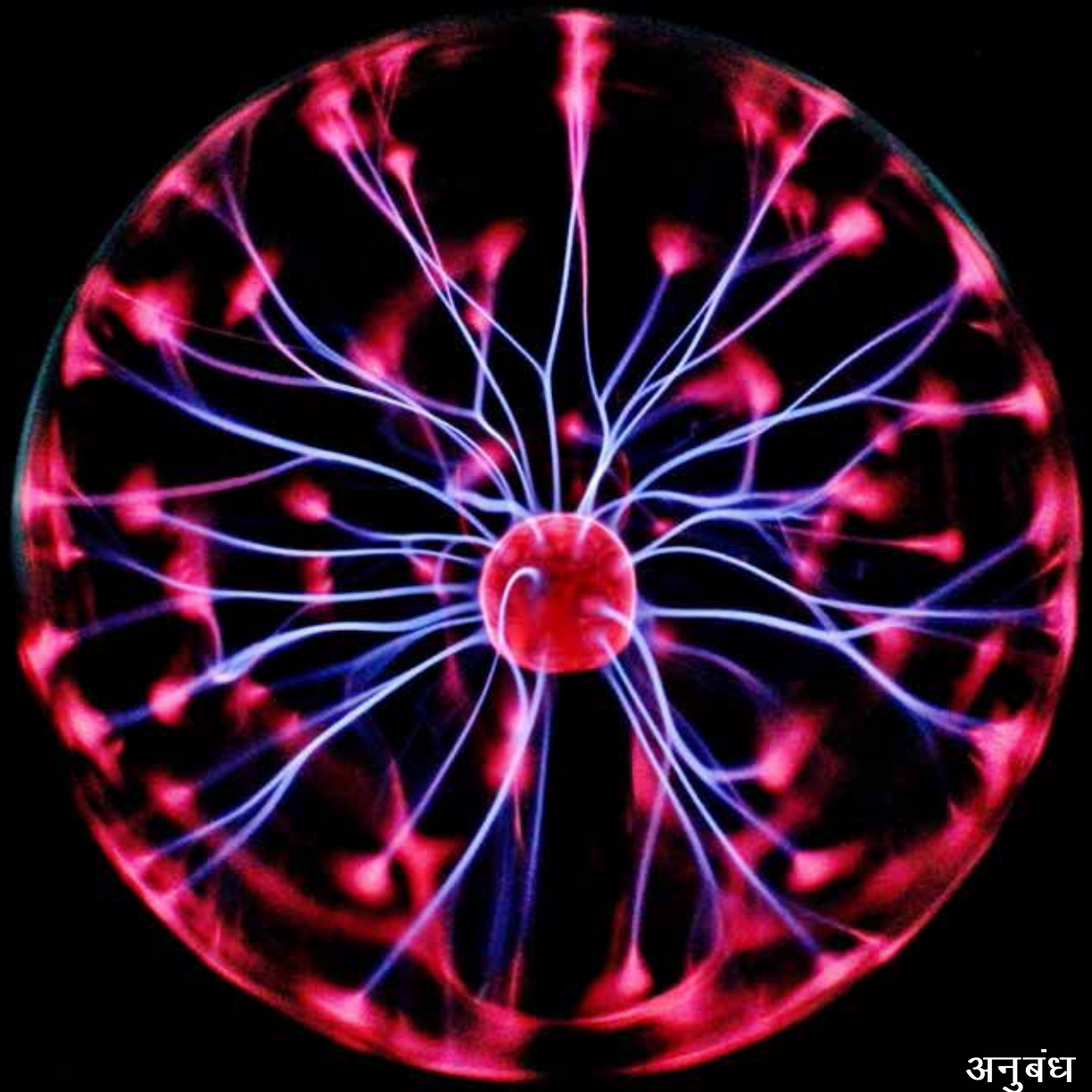

अनुबंध - III

टैरिफ नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति

विषयसूची

1.	इक्विटी पर रिटर्न	81
2.	मूल्यह्रास दरें	84
3.	अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन	87
4.	टीओडी टैरिफ	91
5.	ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत	96
6.	निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति	104
7.	अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन	109

इक्विटी पर रिटर्न

टैरिफ नीति में उपबंध :

5.3 (क) निवेश पर रिटर्न

.....

केन्द्रीय आयोग समय–समय से पूंजी की प्रचलित लागत तथा समूचे जोखिम के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं और उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर अधिसूचित करेगा जिसका एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा अनुपालन किया जाएगा। पारेषण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित रिटर्न की दर अन्तर्ग्रसत उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लिए एसईआरसी द्वारा अंगीकार की जाएगी। इस मामले में एकसमान दृष्टिकोण के लिए विनियामक फोरम के माध्यम से मतैक्य पर पहुंचना वांछनीय होगा।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>15.5</td><td>एपीजीईएनसीओ स्टेशन</td></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>14</td><td>एपट्रांसको</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>14%</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>15.5%
16.0%</td><td>15.5 प्रतिशत की बेस दर पर कर पूर्व आधार पर संगणित वित्तीय वर्ष 2015–14 से 2013–14 की नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इक्विटी पर रिटर्न।
16.0 प्रतिशत की बेस दर पर कर पूर्व आधार पर संगणित वित्तीय वर्ष 2015–14 से 2013–14 की नियंत्रण अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इक्विटी पर रिटर्न।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td>14% और 16%</td><td>इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2012.13, वित्तीय वर्ष 2013–14 औरवित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विनियम 2011 में जीईआरसी द्वारा यथाअनुमोदित वितरण कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 16 प्रतिशत कर पश्चात और पारेषण एवं उत्पादन कारोबार के लिए इक्विटी रिटर्न 14 प्रतिशत पोस्ट कर है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">चूंकि जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी सरकारी विभाग तथा समन्वित कंपनियों के रूप में प्रचालन कर रहे हैं अतएव जेईआरसी ने अवधि के दौरान प्रचालनकारी निवल नियत आस्तियों पर 3 प्रतिशत रिटर्न की अनुमति दी।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>14%</td><td>आरओई उत्पादन पारेषण और वितरण गतिविधि के लिए प्रदान की गई है जो जीईआरसी (एमवाईटी) विनियमों पर आधारित राज्य में विनियमित गतिविधियां हैं।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>i) 14%
ii) 15.5%</td><td>जेकेएसईआरसी (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 25 के अनुसार
जेकेएसईआरसी (बहवर्ष वितरण टैरिफ) विनियम 2012 के विनियम 28 के अनुसार और जेकेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 4.10 के अनुसार।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>15.50% (पोस्ट–टैक्स)</td><td>0.50 प्रतिशत का प्रोत्साहन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td>15.50%</td><td>आयोग ने राज्य में सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 15.5 प्रतिशत इक्विटी पर रिटर्न विनिर्दिष्ट किए हैं।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>14%</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="2">एमईआरसी ने अपने विनियम अर्थात महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम 2011 के माध्यम से द्वितीय नियंत्रण अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया है।
उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिर्टन 15.5 प्रतिशत–% (* अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी यदि परियोजना समयसीमा के अंदर पूरी होती है अन्यथा नहीं।)
पारेषण के लिए इक्विटी पर रिटर्न–15.5%
वितरण वायर कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 15.5 प्रतिशत हैं।
आपूर्ति कारोबार – 17.5%</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ में इक्विटी पर रिटर्न की एमपीईआरसी (उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम के अनुसार अनुमति है जिसे केविविआ के विनियमों में अपनाई गई पद्धति एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्रतिशतता में इक्विटी पर रिटर्न</th><th>अतिरिक्त इक्विटी पर रिटर्न, यदि लागू है।</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>वि.व 2014–15</td><td>15.5%</td><td>0.5%</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>16%</td><td>उत्पादन पारेषण और वितरण</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>16%</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए 15.5 प्रतिशत और डिस्कॉम के लिए 16 प्रतिशत</td><td>आयोग ने 1.4.1996 के बाद किए गए इक्विटी निवेश के लिए लागू कर दर सहित 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर कर पूर्व आधार पर ओएचपीसी (राज्य हाइड्रो उत्पादक) को इक्विटी पर रिर्टन की अनुमति दी है। इसी प्रकार ओपीटीसीएल, एसटीयू के लिए आयोग ने 1.4.1996 के बाद आरंभ परियोजनाओं के लिए इक्विटी के फोर्म में निवेश पूंजी के लिए केविविआ मानदण्ड के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न RoE@15.5% की अनुमति दी है। तथापि आयोग ने एलटीटीएस आदेश के अनुसार कारोबार में इक्विटी की राशि पर डिस्कॉम को 16 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर रिटर्न की अनुमति दी है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>15.5%</td><td>आस्तियों के सृजन में वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी की राशि पर 15.5 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर रिटर्न टैरिफ विनियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td>14%</td><td>ऊर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार, केवल डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार का विभाग है, यहां व्ययों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के लिए उपगत किया जाता है। इस प्रकार कोई अलग इक्विटी की आयोग द्वारा इक्विटी पर रिटर्न के लिए अनुमति नहीं दी गई है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	आरओई (%)	सार
18.	तमिलनाडु	14 प्रतिशत पोस्ट टैक्स (अवधारण टैरिफ विनियमों 2005 के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 21 के अनुसार)	
19.	त्रिपुरा	14.89%	कुल 30.69 करोड़ रु. टीईआरसी द्वारा अनुमोदित किए गए।
20.	उत्तराखण्ड	i. उत्पादन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और एसएलडीसी – 15.5 प्रतिशत ii. वितरण अनुज्ञप्तिधारी 16%	आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाई टी विनियम जारी किए।
21.	उत्तर प्रदेश	16%	अनुज्ञप्तिधारी यूपीईआरसी वितरण टैरिफ विनियम 2006 के खण्ड संख्या 4.10 के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न अर्जित करने के लिए हकदार हैं, "इक्विटी पर रिटर्न विनियम 4.7 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर 16 प्रतिशत की दर पर अनुमति होगी। तथापि आयोग अपने द्वार स्थापित कार्यनिष्पादन बेंचमार्क की तुलना में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के अध्याधीन रिटर्न की दर को कम / वृद्धि कर सकता है।"
22.	पश्चिम बंगाल		उत्पादन – केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसर वही। पारेषण – केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसर वही। वितरण – उत्पादन के लिए अनुमत्त इक्विटी पर रिटर्न की अपेक्षा 1% अधिक

मूल्यह्रास दरें

टैरिफ नीति में उपबंध :

5.3 (ग) मूल्यह्रास

केन्द्रीय आयोग उत्पादन और पारेषण आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दरों को अधिसूचित कर सकता है। अधिसूचित मूल्यह्रास दरें उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लागू होंगे जिसे विनियामक फोरम द्वारा विकसित किया जा सकता है।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
1.	आंध्रप्रदेश	नहीं	विद्युत मंत्रालय दरें – एपीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2008 की विनियम संख्या 1 के अनुसार अपनाई गईं। विद्युत मंत्रालय दरें अपनाई जाएं चूंकि उनका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्थात् वार्षिक लेखों में APTRANSCO द्वारा अनुपालन किया जाता है।
2.	बिहार	हाँ	
3.	छत्तीसगढ़	अपनाए गए	
4.	दिल्ली	आस्तिवार मूल्यह्रास अनुसूची वित्तीय वर्ष 2012–13, वित्तीय वर्ष 2013–14 और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उत्पान, वितरण और पारेषण कारोबार के लिए एमवाईटी विनियम 2011 के लिए दी गई हैं।	
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी ने मूल्यह्रास के लिए केविविआ दरों को अपनाय है और तदनुसार जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इसकी अनुमति दी गई है।	
6.	गुजरात	मूल्यह्रास की केविविआ दरों के अनुसार विभिन्न आस्तियों पर अनुमति दी गई है। कुल मूल्यह्रास दरों की गुजरात की कंपनियों को (अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण) को अनुमति दी गई है।	शून्य
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर		JKSERC टैरिफ विनियम विभिनन उपयोगी जीवन वाले विभिनन आसितयों के लिए अलग दरें विनिर्दिष्ट करते हैं।
8.	झारखण्ड		
9.	कर्नाटक	अपनाए गए	आयोग ने केविविआ द्वारा यथाअधिसूचित मूलयह्रास दरों को अपनाया है।
10.	केरला	अपनाए गए	

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>अपनाई गई केविविआ दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td></td><td>महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) विनियम 2011 के अनुसार मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगा।
उत्पादक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित ढंग से संगणित उनके संबंधित कारोबार में प्रयुक्त नियत आस्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास की वसूली के लिए अनुमति होगी।
(1) परियोजना/नियत आस्तियों की अनुमोदित मूल लागत मूल्यह्रास की संगणना के लिए मूल्य आधार होगी।
(2) मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।
(3) आस्ति का सालवेज मूल्य स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के 10 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी। मूल्यह्रास की भूमि पर अनुमति नहीं होगी और भूमि का मूल्य मूल्यह्रास की संगणना के प्रयोजन के लिए स्वीकृति योग्य पूंजी लागत को बाहर होगा।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए एमपीईआरसी विनियमों में मूल्यह्रास दरें वहीं निर्धारित की गई हैं जैसा कि केविविआ टैरिफ विनियमों में दी गई है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>अपनाई गई सीईआरसी दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2012–13</td><td rowspan="3">हाँ</td><td rowspan="3">वित्तीय वर्ष 12–13, 13–14 और 14–15 के लिए खुदरा आपूर्ति एवं वितरण कारोबार के लिए लागू मूल्यह्रास दरें लागू हैं।</td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2013–14</td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2014–15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>हाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>अपनाई नहीं गई।</td><td>ओईआरसी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मूल्यह्रास को अपनाया है और भारत सरकार यथाअधिसूचित पूर्व 92 दरों पर 29.1.2003 के डीओआर अधिसूचना सं.1068/E के अनुसार अपनाया गया है। राज्य हाइड्रो उत्पादन परियोजनाओं के लिए मूल्यह्रास की 2.57 प्रतिशत की दर पर अनुमति दी गई है। तथापि हाइड्रो परियोजनाओं के लिए जहां मूल ऋण पुर्नभुगतान 2.57 प्रतिशत पर आए से अधिक है उन मामलों में मूल्यह्रास की ऋण के मूल पुनर्भुगतान की सीमा तक अनुमति दी गई है। पारेषण कंपनी के लिए विशेष विनियोजन के आकार में अतिरिक्त मूल्यह्रास की पूर्व 92 दर पर संगणित कुल मूल्यह्रास पर केविआ की अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी गई है। वितरण कारोबार के लिए मूल्यह्रास की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूर्व 92 दर पर अनुमति दी गई है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
16.	पंजाब	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के परिशिष्ट के अनुसार	केविविआ विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास की दर पंजाब पावर, यूटिलिटी के मामले में भी लागू हैं।
17.	सिक्किम	एसईआरसी द्वारा अपनाई गई केविविआदरें	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 2 के अनुसार दरों को उत्पादन एवं पारेषण आस्तियों के लिए क्रमशः अपनाया गया है। .
18.	तमिलनाडु	आयोग ने टैरिफ विनियम (टैरिफ विनियम 2005 के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 24) के अनुसार मूल्यह्रास की दर की अनुमति दी है जो केविविआ टैरिफ विनियम के अनुसार है।	
19.	त्रिपुरा	––	21.55 करोड़ की एकमुश्त राशि टीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई।
20.	उत्तराखण्ड	अपनाई गई	केविविआ दरें यूईआरसी द्वारा अपनाई गई हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	नहीं	आयोग मूल्यह्रास के समय में मूलयह्रास की संगणना के लिए यूपीइरसी टैरिफ विनियम (2006–MYT) का अनुपालन करता है।
22.	पश्चिम बंगाल		i) आयोग में मौजूदा उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) यथा संशोधित विनियम 2011 के अनुबंध क में निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ii) आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य 10 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के मूल लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी। iii) फ्रीहोल्ड भूमि मूल्यह्रास योग्य आस्ति नहीं है और इसकी लागत पूंजी लागत से बाहर होगी। मूल्यह्रास पर आयोग की ओर से फिलहाल इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है।

अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ अप्रैल, 2006 तक राज्य स्तर पर आरंभ किया जा रहा है। यह फ्रेमवर्क उत्पादन केन्द्रों के लिए (एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा यथानिर्धारित क्षमताओं के ग्रिड संबद्ध केप्टिव संयंत्र सहित) को विस्तारित किया जाएगा।

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
1.	आंध्रप्रदेश	नहीं	आंध्रप्रदेश अंतःराज्यिक एबीटी के स्थान पर अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन्न कोड का अनुपालन किया जा रहा है।
2.	बिहार		
3.	छत्तीसगढ़	अधिसूचित नहीं	केविविआ उपलब्धता आधरित टैरिफ और विचलन व्यवस्थापन्न तंत्र विनियम कुछेक राज्य विनिर्दिष्ट परिवर्तनों सहित अपनाया गया। पृथक अंतःराज्यिक एबीटी विनियमों की अधिसूचना प्रक्रिया के अधीन है।
4.	दिल्ली	हाँ	अंतःराज्यिक एबीटी 31.3.200 के आदेश के माध्यम से आरंभ किया गया।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	चूंकि अवधि के दौरान सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने समन्वित कंपनियों के रूप में कार्य किया अतएव अंतःराज्यिक एबीटी आरंभ नहीं किया गया था।	
6.	गुजरात	'अंतःराज्यिक उपलब्धता आधारित टैरिफ की परिधि के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, गुजरात राज्य के उत्पादन केन्द्र को लाने के लिए' 11.8.2006 के आदेश संख्या 3 के माध्यम से जीईआरसी ने गुजराज राज्य में एबीटी कार्यान्वित किया। अंतःराज्यिक एबीटी फ्रेमवर्क आयोग के 2010 के आदेश संख्या 3 के अनुसार 5.4.2010 से राज्य में वाणि ाज्यिक आधार पर प्रवृत्त हुआ।	राज्य में वितरण अनुज्ञयप्तिधारी और निर्बाध पहुंच उपभोक्ता, ग्रिड संबद्ध सीपीपी, उत्पादन केन्द्रों के लिए अंतःराज्यिक एबीटी आरंभ किया गया।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर		अंतःराज्यिक एबीटी अभी आरंभ नहीं किया गया।
8.	झारखण्ड	फिलहाल एबीटी राज्य में लागू नहीं है। चूंकि विद्युत क्षेत्र सुधारों की प्रक्रिया विद्युत बोर्ड की अनबडलिंग से हुई है। अतएव आयोग निकट भविष्य एबीओ आरीा करने में विचार	
9.	कर्नाटक	कार्यान्वित	एबीटी के कार्यान्वयन के लिए आदेश 26.12.2006 को जारी किया गया। तथापि मौक कार्य पिछले 2 वर्षों के लिए किया गया ओर अंतःराज्यिक एबीटी 1.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
10.	केरला	कार्यान्वित किया जाना है।	

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
11.	महाराष्ट्र	17 मई 2007 को जारी किया गया 2006 का मामला संख्या 42 में एमईआरसी आदेश।	**महाराष्ट्र में डब्ल्यूएएसएमपी आधारित एबीटी तंत्र की शुरूआत** 1. विचलन का व्यवस्थापन बाजार भागीदारों को उचित आर्थिक सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए आदेश में महाराष्ट्र में भारित औसत प्रणाली मार्जिनल कीमत पर किया गया। 2. महाराष्ट्र के विद्युत बाजार के अंदर प्रचालनकारी पारेषण निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता और वितरण अनुज्ञप्तिधारी (मानदण्ड के अध्याधीन) राज्य पूल सहभागी होंगे। 3. उत्पादकों को असंतुलित पूल व्यवस्थापन्न के लिए विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार का संव्यवहार आरई उत्पादकों को दिया गया। सीपीपी का प्रयोग करने वाले पारंपरिक विद्युत स्रोतों के संबंध में संव्यवहारों पर विचलन को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मामले के समान उपभोक्ता पर किया जाएगा।
12.	मध्य प्रदेश	हाँ	01 नवंबर, 2009 से
13.	मणिपुर और मिजोरम	नहीं	केवल एक कंपनी प्रत्येक राज्य में मौजूद है।
14.	नागालैण्ड	आयोग ने अभी तक उपलब्धता आधारित टैरिफ नियत नहीं किया है।	
15.	उड़ीसा	विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया गया।	अंतःराज्यिक एबीटी विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया। कंपनियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आईआरसी ने दो चरणों में अंतःराज्यिक एबीटी के कार्यान्वयन के लिए विभक्त किया। डिस्कॉम तथा ग्रिडको के बीच फेज–1 तथा उत्पादकों को विस्तारित करने के लिए किया। घण्टे तथा 15 मिनट के मोड में माप कार्य के बाद वाणिज्यिक प्रभावों के साथ वास्तविक समय में अंतःराजियक एबीटी (फेज–1) को 1.4.2012 से कार्यान्वित किया गया। उत्पादकों और सीजीपी को कवर करने वाले फेज–2 को अभी वाणिजियक आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।
16.	पंजाब	आरंभ नहीं किया गया	पंजाब राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. अभी पंजाब राज्य में उत्पादन और वितरण कार्य कर रही है तथा कंपनी द्वारा अभी तक वितरण कारोबार और उत्पादन कारोबार के लिए लागतें अभी तक अलग नहीं की गई है। इस प्रकार एबीटी की शुरूआत इस स्थिति में व्यवहार्य नहीं है।
17.	सिक्किम	आरंभ नहीं की गई	अत्यंत छोटे 'राज्य के अंदर' विद्युत मांग अपेक्षा सहित विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते तथा ग्रिड संबद्ध कैप्टिव उत्पादन संयंत्र न होने के नाते एबीटी आंरभ करने की महत्ता अभी तक महसूस नहीं की गई। आयोग आवश्यकता पड़ने पर एबीटी आरंभ करने की योजना बनाएगा।
18.	तमिलनाडु	अंतःराज्यिक एबीटी कार्यान्वित की जानी है। ड्राफ्ट विनियम 13.1.2016 को आयोग की वेबसाइट पर स्टेहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव मांगते हुए होस्ट किए गए हैं।	

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
19.	त्रिपुरा	अंतःराज्यिक एबीटी कार्यान्वित की जानी है। ड्राफ्ट विनियम 13.1. 2016 को आयोग की वेबसाइट पर स्टेहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव मांगते हुए होस्ट किए गए हैं।	अंतःराज्यिक एबीटी कार्यान्वित की जानी है। ड्राफ्ट विनियम 13. 1.2016 को आयोग की वेबसाइट पर स्टेहोल्डरों से टिप्पणियां/ सुझाव मांगते हुए होस्ट किए गए हैं।
20.	उत्तराखण्ड		एसएलडीसी 27.11.2012 से प्रचालनीय है और स्काडा 18.4.2013 से प्रचालनीय है। (एसएलडीसी की रिंग फेंसिंग और स्काडा का कार्यान्वयन प्रगति पर है। अंतःराज्यिक एबीटी जुलाई 2016 के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।)
21.	उत्तर प्रदेश	कार्यान्वित	आयोग वितरण टैरिफ विनियम 2006 के विनियम 4.2 (11) का अनुपालन करता है। जिसे नीचे दिया गया है।: "4.2 विद्युत क्रय लागतः 11. एबीटी के क्षेत्र में यूआई के माध्यम से विद्युत क्रय की लागत निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से पारित किए जाने की अनुमति होगी।: क) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत के लिए औसत दर आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए अधिकतम दर से अधिक नहीं होना चाहिए। ख) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत यूनिटों की कुल लागत आयोग द्वारा अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत का 10 प्रतिशत तक नियंत्रित होगी। बशर्ते कि यूआई के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए औसत दर जहां अनुज्ञप्ति के गुण और अवगुण के अधीन विद्युत क्रय की विनिर्दिष्ट अधिकतम दर से अधिक हो जाती है वहां इस प्रकार की विद्युत खरीद की लागत आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन विद्युत क्रय के लिए अधिकतम दर पर परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से अनुमति होगी भले ही उक्त 11 ख में बताई गई 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुंची है या नहीं।

क्र. सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
22.	पश्चिम बंगाल	i) एबीटी 1.1.2008 से अंतःराज्यिक मोड के लिए आरंभ की गई। ii) पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 6.11 के अनुसार एबीटी के अधीन विद्युत केन्द्र I. पश्चिम बंगाल विद्युत कार्पोरेशन लि. के सभी उत्पादन केन्द्र., 1. कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, 2. बकरेसवरथर्मल पावर स्टेशन, 3. बंडेलथर्मल पावर स्टेशन, 4. संतलडिहथर्मल पावर स्टेशन 5. सागरडिगहीथर्मल पावर स्टेशन II. तदंतर राज्य ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किसी उत्पादन कंपनी के उक्त 50 मेगावाट सभी अन्य आगामी उत्पादन केन्द्र	WBSETCL स्थितिः केवल एबीटी के लिए मीटर पारेषण के लिए उत्पादनः 45 पारेषण के लिएः 4 पारेषण के लिए अनुज्ञप्तिधारीः 19 सीटीयू के लिए अनुज्ञप्तिधारीः 2 सीटीयू के लिए उत्पादनः 9 अनुज्ञप्तिधारियों के उत्पादनः 10

टीओडी टैरिफ

टैरिफ नीति में उपबंध

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय

उपयुक्त आयोग भार के बेहतर प्रबंधन के लिए पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरों को आरीा कर सकता है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ (Rs./kVAh)</th><th>ऑफ पीक टैरिफ (Rs./kVAh)</th></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग(132 KV)</td><td>5.90</td><td>4.90</td></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग (33 KV)</td><td>6.30</td><td>5.30</td></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग (11 KV)</td><td>6.73</td><td>5.73</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी उद्योग(132 KV)</td><td>7.03</td><td>6.03</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (33 KV)</td><td>7.28</td><td>6.28</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (11 KV)</td><td>7.90</td><td>6.90</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (132 KV)</td><td>7.03</td><td>6.03</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (33 KV)</td><td>7.28</td><td>6.28</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (11 KV)</td><td>7.90</td><td>6.90</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (132 KV)</td><td>6.72</td><td>5.72</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (33 KV)</td><td>7.01</td><td>6.01</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (11 KV)</td><td>7.58</td><td>6.58</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>हाँ</td><td>उच्च टेंशन</td><td>सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक</td><td>सामान्य से 15 प्रतिशत कम</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>हाँ</td><td>HV & EHV, औद्योगिक उपभोक्ता</td><td>ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 130 प्रतिशत</td><td>ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 85 प्रतिशत (11:00 pm to 5:00 am of next day)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="4">टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं पर (देसी से भिन्न) लागू होंगे जिनका स्वीकृत भार/एमडीआई 50 किलोवाट/54 किलोवाट और अधिक (जो भी अधिक है) जैसा नीचे दर्शाया गया है। टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं पर (देसी से भिन्न) लागू होंगे जिनका स्वीकृत भार/एमडीआई 25 किलोवाट/27 किलोवाट से 50 किलोवाट/54 किलोवाटए और अधिक (जो भी अधिक है) जैसा नीचे दर्शाया गया है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>पीक घण्टे</th><th>ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार</th><th>ऑफ पीक घण्टे</th><th>ऊर्जा प्रभारों पर छूट</th></tr>
<tr><td>अप्रैल.सितंबर</td><td>1500—2400 Hrs</td><td>20%</td><td>0000-0600 Hrs</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर.मार्च</td><td>1700-2300 Hrs</td><td>20%</td><td>2300-0600 Hrs</td><td>25%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="5">टीओडी टैरिफ
<table>
<tr><th>उपयोगिताएं</th><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-चंडीगढ़</td><td>हाँ</td><td>EHT/HT</td><td>120%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-दमन एवं दीव</td><td>हाँ</td><td>All HT con-sumers</td><td>120%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>ED-गोवा</td><td>हाँ</td><td>EHT/HT</td><td>120%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>ED-लक्षद्वीप</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ED-पुदुचेरी</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>इसे गुजरात राज्य में आरंभ किया गया।</td><td colspan="3">टैरिफ नीति में टीओडी के कार्यान्वयन की व्यवस्था है।

उपयोग टैरिफ का समय गुजरात में पहले से ही है। एलटी उपभोक्ताओं के लिए कोई अलग लागू टैरिफ नहीं है जिनकी कांट्रेक्ट मांग 40 केवी से अधिक है और 100केवीए और अधिक की नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए कांट्रेक्अ एचटी उपभोक्ताओं के लिए है जो अगले दिन 10 बजे अपराह्न से 6.00 बजे पूर्वाहन के दौरान अनन्य रूप से विद्युत के प्रयोग के लिए है।

इसके अलावा, उपभोग टैरिफ का समय एलटी टैरिफ की वाटर वर्क श्रेणी के लिए लागू है। एचटी श्रेणी में एचटी कृषि और रेलवे ट्रेक्शन टैरिफ श्रेणी को छोड़कर सभी अन्य एचटी श्रेणी को टैरिफ के उपयोग के समय का लाभ मिलता है।

दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के टैरिफ आदेश के संबंध में UGVCL, DGVCL, MGVCL & PGVCL को लागू टीओडी टैरिफ दरें।
<table>
<tr><td>पीक घंटे का समय</td><td>0700 hrs to 1100 hrs and 1800 hrs to 2200 hrs</td></tr>
<tr><td>ऑफ पीक घंटे का समय</td><td>1100 hrs to 1800 hrs</td></tr>
<tr><td>रात्रि घण्टे</td><td>2200 hrs to 0600 hrs next day</td></tr>
</table>
दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के टैरिफ आदेश के संबंध में टोरंट पावर लि. – अहमदाबाद को लागू टीओडी टैरिफ दरें।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>अभी तक आरंभ नहीं किए गए।</td><td>––</td><td>––</td><td>––</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>हाँ</td><td>HTS</td><td>ऊर्जा प्रभारों का 120%</td><td>ऊर्जा प्रभारों का 85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="4">केईआरसी ने निम्नानुसार नियत विभेदक दर और वैकल्पिक आधार पर टीओडी आरंभ किया :
<table>
<tr><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक घंटे (18:00 to 22:00 hrs)</th><th>ऑफ पीक टैरिफ (22:00 से 06:00 घण्टे)</th></tr>
<tr><td>LT इंडस्ट्रीज</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>HT जल आपूर्ति</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>HT इंडस्ट्रीज जिनमें वाणिज्यिक 500 केवी से कम शामिल है।</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">अनिवार्य</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिजए 500 केवी और उससे ऊपर कांट्रेक्ट मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>HT वाणिज्यिक कांट्रेक्ट के साथ 500 केवी से ऊपर की मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>आरंभ किया गया।</td><td>एचटी, ईएचटी औद्योगिक उपभोक्ता और बीस केवी टीओडी से अधिक संबद्ध भार वाले देसी उपभोक्ता के लिए टीओडी मीटरिंग की गई है।</td><td>सामान्य टैरिफ का 150%</td><td>सामान्य टैरिफ का 75%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="4">आयोग ने 1999 के मामला संख्या 1 में 28.04.2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–01 में राज्य में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है।
<table>
<tr><th colspan="2">टीओडी टैरिफ</th></tr>
<tr><th>समय</th><th>Rs./kWh</th></tr>
<tr><td>0600 to 0900 hours</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>0900 to 1200 hours</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>1200 to 1800 hours</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1800 to 2200 hours</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>2200 to 0600 hours</td><td>-1.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>2000 से</td><td>रेलवे ट्रेक्शन और बलक आवासीय प्रयोक्ताओं को छोड़कर सभी एचटी श्रेणियां</td><td>अधिभार के रूप में ऊर्जा प्रभार के सामान्य दर का 7.5 प्रतिशत</td><td>छूट के रूप में ऊर्जा प्रभार की सामान्य पर का 15%</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>लागू नहीं।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>हाँ</td><td>स्टेटिक मीटर वाले सभी तीन फेस उपभोक्ता</td><td>सामान्य टैरिफ</td><td>आयोग ने 1.4.2005 से टीओडी टैरिफ के सिद्धांतों को स्वीकार किया है जिसमें आफ पीक घण्टों के दौरान उपभोग पर 10 पी/यू की दर पर छूट दी है। इसके अलावा किसी दण्ड को लगाए बिना कांट्रेक्ट मांग के 120 प्रतिशत तक आफ पीक घण्टों के दौरान उद्योग द्वारा निकासी की अनुमति दी गई है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>आरंभ किया गया टीओडी</td><td>बड़े आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता और मध्य आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता</td><td colspan="2">(i) वित्तीय वर्ष 2012–14 के लिए अनुमोदित टीओडी टैरिफ 2 महीने के लिए अर्थात अप्रैल 2014 और मई 2014 के लिए बढ़ाया गया।
(ii) बड़े आपूर्ति आद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता तथा मध्य आपूर्ति आद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के 6 महीने के लिए (अक्टूबर से मार्च) पीएसईआरसी ने टीओडी आरंभ किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17.</td><td rowspan="2">सिक्किम</td><td>**आरंभ नहीं किया गया।</td><td>....</td><td>.....</td><td>.....**</td></tr>
<tr><td colspan="4">**टिप्पणी:
विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते सिक्किम को पीक और आफ पीक भार की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है। विद्युत की राज्य मांग काफी कम है। चूंकि सिक्किम एसईआरसी ने पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरें अभी आरंभ नहीं की है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="4"><table><tr><td>आरंभ किया टीओडी</td><td>उपभोक्ता श्रेणी</td><td>पीक टैरिफ</td><td>ऑफ पीक टैरिफ</td></tr><tr><td>16.3.2003</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिज</td><td>ऊर्जा प्रभारों पर 20% अधिक</td><td>ऊर्जा प्रभारों पर 5% की कमी</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="4"><table><tr><th>टीओडी का आरंभ</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुसर कुछ मामले में आरंभ किया गया।</td><td>औद्योगिक काफी, रबर, गार्डन, बल्क आपूर्ति इत्यादि</td><td>सामान्य दर का 140%</td><td>सामान्य दर का 60%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td></td><td>25 केडब्ल्यू से अधिक एलटी उद्योग और सभी एचटी उद्योग</td><td>पीक आवर पर ऊर्जाप्रभार निम्नानुसार होगाः
LT Industry: Rs. 5.10/kVAh
HT Industry:
<table>
<tr><th>लोड फैक्टर</th><th>ऊर्जा प्रभार</th></tr>
<tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr>
<tr><td>33% से ऊपर और 50% तक</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr>
<tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr>
</table></td><td>आफ पीक घण्टों पर ऊर्जा प्रभार निम्नानुसर होगाः
LT Industry: Rs. 3.06/kVAh
HT Industry:
<table>
<tr><th>लोड फैक्टर</th><th>ऊर्जा प्रभार</th></tr>
<tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 2.75/ kVAh</td></tr>
<tr><td>33% से ऊपर और 50 % तक</td><td>Rs. 2.97/ kVAh</td></tr>
<tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 3.24/ kVAh</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>टीओडी का आरंभ</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>हाँ</td><td>LMV-6: लघु एवं मध्यम ऊर्जा
HV-2: बड़ी एवं भारी ऊर्जा</td><td>LMV-6: लागू ऊर्जा शुल्क का 115% + मांग प्रभार
HV-2: लागू ऊर्जा शुल्क का 115% + मांग प्रभार</td><td>LMV-6: लागू ऊर्जा शुल्क का 92.5% + मांग प्रभार
HV-2: लागू ऊर्जा शुल्क का 92.5% + मांग प्रभार</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="4">नियत प्रभार के लिए कोई विभेदक दर इस आयोग द्वारा स्थापित नहीं की गई। यद्यपि टीओडी टैरिफ बेहतर भार प्रबंधन के लिए पहले ही आंरभ किया गया है।</td></tr>
</table>

ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत

टैरिफ नीति में उपबंध :

6.4 सह–उत्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन के गैर–पारंपरिक स्रोतः

(1) अधिनियम की धारा 86 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों की उपलबधता तथा खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा के क्रय के लिए न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करेगा। ऊर्जा के क्रय के लिए इस प्रकार की प्रतिशतता 01 अप्रैल, 2006 तक एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ के लिए लागू की जानी चाहिए।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>डिस्कॉम</td><td>नवीकरणीय ऊर्जा क्रय टैरिफ (सभी स्रोतों का औसत टैरिफ)</td><td>नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा (%)</td></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>Rs.4.47</td><td>1.22%</td></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>Rs.4.32</td><td>5.79%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>हाइड्रो Rs. 2.49/kWh, शुगर मिल्स Rs. 4.74/kWh</td><td>कुल खरीद का 1.13%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>1. वित्तीय वर्ष 2014–15 (Rs./Kwh में) हाइड्रो टैरिफ के लिए 2 MW – 5.79 से कम प्लांट के लिए
2 एवं 5 MW – 5.29 के बीच प्लांट
5 एवं 25 MW – 4.50 के बीच प्लांट
2. वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए बायोमास प्लांट के लिए टैरिफय
क. ऊर्जा प्रभार Rs.3.96/Kwh
ख. वित्तीय वर्ष 2013–14 में सीओडी प्राप्त संयंत्र का Rs.2.58/Kwh का नियत प्रभार</td><td>1. सौर – न्यूनतम 0.75%
2. बायोमास – न्यूनतम 3.75%
3. अन्य RE – न्यूनतम 2.25% (पनबिजली, पवन आदि)
4. कुल – न्यूनतम 6.75%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>टैरिफ (Rs./Unit)</th><th>Power Pro-cured from Re-newables (%)</th></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012–13</td><td>2.99</td><td>2.07#</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013–14</td><td>2.54</td><td>0098</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014–15</td><td>2.62</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012–13</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013–14</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014–15</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td colspan="4">टीपीपीडीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012–13</td><td>9.175</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013–14</td><td>6.42</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014–15</td><td>6.64</td><td>0.03</td></tr>
</table>
#% of sales and for FY 2013 pro-rated sales is considered from October 2012 (RPO Regulations)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">आरपीओ बाध्यता
वित्तीय वर्ष 2014–15 : सौर –0.6%, अन्य–2.7%, कुल.3.3%</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>11.7.2014 के शुद्धिपत्र के साथ पठित 7.7.2014 के आदेश 29.1.2012 से 31.3.2015 की नियंत्रण अवधि के लिए नीचे दी गई सारणी में यथारेखांकित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमोदित किया।
<table>
<tr><td colspan="2">बड़े हुए मूल्यह्रास के फोटोवॉल्ओज परियोजना मेगावाट स्केल के लिए</td></tr>
<tr><td>25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td><td>Rs. 8.39 per kWh</td></tr>
<tr><td>पहले 12 वर्षों के लिए</td><td>Rs. 8.82 per kWh</td></tr>
<tr><td>परवर्ती 13 वर्षों के लिए</td><td>Rs. 7.00 per kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">बड़े हुए मूल्यह्रास की मेगावाट स्केल फोटोवर्टिक परियोजना के लिए</td></tr>
<tr><td>25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td><td>Rs. 9.44 per kWh</td></tr>
<tr><td>पहले 12 वर्षों के लिए</td><td>Rs. 10.03 per kWh</td></tr>
<tr><td></td><td>Rs. 7.50 per kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाले किलोवाट–स्केल फोटोवॉल्टेक परियोजनाओं के लिए</td></tr>
<tr><td>25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td><td>Rs. 10.07 per kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाले किलोवाट–स्केल फोटोवॉल्टेक परियोजनाओं के लिए</td></tr>
<tr><td>25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td><td>Rs. 11.33 per kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धि मूल्यह्रास प्राप्त करने वाली सौर थर्मल परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथः 25 वर्षों के लिए Rs. 11-83 per kWh for 25 years</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त न करने वाले सौर थर्मल परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ</td></tr>
<tr><td colspan="2">वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथः 25 वर्षों के लिए Rs. 13.23 per kWh for 25 years</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>i) राज्य के अंदर हाइडल स्रोत (25 मेगावाट तक) के लिए 1.08 / यूनिट (औसत)
ii) सौर पीवी के लिए 7.50 / यूनिट</td><td>5.25 प्रतिशत (गैर सौर) के लक्ष्य के लिए 1.7%
0.25 प्रतिशत (सौर लक्ष्यों के लिए शून्य)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>आयोग केविविआ द्वारा जारी जेनरिक टैरिफ और आरइसी के बाजार मूल्य पर आधरित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अनुमोदित करता है।</td><td>1.00% (सौर), 3.00% (गैर सौर)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="2">नवीकरणीय क्रय बाध्यता राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं और अंतिम तीन वर्षों के लिए उसके बयौरे निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th rowspan="2">वित्तीय वर्ष 2014-15</th><th colspan="2">गैर.सौर (%)</th><th colspan="2">सौर (%)</th></tr>
<tr><th>आरपीओलक्ष्य</th><th>आरपीओ Met</th><th>आरपीओलक्ष्य</th><th>आरपीओ Met</th></tr>
<tr><td>BESCOM</td><td>10</td><td>11.77</td><td>0.25</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>MESCOM</td><td>10</td><td>14.87</td><td>0.25</td><td>0ण्88</td></tr>
<tr><td>CESC</td><td>10</td><td>11.49</td><td>0.25</td><td>0.23</td></tr>
<tr><td>HESCOM</td><td>7</td><td>7.21</td><td>0.25</td><td>0.34</td></tr>
<tr><td>GESCOM</td><td>7</td><td>4.74</td><td>0.25</td><td>0.38</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरला</td><td>4.16 (SHEP (5MW to 25MW)
4.88 (SHEP below 5MW)
4.77(पवन)</td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.		टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
11.	महाराष्ट्र	वि.व. 2012.13 के दौरान आरंभ विभिन्न आरई परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ 1. पवन ऊर्जाः क. पवन क्षेत्र – 1% Rs-5-70/kWh ख. पवन क्षेत्र – 2: Rs.5.01/kWh ख. पवन क्षेत्र – 3: Rs.4.18/kWh ख. पवन क्षेत्र – 4: Rs.3.92/kWh 2. लघु हाइड्रो ऊर्जाः क. ‹-500kW: Rs.6.06/kWh ख. ›500kWh, ‹=1 MW: Rs.5.56/kWh ग. Above 1 MW & up to and including 5 MW: Rs.5.06/kWh घ. Above 5 MW & up to and including 25 MW: Rs.4.33/kWh 3. सौर ऊर्जाः क. सौर पीवीः Rs.7.95/kWh ख. सौर थर्मलः Rs.8.45/kWh ग. सौर रूफटॉप पीवी ओ अन्य लघु सौर ऊर्जा 4. बायोमास ऊर्जाः Rs.6.63/kWh 5. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः Rs.6.27/kWh 6. गैर–योग्यता गैर–जीवाश्म ईंधन आध ाारित सह–उत्पादन 2.33/kWh	**वि.व. 2014.15 के लिए आरपीओः 9%** (सौरआरपीओ – 0.50% + गैर.सौरआरपीओ – 8.50%)
12.	मध्य प्रदेश	पवन– Rs. 5.92 / यूनिट बायोमास. Rs. 6.36 / यूनिट (लगभग) सौरपीवी. Rs. 10.44 / यूनिट सौर थर्मल. Rs. 12.65 / यूनिट बगासे आधारित सह–उत्पादन Rs.6. 28 / Unit लघु हाइड्रो. Rs. 5.25 / यूनिट (लगभग) म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. Rs. 6.39 / यूनिट बायोगैस–Rs. 4.20 / यूनिट	सौरः 0.72% गैर–सौरः 1.46% कुलः 2.18%
13.	मणिपुर और मिजोरम	निश्चित जेनरिक टैरिफ	मणिपुर : शून्य मिजोरम : 2012-13 : 19.93% 2013-14 : 11.99% 2014-15 : 9.03%

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>*नियत नहीं की गई

*एनईआरसी ने 5 प्रतिशत पर आरपीओ नियत किया है जिसे 8X3 MW लिखिमरो हाइड्रोइलेक्ट्रीक परियोजना द्वारा पूरा किया गया। नवीकरणी ऊर्जा पर टैरिफ निर्धारण अभी तक नहीं किया गया चूंकि डीएनएण्डआरई नागालैण्ड द्वारा इस प्रकार की कोई परियोजना नहीं है।</td><td>लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>पवन ऊर्जा–6.24
SHP<5MW-4.89
SHP between 5 to 25 MW-4.26
सौर PV–11.44
सौर थर्मल –9.52
बायोगैस–5.49
गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादन–5.19</td><td><table><tr><th></th><th>RPO लक्ष्य</th><th>वास्तविक</th></tr><tr><td>सौर</td><td>0.25%</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>गैर.सौर</td><td>1.80%</td><td>1.29%</td></tr><tr><td>सह–उत्पादन</td><td>4.45%</td><td>3.75%</td></tr></table>अन्य बाध्य कंपनी द्वारा विनियम ओरेडा द्वारा मॉनीटर की जा रही है। ओए उपभोक्ता तथा सीजेपी वाले उद्योग हैं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>नीचे दी गई सारणी के अनुसार</td><td>4.0%
[3.81(गैर सौर); 0.19 (सौर)]</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>Levellised Fixed Cost (₹/kWh)</th><th>Variable Cost (FY 2014-15) (₹/kWh)</th><th>Applicable Tariff Rate (₹/kWh)</th><th>Benefit of Accelerated Depreciation, if availed (₹/kWh)</th><th>Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (3-4) (₹/kWh)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">Biomass Power Projects</td></tr>
<tr><td>2.54</td><td>4.41</td><td>6.95</td><td>0.17</td><td>6.78</td></tr>
<tr><td colspan="5">Non-Fossil Fuel based Co-Generation Projects</td></tr>
<tr><td>2.10</td><td>4.07</td><td>6.17</td><td>0.14</td><td>6.03</td></tr>
<tr><td colspan="5">Biomass Gasifier Power Projects</td></tr>
<tr><td>2.51</td><td>4.55</td><td>7.06</td><td>0.13</td><td>6.93</td></tr>
<tr><td colspan="5">Biogas based Power Projects</td></tr>
<tr><td>3.39</td><td>4.01</td><td>7.40</td><td>0.25</td><td>7.15</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Particulars</th><th>Applicable Tariff Rate (₹/kWh)</th><th>Benefit of Accelerated Depreciation, if availed (₹/kWh)</th><th>Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (2-3) (₹/kWh)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Small Hydro Power Projects</td></tr>
<tr><td>Below 5 MW</td><td>5.25</td><td>0.43</td><td>4.82</td></tr>
<tr><td>5 to 25 MW</td><td>4.47</td><td>0.39</td><td>4.08</td></tr>
<tr><td colspan="4">Wind Energy Power Projects</td></tr>
<tr><td>Wind Zone-1</td><td>6.34</td><td>0.34</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Solar Power Projects</td></tr>
<tr><td>Solar PV</td><td>7.72</td><td>0.77</td><td>6.95</td></tr>
<tr><td>Solar Thermal</td><td>11.88</td><td>1.23</td><td>10.65</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td colspan="2">सिकिकम एसईआरसी ने एसएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम 2012 को 27.09.2013 को अधिसूचित किया जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किए जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा की न्यूनतम प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट किया गया। तथापि इस तथ्य को विचार करते हुए कि राज्य की समूची विद्युत मांग नवीरकणीय/हाइड्रसे विद्युत संयंत्रों से पूर्ति की जा रही है। अतएव आरपीओ कार्यान्वयन अस्थगित रखा गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ याचिका/वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर/वार्षिक समीक्षा याचिका सहित वित्तीय वर्ष 2013–14,2014–15 औरवित्तीय वर्ष 2015.16 के लिए आरपीओ अनुपालन दाखिल करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए हैं।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td>पवन – Rs.3.96 प्रति यूनिट
सौर पीवी – Rs.7.01(without AD)
Rs.6.28 (with AD)
सौर थर्मल – Rs.11.03(एडी के बिना)
Rs.9.88(ADlfgr)
बगासे आधारित सह–उत्पादन प्लांट: Rs.4.92/-
प्लांट: Rs.4.85/-</td><td>कुल आरपीओ – 9 प्रतिशत में से 0.05 प्रतिशत सौर के लिए</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td>इस प्रकार की ऊर्जा अभी उत्पादित नहीं की गई इसलिए टैरिफ का प्रश्न नहीं उठता।</td><td>प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>1.4.2013 को या उसके बाद आंरभ परियोजनाएं
(i) SHP परियोजना (25MW तक) :
5MW तक Rs. 4.75/unit (4.40)
5 ls 15 MW Rs. 4.52/unit (4.17)
15 ls 25 MW Rs. 4.21/unit (3.86)
(ii) बगासे आधारितरूसह –उत्पादन परियोजनाएं 2.85 /यूनिट (2.70)का प्रभार नियत किया इसके अलावा मानकीय ईंधन कीमत स्वीकार्य है जो 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि सहित वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 2.57 रुपये/यूनिट है।
(iii) बायोमास आधारित परियोजनाएं:
2.10 रु/यूनिट का नियत प्रभार (2.00) इसके अलावा मानकीय ईंधन
(iv) बायोमास गैसीफायर परियोजना:
Rs. 2.25/unit(2.10) का नियत प्रभार। In addition, the normative fuel prices is admissible which is Rs. 2.69/Unit for FY 2014-15 with 5% p.a escalation
(v) बायोगैस परियोजना:
Fixed charges of Rs. 3.75/unit (3.50). In addition, the normative fuel prices is admissible which is Rs. 3.72/unit which is for FY 2014-15 with 5% p.a. escalation.
(vi) पवन परियोजना:
जोन 1: Rs. 5.45/unit (5.00)
जोन 2: Rs. 4.85/unit (4.45)
जोन 3: Rs. 4.15/unit (3.80)
जोन 4: Rs. 3.35/unit (3.05)
tksu 5: Rs. 3.10/unit (2.80)
(vii) सौर पीवी :
Rs. 11.10/unit (10.15)
(viii) सौर थर्मल :
Rs. 13.30/unit (12.15)
(ix) ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफटॉप और सूक्ष्म सौर पीवी: Rs. 9.20/unit (8.15)</td><td>वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरपीओ अनुपालन का विवरण
<table>
<tr><th></th><th>% RPO Target</th><th>% of Tar-get RPO Achieved</th></tr>
<tr><td>गैर–सौर</td><td>7.00</td><td>83</td></tr>
<tr><td>सौर</td><td>0.075</td><td>74</td></tr>
</table>
इसके अतिरिक्त, सह–उत्पादन परियोजना सहित नवीकरणीय स्रोतों से कुल 100 प्रतिशत विद्युत गुण, अवगुण के आधार पर क्रय किया गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>Rs. 4.81 per kWh</td><td>सूचना उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>सौर पीवी: Rs. 8.90 (Capped)
बायोमास: Rs. 5.41 (Capped)
MSW: Rs. 5.12 (Capped)
पवन: Rs. 5.71 (Capped)
सह–उत्पादन (Bottom): Rs. 3.34 (Capped)
लघु हाइड्रो: Rs. 4.42 (Capped)
(सभी टैरिफ Rs./kWh में हैं।)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">सहउत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल उपभोग का क्रय की न्यूनतम मात्रा (प्रतिशत में)</th></tr>
<tr><th>सौर</th><th>गैर.सौर</th></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>0.15</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>0.20</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>0.25</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>0.30</td><td>6.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति

टैरिफ नीति में उपबंध :

8.5 निर्बाध पहुंच के लिए अतिरिक्त अधिभार और क्रास सब्सिडी अधिभार

8.5.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित किया गया है कि क्रास सब्सिडी अधिभार की मात्रा और उपभोकताओं से उगाही किए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार जिनकी निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है। वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए जो निर्बाध पहुंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की आपूत्रि और उत्पादन को तेज करना जरूरी है। .

वे उपभोक्ता जिसे निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है उसे उत्पादन को भुगतान करना होगा और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका पारेषण प्रणाली प्रयुक्त की गई है वहां विलिंग प्रभार के लिए वितरण कंपनी और इसके अलावा क्रास सब्सिडी अधिभार है। क्रास सब्सिडी अधिभार की संगणना इस ढंग से की जाए कि इससे वितरण अनुज्ञपितधारी क्षतिपूर्ति कर सके और इससे निर्बाध पहुचं के माध्यम से प्रतिस्पध्र की शुरूआत कोई दबाव न हो। उपभोक्ता केवल निब्रध पहुंच का उपयोग करेगा यदि सभी प्रभारें के भुगतान से उसे लाभ होता है। यद्यपि वितरण अनुज्ञपितधारी का हित सुरक्षित करने की आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य हेागा कि अधिनियम के इस उपअबंध से जिसमें समयबद्ध ढंग से शुरूआत करने के लिए निर्बाध पहुंच अपेक्षित है उसे उपभोक्ता के बड़े हित में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयुक्त किया जाए।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>सभी श्रेणी</td><td>शून्य</td><td rowspan="2">Embedded लागत पद्धति</td></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>सभी श्रेणी</td><td>शून्य</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>NBPDCL/SBPDCL</td><td>132 केवी उपभोक्ताओं के लिए: 22Paise/kWh
33 केवी उपभोक्ताओं के लिए (HTSS के अलावा): 53 Paise/kWh
11 केवी उपभोक्ताओं के लिए (HTSS के अलावा): 44 (paise/kWh)
HTSS उपभोक्ताओं के लिए (33 kV और 11 kV): शून्य</td><td>टैरिफ नीति में सिफारिश किए गए फार्मूला (S=T-[C(1+l/100)+D]) के अनुसार क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित किया जाता है। राज्य में प्रचलित विद्युत कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य के बाहर स्रोतों से विद्युत क्रय विकल्पों की मांग के लिए एचटी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और अनुमोदित खुदरा टैरिफ के साथ तुलनीय विद्युत की लागत के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित प्रभार की 50 प्रतिशत पर अनुमोदित किया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम</td><td>1.एचटी उपभोक्ता Rs.1.010 per KWH
2.ईएचटी उपभोक्ता के लिए Rs.1.420 per KWH</td><td>टैरिफ नीति में परिभाषित पद्धति में औसत लागत</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td>BYPL, BRPL and TPDDL</td><td>आयोग ने निब्रध पहुंच के अधीन अन्य लागू प्रभारों और क्रास सब्सिडी अधिभार, पारेषण और विलिंग प्रभा. रों के अवधारण पर 24.12.2013 के आदेश के माध्यम से BRPL, BYPL और TPDDL के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को अवधारित किया।</td><td>आयोग ने निब्रध पहुंच के अधीन अन्य लागू प्रभारों और क्रास सब्सिडी अधिभार, पारेषण और विलिंग प्रभारों के अवधारण पर 24.12.2013 के आदेश के माध्यम से BRPL, BYPL और TPDDL के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को अवधारित किया।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशासित प्रदेश</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-चंडीगढ़</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>0</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ED-दमन एवं दीव</td><td>12</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ED-गोवा</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-लक्षद्वीप</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-पुडुचेरी</td><td>HT1-218, HT2-233, HT3-211</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td rowspan="3">गुजरात</td><td>PGVCL/MGVCL /DGVCL/UGVCL</td><td>39</td><td rowspan="3">क्रॉस सब्सिडी अधिभारक लिए अपनाई गई पद्धति राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>TPL- अहमदाबाद</td><td>30</td></tr>
<tr><td>TPL- सूरत</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>J&KPDD</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया जा रहा है।</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td></td><td>फिलहाल लागू नहीं</td><td>सीएसएस के संगणना पद्धति राज्य के टैरिफ विनियम जो केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>श्रेणी</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>BESCOM</td><td rowspan="4">HT2(क) (Industrial)
66KV and above
HT level – 11 KV / 33 KV</td><td rowspan="4">97.91 पैसे प्रति kWh</td></tr>
<tr><td>MESCOM</td></tr>
<tr><td>CESC</td></tr>
<tr><td>HESCOM</td></tr>
<tr><td>GESCOM</td><td>HT2(ख) Commercial)
66KV and above
HT level – 11 KV / 33 KV</td><td>62.96 पैसे प्रति kWh
194.29 पैसे प्रति kWh</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>KSEBL</td><td>
<table>
<tr><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार</th><th>Ps/kWHr</th></tr>
<tr><td>EHT- औद्योगिक</td><td>0</td></tr>
<tr><td>EHT- सामान्य</td><td>180</td></tr>
<tr><td>EHT- व्यावसायिक</td><td>210</td></tr>
<tr><td>रेलवे</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT- I व्यवसाय (A)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT - I व्यवसाय (B)</td><td>50</td></tr>
<tr><td>HT II – सामान्य (A)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>HT II सामान्य (B)</td><td>180</td></tr>
<tr><td>HT III कृषि (A)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT III कृषि (B)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HT-IV व्यावसायिक</td><td>230</td></tr>
<tr><td>HT V घरेलू</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>MSEDCL, TPC-D और R Infra D</td><td>टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति फार्मूला के अनुसार</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्यप्रदेश</td><td>पूर्व डिस्कॉमए केन्द्रीय डिस्कॉमऔर पश्चिमीडिस्कॉम</td><td>रीटेल सप्लाई टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>1. मणीपुर राज्य ऊर्जा वितरण कंपनी लि.
2. ऊर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया गया।</td><td>जैसा निर्बाध पहुंच विनियम में विनिर्दिष्ट है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="3">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="3">**वित्तीय वर्ष 2014.15** के लिए 1 मेगावाट और अधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>ईएचटी के लिए सीएसएस (Paise/Kwh)</th><th>एचटी के लिए सीएसएस (Paise/Kwh)</th></tr>
<tr><td>CESU</td><td>164.71</td><td>95.44</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>152.71</td><td>63.09</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>147.91</td><td>81.00</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>228.71</td><td>150.04</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td colspan="3">पीएसईआरसी (निर्बाध पहुंच) विनियम 2011 के अनुसार 2014–15 के लिए पीएसपीसीएल के उपभोकताओं के विभिन्न श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार (पैसा / यूनिट)निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>वित्तीय वर्ष 2014–15 (पैसे / यूनिट)</th></tr>
<tr><td>बड़ी आपूर्ति</td><td>95 पैसे /kWh
(बड़ी आपूर्ति सामान्य उद्योग के लिए 90 paise/ kVAh और बड़ी आपूर्ति पीआईयू / आर्क फर्नेस उपभोक्ताओं के लिए 93 पैसे / kVAh)</td></tr>
<tr><td>घरेलू आपूर्ति</td><td>94 पैसे /kWh (86 पैसे /kVAh)</td></tr>
<tr><td>गैर–आवासीय आपूर्ति</td><td>92 पैसे /kWh (85 पैसे /kVAh</td></tr>
<tr><td>बल्क आपूर्ति</td><td>57 पैसे /kWh (52 पैसे /kVAh)</td></tr>
<tr><td>रेलवे ट्रेक्शन</td><td>80 पैसे /kWh (78 पैसे /kVAh)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td>ऊर्जा एवं विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार</td><td>नियत नहीं की गई</td><td>अभी तक किसी उपभोकता से कोई आवेदन प्रापत नहीं हुआ जिसमें निर्बाध पहुंच का अनुरोध किया गया हो। इस प्रकार आज तक सिक्किम में कोई निर्बाध पहुंच उपभोक्ता नहीं है। क्रास सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार तब तैयार किया जाएगा जब इसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार (Paise/kWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>TANGEDCO</td><td>Rs. 3.51 to Rs.5.23</td><td>राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार फॉर्मूला</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>निर्बाध पहुंच उपभोक्ता त्रिपुरा में उपलब्ध नहीं है।</td><td>प्रश्न नहीं उठता</td><td>प्रश्न नहीं उठता</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि.</td><td>39 paise/kWh</td><td>वित्तीय वर्ष 2014.15, के लिए 16% पूल औसत प्रणाली वितरण हानि निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (Paise/KWh)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">क्रॉस सब्सिडी प्रभार (Paise/ KWh)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>श्रेणी</th><th>CSS (Rs./ kWh)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>HV-1 (11 केवी पर आपूर्ति Supply at 11 kV)</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td>2</td><td>HV-1 (11 केवी से ऊपर आपूर्ति)</td><td>0.74</td></tr>
<tr><td>3</td><td>HV-2 (11 केवी पर आपूर्ति)</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>HV-2 (11 केवी से ऊपर आपूर्ति)</td><td>0.47</td></tr>
<tr><td>5</td><td>HV-3 (11 केवी से ऊपर आपूर्ति)</td><td>0.72</td></tr>
<tr><td>6</td><td>HV-4 (11 केवी पर आपूर्ति)</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>7</td><td>HV-4 (11 केवी से ऊपर आपूर्ति)</td><td>0.74</td></tr>
</table></td><td>अपनाई गई पद्धति
आयोग ने निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करते हुए संगत उपभोक्ता श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित किया है:
S = T – [C (1+ L / 100) + D]
जहां
S क्रास सब्सिडी अधिभार है
T उपभोक्ताओं की संगत श्रेणी द्वारा प्रतिदेय टैरिफ है;
C तरल ईंधन आधारित उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर मार्जन पर 5 प्रतिशत की ऊर्जा खरीद की भारित औसत लागत है। यूपी के मामले में यह बजाज हिंदुस्तान, हरदुआगंज और रोजा पावर प्रोजेक्ट 1 के मार्जनल विद्युत क्रय स्रोतों की लागत पर विचार करते हुए 6.38 रुपये / किलोवाट घण्टा है।
D विलिंग प्रभार है।
L प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त लागू वॉल्टेज स्तर के लिए प्रणाली हानियां हैं जिसे एचटी श्रेणी (11 केवी से ऊपर) के लिए 4 प्रतिशत के रूप में और एचटी श्रेणियों के लिए 8 प्रतिशत (11 केवी पर) के रूप में विचार किया गया।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">WBSEDCL: 94.12+344.97 (परिहार्य लागत)
CESC Ltd: 160.59+392.38 (परिहार्य लागत)
DPL: 27.34+233.24 (परिहार्य लागत)
DPSCL: अभी जारी नहीं हुआ।</td><td>क्रॉस सब्सिडी प्रभार
निर्बाध पहुंच तथा अनुज्ञाधिारी द्वारा परिहारित लागत की जा रही उपभोक्ता की श्रेणियों के लिए लागू टैरिफ के बीच अंतर है।</td></tr>
</table>

अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.3 कैप्टिव उत्पादन का दोहन

कैप्टिव उत्पादन उपलबध प्रतियोगी विद्युत के लिए एक महतवपूर्ण साधनप है। उपयुक्त आयोग को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे ग्रिड से संबद्ध कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस प्रकार के कैपिटव संयंत्र उत्पादन कंपनियों के लिए लागू उसी विनियम के अध्याधीन ग्रिड में अधिशेष विद्युत को अंतक्षेपित कर सके।

विलिंग प्रभार और अन्य निबंधन व शर्तें यह सुनिश्चित करते हुए एससीइआरसी और जेईआरसी द्वारा अग्रिम से निधारित की जानी चाहिए कि प्रभार उचित व संगत है।

विनियामक फोरम की सिफारिशों की समीक्षा

1. सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंटेट की गई मांग की कमी के लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए।
2. सामानान्तर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार के उदग्रहण के लिए लघु औचित्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रभारों को निम्नतम स्तर पर रखा जाए।
3. कोई न्यूनतम गारंटी प्रभार नहीं होना चाहिए।
4. स्टार्टअप/स्टैण्ड बाई विद्युत के लिए प्रभार उचित होना चाहिए और अस्थायी कनेक्शन के लिए नियत प्रभारों से अधिक नहीं होना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
1.	आंध्रप्रदेश	––	––	––	––	मद के अधीन यथाउल्लिखित (3) राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधि विषयों पर स्थिति रिपोर्ट के वितरण नेटवर्क प्रभार और निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार
2.	बिहार					

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	Rs.21.00 per KVA (सीपीपी के केप्टिव और गैर–कैप्टिव के लिए)	शून्य	1. मांग प्रभार के रूप में 185 रु / केवी / माह स्टार्टअप पावर तथा कांट्रेक्ट मांग वाले उपभोकताओं के लिए ऊर्जा प्रभारें के रूप में 5.90 रु / केवी। 2. उन उपभोक्ताओं के लिए 10.24 रु प्रति यूनिट स्टार्टअप पावर जिनकी कोई कंटेक्ट मांग नहीं है। 3. निर्बाध पहुंच सीमा तक ऊर्जा के लिए 8.31 रु / किलोवाट घण्टा स्टेण्डबाई प्रभार और ओपन निर्बाध सीमा के आगे ऊर्जा के लिए 11. 08 रु / किलोवाट घण्टा यूनिट	1. विलिंग प्रभार–23.5 paisa/ Kwh 2. LTOA & MTOA ग्राहक उनकी आवंटित क्षमता के अनुपात में निवल एआरआर का वहन करेगा।
4.	दिल्ली	केप्टिव उत्पादन दिलली राज्य में नहीं है।				
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया चूंकि जेईआसी क्षेत्राधिकारी के अधीन इस प्रकार के कोई मामले नहीं है।				
6.	गुजरात	कोई दण्ड नहीं है	26.50 Rs./KVA	––	केविविआ (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन बशर्तें) विनियम 2010 की धारा 26 केअनुसार स्टेण्डबाई प्रभार संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ आदेशों के अनुसार लागू हैं।	डिस्कॉम (PGVCL, MGVCL, DGVCL & UGVCL) के लिए विलिंग प्रभार निम्नानुसार है; at 11 KV : 13 ps/kwh at 400 V (LT) : 48 ps/kwh TPL के लिए विलिंग प्रभार At 11 KV, अहमदाबाद और सूरत में - 63 और 74 ps/kwh क्रमशः At 400 V (LT) - अहमदाबाद और सूरत में 65 और 66 ps/ kwh क्रमशः
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	कोई अधिशेष केप्टिव विद्युत उत्पादन राज्य में उपलब्ध नहीं है।				

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड</th><th>समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार</th><th>न्यूनतम गारंटी प्रभार</th><th>स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार</th><th>विलिंग प्रभार</th></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="3">अनुज्ञप्तिधारी से सूचना की प्रतीक्षा है।</td><td>1008 घण्टे तक एचटी औद्योगिक उपभोक्ता ऊर्जा प्रभार का 1.5 भार
1008 घंटों के आगे अस्थायी आपूर्ति टैरिफ लागू है।</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="5">केईआरसी ने यूआई दरों से संबद्ध दरों को विनिर्दिष्ट करते हुए राजय में सीपीपी से अधिशेष केप्टिव विद्युत के दोहन के लिए आदेश जारी किया। केईआरसी ने सीडी, सामानांतर प्रचालन प्रभार, न्यूनतम गारंटी प्रभार इत्यादि की कमी के लिए कोई दण्ड निर्धारित नहीं किया है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td>कोई दण्ड नहीं</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>करार के अनुसार</td><td>32ps/kWh</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>नहीं</td><td></td><td>नहीं</td><td>*Rs.20/kVA/month</td><td>
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वोल्टेज स्तर</th><th>Rs./ kWh</th></tr>
<tr><td rowspan="3">एमएसई डीसीएल</td><td>33kV</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>/11kV</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>LT level</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td rowspan="2">टीपीसीडी</td><td>HT level</td><td>1.02</td></tr>
<tr><td>LT level</td><td>2.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आरइं फ्राडी</td><td>HT level</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>LT level</td><td>1.24</td></tr>
<tr><td>बीईएसटी</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>शून्य</td><td>Rs. 20/kVA</td><td>शून्य</td><td>प्रतिबद्धता प्रभार 132 KV - Rs. 25 / KVA / month 33KV- Rs. 31/ KVA/month
उक्त के अतिरिक्त विद्युत के लिए ऊर्जा प्रभार और नियत प्रभार अस्थायी दर पर उपभोग किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>सीपी नहीं</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="5">लागू नहीं</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
15.	उड़ीसा	कोई दण्ड नहीं। इसे ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्तें) को 2004 के विनियम 66, 71 द्वारा अधिशासित किया जाएगा।	शून्य	शून्य	शून्य	WESCO - 68.38 NESCO - 92.61 SOUTHCO - 63.75 CESU - 86.53
16.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	614 paise per kWh	Rs. 349623 per month
17.	सिक्किम	*तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।	तैयार नहीं किया गया।
		***नोटः सिक्किम में कोई केप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं है। इसलिए ग्रिड संबद्ध केप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए विनियम तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। तथापि आयोग जब भी आवश्यकता होती है इस प्रकार के विनियम तैयार / अधिसूचित करेगा।**				
18.	तमिलनाडु	शून्य	Rs.30000/per month per MW.	वास्तविक रूप से रिकॉर्ड की गई मांग या स्वीकृत मांग का नब्बे प्रतिशत जो भी अधिक हों	स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण पावर–अस्थायी आपूर्ति टैरिफ स्टेण्डबाई पावर ऊर्जा प्रभार–टैरिफ आदेशों के अनुसार मांग प्रभार श्रेणी के लागू टैरिफ	18.87पैसे
19.	त्रिपुरा	केप्टिव उत्पादन संयंत्र त्रिपुरा राज्य में उपलबध नहीं है अतएव भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता।				
20.	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य तथापि सिंक्रॉनाइजेशन का उत्तरदायित्व और अपेक्षित मानकों के अनुरूप उपकरण व सिंक्रोनाइजिंग उपलबध करवाना तथा आयात, / निर्यात मीटर केप्टिव उत्पादकों के पास होंगे।	शून्य	अस्थायी आपूर्ति के लिए अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार अर्थात् न्यूनतम प्रभार सहित + 25% उचित अनुसूचित दर में प्रभार की दर और आपूर्ति के दिनों की संख्या के लिए मांग प्रभार लिया गया है।	मामला दर मामला आधार पर। इस प्रकार का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	पारंपरिक ऊर्जा के लिए लागू	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
22.	पश्चिम बंगाल	यूआई प्रभारों से भिन्न सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए इस प्रकार का कोई दण्ड नहीं होगा। समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार की पद्धतियां, प्रभारें और विलिंग प्रभारों के द्वारा स्टार्टअप / स्टेण्डबाई को यथासंशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियम 2007 में किया गया आयोग निर्बाध पहुंच / केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारें विलिंग प्रभारें और क्रॉस सब्सिडी अधिभारें के लिए नियमित रूप से आदेश पारित करता है। अन्य प्रभार उपभोक्ता विनिर्दिष्ट हैं और उपभोक्ता को निर्बाध पहुंच के अनुमोदन के समय आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।				

विनियामक फोरम (एफओरआर)

सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

Designed and Produced by

creativEdge

ce@aravalifoundation.in

www.creativedge.in